लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४९, १९६०/१८८२ (शक)

[१२ से २३ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण से २ पौष, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४९ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[द्वितीय माला--खण्ड ४९--अंक २१ से ३०--१२ से २३ दिसम्बर १९६०/ अग्रहायण २१ से २ पौष १८८२ (शक)]

पृष्ठ

अंक २१--सोमवार, १२ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८३६, ८३८, ८४० और ८४१ . २४२३--४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३७, ८३९ और ८४२ से ८६५ . . २४४२--५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६२१ से १७०० . . . . २४५२--८९

निधन सम्बन्धी उल्लेख २४८९

सभा पटल पर रखा गया पत्र . २४८९

विशेषाधिकार समिति--

ग्यारहवां प्रतिवेदन २४८९

लोक लेखा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन . . २४८९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

श्री ए० के० चन्दा की वित्त आयोग के सभापति के पद पर नियुक्ति २४९०–९१

तारांकित प्रश्न संख्या २६९ के उत्तर की शुद्धि . . . २४९१

कांगों की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . . . २४९१—९८

भैरवपुर (सिलचर) में डकैती के सम्बन्ध में वक्तव्य . २४९८–९९

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर . . २४९९

रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . २४९९—२५०२

खंड २ और १ . . . . . २५०२

पारित करने का प्रस्ताव २५०२

पृष्ठ

त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . २५०२–०५

खंड २, ३ और १ . . २५०५

पारित करने का प्रस्ताव . . . २५०५

पशु निर्दयता निवारण विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५०५—२४

कार्य मंत्रणा समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन २५२४

दैनिक संक्षेपिका— . . . . . २५२५—३१

अंक २२—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९६०/२२ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २५३३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ से ८७०, ८७२ से ८७४, ८७६ से ८७८ और ८८६ २५३३—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७१, ८७५, ८७९ से ८८५ और ८८७ से ८९१ २५५५—६१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०१ से १७७२ . २५६१–९४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २५९४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २५९५–९६

राज्य सभा से सन्देश २५९७

दहेज निषेध विधेयक—राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में . २५९७

बाल विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में . २५९८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

सरकारी आदेश के फलस्वरूप ऊनी कपड़ा मिलों की कठिनाइयां . २५९८–९९

कार्य मंत्रणा समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन . २५९९

पशु निर्दयता निवारण विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५९९—२६०७

खंड २ से ४१ और १ . . . . . २६०४—०७

पारित करने का प्रस्ताव २६०७

पृष्ठ

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २६०७–२०

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और उपक्रमों सम्बन्धी प्रकाशन के बारे में प्रस्ताव २६२०–३३

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित २६३४

दैनिक संक्षेपिका २६३५–४२

अंक २३—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९६०/२३ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ८९४, ८९६, ८९७, ८९९, ९०२ से ९०४ और ९०७ से ९१६ . . २६४३–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९८, ९००, ९०१, ९०५ और ९०६ २६६५–६८

अतारांकित प्रश्न संख्या . १७७३ से १८३६ २६६८–९४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . २६९४

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश गन्ना उप-कर अधिनियम, १९५६ के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय . . . २६९५–९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २६९६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

चौहत्तरवां प्रतिवेदन . . . २६९६

प्राक्कलन समिति —

एक सौ एकवां प्रतिवेदन २६९७

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक . . . २६९७–९९

विचार करने का प्रस्ताव २६९७

खंड २ से ६ और १ . . . . २६९७–९९

पारित करने का प्रस्ताव २६९९

प्रसूति लाभ विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २६९९–२७१४

अधिमान–प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २७१४–२०

खंड २ से ७ और १ . . २७२०

पारित करने का प्रस्ताव . . २७२०

पृष्ठ

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २७२०–२१

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों सम्बन्धी प्रकाशन और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में प्रस्ताव . २७२१—४७

दैनिक संक्षेपिका २७४८—५३

अंक २४—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९६०/२४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१७ से ९२०, ९२२ से ९२६ और ९२९ . २७५५—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२१, ९२७, ९२८ और ९३० से ९४३ . २७७७—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३७ से १८६८ और १८७० से १८९९ . २७८५—२८०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . २८०९—१०

राज्य सभा से सन्देश २८१०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

बाईसवां प्रतिवेदन २८१०

भारत और पाकिस्तान के बीच बेरूबाड़ी यूनियन के प्रस्तावित विभाजन के बारे में याचिका २८१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा विद्रोहियों द्वारा मनीपुर राइफल्स के दो सिपाहियों का मारा जाना २८१०—१२

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक . . . २८१२—३९

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २८१२—३४

खंड २ से ४० और १ . . २८३४—३८

पारित करने का प्रस्ताव २८३९

निवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २८३९—५२

कच्चे माल सम्बन्धी समिति के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . २८५३—५७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८५८—६३

अंक २५—शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९६०/२५ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४५, ९४७ से ९५३, ९५७, ९५८, ९६० और ९६१ . . . . २८५८—८९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४६, ९५४ से ९५६, ९५९ और ९६२ से ९६७ . २८८९—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या १९०० से १९५८ . . . २८९४—२९२०

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेपाल नरेश द्वारा नेपाली मंत्रिमंडल की बरखास्तगी . २९२१—२२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९२२—२३

प्राक्कलन समिति—

अट्ठानवेवां प्रतिवेदन २९२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राउरकेला उर्वरक कारखाने के मजदूरों द्वारा हड़ताल २९२३

सभा का कार्य २९२४

औचित्य प्रश्न के बारे में . . . २९२४–२५

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक—पुरस्थापित २९२५—३२

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित २९३२–३३

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक . . २९३४—४३

विचार करने का प्रस्ताव २९३४—३८

खंड २ और १ . . २९३८—४३

पारित करने का प्रस्ताव २९४३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

चौहत्तरवां प्रतिवेदन २९४३

सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . २९४४

निशान लगा कर मतदान करने की नई प्रणाली के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . . . . २९४४—७४

कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की दर बढ़ाये जाने के बारे में संकल्प . २९७४

कार्य मंत्रणा समिति— . . . . .

साठवां प्रतिवेदन २९७४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २९७५—८०

अंक २६—सोमवार, १९ दिसम्बर, १९६०/२८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २९८१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८ से ९७२ और ९७४ से ९७८ . . २९८१—३००३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . ३००३—०५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९७३ और ९७९ से ९९७ . . . ३००५—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १९५९ से २०४७ . . ३०१४—५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३०५२

राज्य सभा से सन्देश . . . ३०५२

सालारजंग संग्रहालय विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ३०५३

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . ३०५३

(२) तार विधियां (संशोधन) विधेयक . ३०५३

कार्य मंत्रणा समिति—

साठवां प्रतिवेदन . . . ३०५३

अनुपस्थिति की अनुमति ३०५४–५५

मत विभाजन के परिणाम की शुद्धि ३०५५

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक और संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३०५५—८६

असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेन्टों की परीक्षाओं के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३०८६–९२

दैनिक संक्षेपिका ३०९३–३१००

अंक २७—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९६०/२९ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ३१०१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९८ से १००३ और १००५ से १००८ ३१०१—२२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ से ७ ३१२२—३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००४ और १००९ से १०२६ ३१३०—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या २०४८ से २१२१ . . . ३१३७–६९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३१६९

प्राक्कलन समिति—

निन्यानवेवां प्रतिवेदन ३१७०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

त्रिपुरा के जोतदारों द्वारा कुर्फा-उप-काश्तकारों के विरुद्ध की गई आक्रामक कार्यवाही ३१७०

पृष्ठ

लाम्रोस की स्थिति के बारे में वक्तव्य ३१७०

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) संशोधन विधेयक तथा संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ३१७०—३२०२

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक के खण्ड २, ३, प्रथम और द्वितीय अनुसूचियां और खण्ड १ . . . . ३२०२—०३

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक के खण्ड २ से ११, प्रथम और द्वितीय अनुसूची . . . . ३२०३—०५

मत्स्य पालन शिक्षा की केन्द्रीय संस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३२०५—१०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३२११—१७

अंक २८—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९६०/३० अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०३८ और १०४५—क ३२१९—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२७, १०३९, १०४०, १०४०—क, १०४१, १०४१-क, १०४२ से १०४५, १०४६ से १०५२, १०५२—क, और १०५३ . . . . ३२४३—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२२ से २२०२, २२०४ से २२१९, २२२१ से २२२४ और २२२४—क . . . ३२५३—९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३२९८—९९

राज्य सभा से सन्देश ३२९९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

पिचहत्तरवां प्रतिवेदन . . ३३००

लोक-लेखा समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन ३३००

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में दासता का प्रचलन. ३३००—०२

कपड़े के मूल्यों के बारे में वक्तव्य . . . . ३३०२—०६

भारी बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित ३३०६

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ३३०७—२१

खंड २ से ८ और १ . . . . . ३३२१—२३

पारित करने का प्रस्ताव . . . ३३२३

मध्यम पत्तन विकास समिति को प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ३३२४—३८

श्री ए० के० चन्दा को वित्त आयोग का सभापति नियुक्त किये जाने के बारे में चर्चा ३३३९—५३

आधे घंटे की चर्चा के बारे में . ३३५३

दैनिक संक्षेपिका . ३३५४—६०

अंक २९—गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९६०/१ पौष, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५४ से १०५९, १०६१, १०६२, १०६४, १०६५, १०६७ और १०६८ . . . . ३३६१—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ से १० . ३३८४—८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६३, १०६६ और १०६९ से १०७९ ३३८९—९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २२२५ से २२७४ और २२७६ से २३११ . ३३९५—३४३१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ३४३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३४३१–३२

राज्य सभा सन्देश ३४३२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

कार्यवाही सारांश ३४३३

सभा का कार्य ३४३३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश . . . ३४३३

याचिका समिति—

कार्यवाही सारांश और ग्यारहवां प्रतिवेदन . . ३४३३

प्राक्कलन समिति—

एक सौ दोवां प्रतिवेदन ३४३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

रुद्रसागर, आसाम में तेल मिलने का समाचार . . ३४३४

	पृष्ठ
ई० एन० आई० के दल के साथ चर्चा के बारे में वक्तव्य .	३४३४—३६
बाल विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३४३६—६०
निर्वाचनआयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	३४६०—६५
राज्य व्यापार निग म के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	३४६५—६९
दैनिक संक्षेपिका . . .	३४७०—७६

अंक ३०—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९६०/२ पौष, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०८० से १०८९, १०९१ से १०९३ और १०९७	३४७७—३५०१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ से १४ . . .	३५०१—१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९०, १०९५, १०९६ और १०९८ से ११०६ .	३५१०—१५
अतारांकित प्रश्न संख्या २३१२ से २४०३ . . .	३५१५—६०
निधन सम्बन्धी उल्लेख	३५६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३५६०—६२
तीसरी पंवर्षीय योजना के प्रारूप संबंधी समितियों के कार्यवाही-सारांश .	३५६२–६३
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	३५६३
कार्यवाही-सारांश तथा दसवां प्रतिवेदन . . .	३५६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) गुजरात में तेल साफ करने का कारखाना . .	३५६४—६६
(२) दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों के झोंपड़ों का गिराया जाना	३५६६
(३) जम्मू तथा काश्मीर में विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास अनुदान और	
(४) शरणार्थियों को दंडकारण्य में ले जाने के बारे में योजना	३५६६
विधेयक पुरःस्थापित—	
(१) दण्ड विधि संशोधन विधयेक	३५६७
(२) द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक . .	३५६७
(३) विशिष्ट सहायता विधेयक	३५६७
(४) अवधि विधेयक	३५६८

	पृष्ठ
बाल विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३५६८—७३
खंड २ से ६० तथा १	३५७३
पारित करने का प्रस्ताव	३५७३—७५
तार विधियां (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३५७५—८०
खंड २ से ५ और १	३५८०
पारित करने का प्रस्ताव	३५८०
ब्रिटिश संविधियां (भारत पर लागू होना) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३५८०—८२
खंड २, ३ और १	३५८२
पारित करने का प्रस्ताव	३५८२
निरसन तथा संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—पारित .	३५८२–८३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . .	३५८३
पिचहत्तरवां प्रतिवेदन	३५८३
छोटे कलाकार (रोजगार का विनियमन) विधेयक [श्री नारायण गणेश गोरे का]—पुरःस्थापित	३५८३
गोवध पर प्रतिबन्ध (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक [पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" का]—	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत. . . .	३५८३–८४
भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक [श्री नरसिंहन् का]—वापस लिया गया परिचालित करने का प्रस्ताव	३५८५—८९
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १९८ का संशोधन) [श्री मती सुभद्रा जोशी का] . . .	३५८९–९०
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत . . .	३५९०
दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक (धारा १०७, १२९, १४४ का संशोधन और नई धारा १३१क का रखा जाना) [श्री तंगामणि का]—	
विचार करने का प्रस्ताव	३५९०—३६०५
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के बारे में आधे घंटे की चर्चा. .	३६०६—१५
कार्यवाही संबंधी उल्लेख	३६१५
दैनिक संक्षेपिका	३६१६—२४

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्नों में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPD—LS III—1724(Ai) LSD—12-1-61—115.

लोक-सभा

शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९६०
२५ अग्रहायण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उर्वरकों के मूल्य

+

†*९४४. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री महन्ती :
श्री हेम बरुआ :
डा० विजय आनन्द :
श्री मणियंगाडन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उर्वरक पूल के संचालन के दौरान उर्वरकों के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली नीति पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) यह निश्चय किया गया है कि जब तक केन्द्रीय उर्वरक पूल चलता है तब तक गैर-सरकारी देशीय फैक्टरियों में तैयार किये गये 'नाइट्रोजेनस' उर्वरक खरीदे जायेंगे। इसके लिये वही मूल्य दिया जायगा जोकि सरकारी क्षेत्र की फैक्टरियों के उसी प्रकार के उर्वरक के लिये दिया जाता है ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : राज्यों को दिये जाने वाले और उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले उर्वरकों के मूल्यों में क्या अन्तर होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1686(Ai) L.S.D.—1

†श्री सतीश चन्द्र : इस का निर्णय समय समय पर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मोटे तौर पर इसका आधार उर्वरक का कारखाना मूल्य, सभी उर्वरकों का 'पूल्ड' भाड़ा तथा उर्वरक में फसल पोषक तत्व होता है।

†श्री रंगा : पूल किये गये दामों पर जब सरकार अपना स्टाक बेच लेती है तो जो उर्वरक फालतू बचता है, उसके सम्बन्ध में उस की नीति क्या रहती है ?

†श्री सतीश चन्द्र : जो उर्वरक यहां निर्माण किये जाते हैं और जो विदेशों से आयात होते हैं उन दोनों को मिला कर भी इन की देश की मांग पूरी नहीं होती। अतः स्टाक के जमा होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। हां, कभी-कभी परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण स्टाक जरूर जमा हो जाता है।

†श्री रंगा : मेरे माननीय मित्र ने मेरी बात ठीक तरह से समझी नहीं है। मैंने ही प्रश्न को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। पूल किये गये मूल्यों पर स्टाक को बेच कर जो अतिरिक्त आय होगी (क्योंकि मैं इसे नफा नहीं कहना चाहता) उसका क्या किया जायेगा ?

†श्री सतीश चन्द्र : समय समय में इस बारे में समायोजन होता रहता है। परन्तु इस मंत्रालय का सम्बन्ध केवल उर्वरकों के उत्पादन से है। हम तो उर्वरक 'पूल' को निर्धारित मल्य पर बेच देते हैं। बाकी का हिसाब किताब करने का काम 'पूल' का है। इस प्रश्न का सविस्तार उत्तर प्राप्त करने के लिये खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को अलग प्रश्न का नोटिस देना चाहिये।

†डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री ने कहा है कि हम उर्वरक कारखाना-मूल्य पर बेचते हैं। सिंदरी में उर्वरक पर प्रति टन क्या उत्पादन व्यय फैलता है और किसानों को यह किस भाव पर प्राप्त होता है ?

†श्री सतीश चन्द्र : सिंदरी से सिंदरी का उर्वरक २९० रुपये प्रति टन के दर पर प्राप्त होता है। किसानों को वितरण करने के लिये मूल्य . . . . . .

†डा० राम सुभग सिंह : यह २९० रुपये प्रति टन के हिसाब से बिकता है, यह तो मैं जानता हूं। परन्तु सिन्दरी में प्रति टन उत्पादन व्यय क्या होता है, मैं यह जानना चाहता हूं ?

†श्री सतीश चन्द्र : जहां तक उत्पादन व्यय का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में सभी हानि लाभ का सविस्तार हिसाब किताब तैयार होते ही सभा पटल पर समय समय पर रख दिया जाता है। इसके लिये मैं माननीय सदस्य का ध्यान सिंदरी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अन्तिम प्रतिवेदन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

†डा० राम सुभग सिंह : मैं ने इस प्रतिवेदन में इस प्रकार की कोई बात नहीं देखी। यदि माननीय मंत्री जानते हों तो वह यह जानकारी दे दें।

†अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री इस मामले पर अभी प्रकाश डालने की स्थिति में हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूं और न इस प्रकार उत्पादन व्यय बताना ठीक ही है।

†डा० राम सुभग सिंह : तब वह यह क्यों कहते हैं कि प्रतिवेदन में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सतीश चन्द्र : इस सम्बन्ध में जो जानकारी उपलब्ध हो सकती है वह उस में दी गई है।

†अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर आश्चर्य होता है। यह सरकारी निकाय है और सदन उसका स्वामी है। इस सदन से कोई बात छिपाई नहीं जानी चाहिये, जब तक कि उस का गोपनीय रखना जन-हित के लिये आवश्यक न हो और उस के बताये जाने से सारा राष्ट्र खतरे में न पड़ता हो।

†श्री अ० मु० तारिक : यह लौह आवरण होना ही चाहिये।

†अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय का विश्वास किया जा सकता है तो उस से कहीं अधिक विश्वास सदन का किया जाना चाहिये। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि आखिर कृषि के हित में इस से नफा क्यों कमाया जाय ?

†श्री सतीश चन्द्र : मुझे खेद है कि मेरा आशय ठीक प्रकार से समझा नहीं गया। मैं ने यह कहा है कि इस दिशा में हानि, लाभ इत्यादि का सारा विवरण सभा-पटल पर रख दिया जाता है। मैं एक दम उत्पादन व्यय नहीं बता सकता क्योंकि उसका अनुमान वर्ष के अन्त में लगाया जाता है। इसका अनुमान सप्ताहों अथवा मासों के आधार पर तो लगाया नहीं जा सकता। मैं इतना आश्वासन दे सकता हूं कि वर्तमान अवस्था में सिंदरी कारखाना कोई नफा नहीं निकाल रहा।

†श्री ब्रजराज सिंह : एक औचित्य प्रश्न है।

†अध्यक्ष महोदय : किसी औचित्य प्रश्न की आवश्यकता नहीं। इस बात का निपटारा मैं करता हूं। क्या विदेशों से उर्वरकों का आयात किया जाता है ?

†कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

†अध्यक्ष महोदय : हम जानते हैं कि उसका मूल्य क्या है और वह किस दर पर बिकता है। जहाज के खर्चे का भी हमें पता है और भी उस पर प्रशुल्क इत्यादि देना पड़ता है उसको जोड़ कर प्रत्येक व्यापारी यह अनुमान लगा लेता है कि उसे क्या भाव पर कोई वस्तु मिली उसमें अपना नफा मिला लेने पर यह बेचने का दाम बन जाता है। 'पूल' को यह तो पता होना बड़ा आवश्यक है कि जो चीज उत्पादित होती है उसका मूल्य क्या है। और उस वस्तु का उत्पादन भी यहां होता है। क्या माननीय मन्त्री यह कहते हैं कि प्रति टन मूल्य प्रतिवेदन में सविस्तार दिया है ?

†श्री सतीश चन्द्र : जी, हां।

†अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन में ही।

†श्री सतीश चन्द्र : जी, हां।

†अध्यक्ष महोदय : तो स्थिति यह है कि मन्त्री महोदय इसके बारे में इस समय कुछ नहीं बता सकते, और उन्होंने सदन को प्रतिवेदन का हवाला दिया है। बस मामला यहां खत्म होता है।

†श्री सतीश चन्द्र : गत वर्ष का चालू वर्ष का मैं नहीं दे सकता।

†अध्यक्ष महोदय : मैं पिछले अथवा चालू वर्ष का नहीं पूछ रहा। यदि कोई संसदीय सचिव प्रश्न का उत्तर दे रहा हो तो हो सकता है कि वह सारी बातों का सविस्तार उत्तर न दे सके। यहां वाणिज्य मन्त्रालय के चार मन्त्री हैं और उनके बड़े मंत्री हैं और वह एक उपक्रम को चला रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मामले में राजनीति का रही है और हम एक प्रकार के व्यापारिक राज्य बनाते जा रहे हैं। हमने तो समाजवादी समाज का सिद्धान्त समक्ष रखा है। अतः मन्त्री महोदय को सारी स्थिति का आदि अन्त पाता न हो कि वह किस भाव बिकती है और किस भाव आती है, तो यह बड़े आश्चर्य की बात है।

†श्री सतीश चन्द्र : मैंने बताया है कि २९७ रुपये प्रतिटन के भाव से इसे बेचा जाता है।

†अध्यक्ष महोदय : मुझे भय है कि युवक मन्त्री समय से पूर्व ही वृद्ध हो रहे हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मेरे सहयोगी का मतलब था कि उत्पादन व्यय में समय समय पर कमी बढ़ती होती रहती है। अतः यह भी स्वाभाविक है कि सदन यह जानना चाहेगा.....

†अध्यक्ष महोदय : क्या प्रतिदिन इसमें अन्तर आ जाता है ?

†श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं ; बात यह है कि सिंदरी फैक्टरी में नफा होता रहा है लागत का भी अनुमान लगाया जा रहा है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि किसी समय अवधि की लागत बतायी जाये तो हम उसे बताने को तैयार हैं। व्यापारिक उपक्रमों में लोकहित की दृष्टि से ही उत्पादन व्यय नहीं बताया जाता परन्तु आपका कहना सत्य है कि यह परियोजना सारे राष्ट्र की है और माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि वह उत्पादन व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। जिस काल के उत्पादन व्यय को बताने के लिये कहा जायेगा उसका उत्पादन व्यय हम बता देंगे।

†श्री रामानन्द चेट्टियार : एक औचित्य प्रश्न है। माननीय उद्योग उपमंत्री ने कहा है कि सिंदरी कारखाना घाटे वाला उपक्रम है परन्तु उद्योग मन्त्री कहते हैं कि उससे नफा होता है। किस बात को सत्य माना जाय ?

†श्री सतीश चन्द्र : यह सारी भ्रान्ति चालू वर्ष और गत वर्ष के हिसाब किताब के सम्बन्ध में है। गत वर्ष के बारे में हमें पूरी जानकारी है और प्रतिवेदन को लोक-सभा पटल पर रख भी दिया गया था। उसमें हानि लाभ का ब्यौरा भी दिया गया था और यह भी बताया गया था कि किस मूल्य पर 'पूल' को उर्वरक बेचे जाते हैं। चालू वर्ष के बारे में कठिनाइयां हैं। सिंदरी जो नफा निकाला करती थी अब वह नहीं निकाल रही। स्थिति में काफी अन्तर आ गया है और इसका लेखा जोखा भी समयानुसार सदन के समक्ष आ जायेगा।

†श्री त्यागी : अभी अभी मानदीय मन्त्री ने कहा है कि सिंदरी ने कुछ नफा दिया है, अन्य मंत्री कहते हैं कि नफा नहीं होता रहा। क्या सिंदरी कारखाने के उच्चतम नफे की सीमा निर्धारित की है। यह हो सकता है कि नफे की मात्रा अधिक और कम हो जाय परन्तु उसके उच्चतम नफे की सीमा तो होगी ?

†श्री सतीश चन्द्र : उच्चतम सीमा कोई निर्धारित नहीं है। परन्तु सिंदरी में जो नफा लिया जाता है वह अन्य औद्योगिक निकायों के मुकाबले में बहुत ही थोड़ा है। ये सब बातें प्रतिवेदन में दी गयी हैं और वह प्रतिवेदन संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है।

†श्री त्यागी : कारखाने के व्यवस्थापक उर्वरक को जिस मल्य पर वे चाहें, बेच देते हैं अथवा कोई मल्य निर्धारित है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : एक 'पूल' है जिसका संचालन खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के हाथ है। उनके परामर्श से मूल्य निर्धारित कर दिये जाते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : उर्वरकों की कमी और काला बाजार के बढ़ जाने के कारण क्या सरकार ने इस बात की कोई व्यवस्था की कि जो निर्धारित दर है उसी दर पर उपभोक्ताओं को उर्वरक उपलब्ध हो और उनकी कोटि भी खराब न हों ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मेरे विचार में ये प्रश्न खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय से पूछे जाने चाहियें। वही मन्त्रालय इसके 'पूल' का संचालन करता है। हम तो उर्वरकों के उत्पादन का कार्य करते हैं और फैक्टरी के दाम पर उनको दे देते हैं।

कुछ माननीय सदस्य उठे--

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिये जाते हैं। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने यह बात स्वीकार की थी कि प्रत्येक सप्ताह हम दो प्रतिवेदनों पर चर्चा करेंगे। हम ऐसा कर भी रहे हैं। किसी माननीय सदस्य ने यह नोटिस नहीं दिया कि सिंदरी फैक्टरी सम्बन्धी प्रतिवेदन पर भी विचार किया जाये। परन्तु जब कोई प्रश्न प्रस्तुत हो जाता है तो सब माननीय सदस्य प्रश्न पर प्रश्न पूछने लगते हैं। मैंने काफी प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : यह प्रश्न मेरे नाम पर भी था।

प्रसारित किये जाने वाले लेखों के लेखक

***९४५. श्री भक्त दर्शन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि आकाशवाणी के लिये अंग्रेजी के लेखकों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है उससे कहीं कम पारिश्रमिक हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आकाशवाणी की विभिन्न यूनिटों के लिये विभिन्न भाषाओं में लिखने के लिये निर्धारित पारिश्रमिक की दरों पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) यदि कोई अन्तर हो, तो उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी) : (क) से (ग). जी, नहीं। अंग्रेज़ी अथवा भारतीय भाषाओं की रचनाओं के प्रसारण के लिए उनके लेखकों को दी जाने वाली फ़ीस में कोई भेद नहीं किया जाता; न इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायतें ही मिली हैं। सभा की मेज़ पर रखे गये विवरण में लेखकों को दी जाने वाली फ़ीस की जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं, वे बिना भाषा के भेदभाव के सभी लेखकों को लागू हैं। **[दखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५६]** हर लेखक के लिये फ़ीस गुणाधार पर तै की जाती है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, शासन की ओर से जो स्पष्टीकरण किया गया है उसके बावजूद भी क्या यह सत्य नहीं है कि अधिकांश मामलों में जो हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के लेखक हैं, व्यवहार में यह देखा गया है कि उनको कम पारिश्रमिक दिया जा रहा है और क्या इसके सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की जायेगी ?

श्री आ० चं० जोशी : यह सही नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : चूंकि इस सम्बन्ध में काफी भ्रम फैला हुआ है तो क्या माननीय मंत्री इस बारे में कोई नया आदेश प्रसारित करने की कृपा करेंगे ताकि जो भी भ्रम इस तरीके का हो, वह दूर हो जाये और जहां कहीं भी इस तरह की गलतफहमी हो वह दूर हो जाये ?

डा० केसकर : अगर कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं तो उसके लिये हर बार इसका निराकरण करना बड़ा मुश्किल है लेकिन जो अभी जवाब दिया गया उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि फ़ीस लेखक को विद्वता और उसकी योग्यता पर निर्धारित की जाती है उसकी भाषा पर निर्धारित नहीं की जाती है ।

†**श्री सूपकार :** यह जो १० रुपये से लेकर ७५ रुपये तक का फीस क्रम है, यह कब निर्धारित किया गया था ? क्या इसके अन्तिम पुनरीक्षण किये जाने के बाद ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि यह फ़ीस काफ़ी नहीं है ?

†**डा० केसकर :** यह तो शिकायत हुई थी कि फ़ीस काफ़ी नहीं है । यह भी मैं नहीं कह सकता कि इसका अन्तिम पुनरीक्षण किस तिथि को हुआ । पहले यह ४० से ५० रुपये तक थी फिर इसे बढ़ा कर ७५ रुपये कर दिया गया था । यह भी परिपाटी है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारणों पर लगभग १०० रुपये की विशेष फ़ीस दी जाती है । इसमें भाषा का कोई प्रश्न नहीं होता ।

†**श्री हेडा :** गत वर्ष में १०० और ७५ रुपये की अधिकतम राशि प्राप्त करने वाले अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** ये आंकड़े उनके पास कैसे हो सकते हैं ?

†**डा० केसकर :** सैकड़ों लोग प्रसारण करते हैं, इसकी संख्या बताना सम्भव नहीं है । यह भी ठीक नहीं है कि लेखकों के व्यक्तिगत गुण-दोषों पर यहां चर्चा की जाये ।

डा० गोविन्द दास: अभी मंत्री जी ने यह कहा कि यह पुरस्कार लेखक की योग्यता के अनुसार दिया जाता है तो क्या यह बात सही नहीं है कि एक विशिष्ट विषय के ऊपर अंग्रेजी में और उसी विषय के ऊपर हिन्दी या दूसरी जो भारतीय भाषाएं हैं, उनमें आपस में अन्तर पड़ता है और अंग्रेजी वाले को अधिक मिलता है, वह अधिक योग्य माना जाता है और उसी विषय पर दूसरी भाषा में लिखने वाला व्यक्ति कम योग्य माना जाता है ?

डा० केसकर : मैंने पहले भी कहा कि विषय की योग्यता पर फ़ीस नहीं दी जाती है, लेखक की योग्यता पर फ़ीस दी जाती है और मैं समझता हूं कि यही सिद्धान्त ठीक है क्योंकि भाषा के ऊपर या विषय के ऊपर फ़ीस को निर्धारित करना ठीक नहीं है ।

डा० गोविन्द दास : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि उसी विषय पर एक अंग्रेजी वाले से लिखवाया जाता है और उसी विषय पर और दूसरी भाषाओं वाले से लिखवाया जाता है तो उनमें से कौन अधिक योग्य है इसके निर्णय करने का कौन सा मापदंड है ?

डा० केसकर : आल इंडिया रेडियो तय करेगा कि उनमें से कौन अधिक योग्य है ?

श्री अ० मु० तारिक : क्या म जान सकता हूं कि क्या यह हकीकत नहीं है कि सिर्फ लेखकों को ही नहीं बल्कि आल इंडिया रेडियो में जो हिन्दुस्तानी जबानों के स्टाफ आर्टिस्ट हैं उनकी तनख्वाहें और उनकी फ़ीस उन लोगों के मुकाबले में कम है जो कि गैर-मुल्की जबानों में काम करते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : लेखकों को अथवा प्रसारणों को ?

†श्री अ० मु० तारिक : दोनों को। आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट्स भी इसमें आते हैं।

†डा० केसकर : यह प्रश्न बिल्कुल भिन्न है। माननीय सदस्य इसकी पूर्व सूचना दें तो मैं इसका उत्तर दे सकूंगा।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उन कलाकारों के बारे में पूछ रहे हैं जो वहां नौकर हैं।

†श्री अ० मु० तारिक : वे लोग भी जो साहित्यिक चर्चा में भाग लेते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा मामला है। इस प्रश्न के अन्तर्गत उसे नहीं लिया जा सकता।

†श्री आचार : विवरण में कहा गया है कि फ़ीस कम और अधिक होना 'स्क्रिप्ट' के गुण-दोषों पर आधारित होता है। इस प्रकार के गुण-दोषों की कोटि का निर्धारण करने की क्या व्यवस्था है ? क्या इस मामले में विभिन्न भाषाओं के निर्णायक हैं ?

†डा० केसकर : 'स्क्रिप्ट' की छानबीन करने वाले सलाहकार विशेषज्ञ होते हैं। लेखक की सलाह से भी कई बार 'स्क्रिप्ट' का पुनरीक्षण किया जाता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि आकाशवाणी से जो लेख प्रसारित किये जाते हैं उनमें आकाशवाणी के केन्द्रों पर कार्य करने वाले वैतनिक कार्यकर्ताओं के लेख भी प्रसारित किये जाते हैं, यदि हां, तो क्या उनको कुछ अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है और उसका प्रतिशत क्या कुछ निर्धारित किया गया है ?

डा० केसकर : आकाशवाणी में जो कर्मचारी काम करते हैं वे यदि कुछ लेख प्रसारित करेंगे तो उसके लिये उन्हें कुछ नहीं दिया जा सकता। जो सरकारी कर्मचारी आकाशवाणी के कर्मचारी न हों, यदि वे प्रसारित करते हैं, तो उनका फिनांस मिनिस्ट्री के एक रेग्युलेशन के मुताबिक अधिक से अधिक रकम दी जा सकती है। वह बहुत कम होती है और यह नियम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के कर्मचारियों पर लागू हैं।

†श्री अ० मु० तारिक : यदि माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो मेरे प्रश्न का उत्तर देने में क्या कठिनाई है ? यह वही प्रश्न है जिसे माननीय सदस्य ने थोड़े अन्तर के साथ प्रस्तुत कर दिया है।

†अध्यक्ष महोदय : बस यही तो अन्तर है।

†श्री तंगामणि : विवरण में केवल नाटकों और स्क्रिप्टों का ही उल्लेख है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोग विशेष विषयों पर अंग्रेजी अथवा प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण करते हैं, क्या फ़ीस के मामले में उनमें कोई भेद-भाव किया जाता है, यदि हां, तो इस मामले में अधिक से अधिक क्या दिया जाता है ? हमें बताया गया है कि नाटकों और रूपकों के लिये ७५ से १०० रुपये तक दिया जाता है।

†डा० केसकर : मैंने बताया है कि यह बात व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व तथा योग्यताओं को देख कर निर्धारित की जाती है। इसमें भाषा इत्यादि का कोई प्रश्न नहीं होता। यदि सार्वजनिक जीवन का कोई व्यक्ति अपना भाषण प्रसारित करता है तो भाषा के आधार पर उसकी फ़ीस में अन्तर नहीं होगा। और यह सिद्धान्त लगभग सभी पर लागू होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक डिजाइन संस्था

+

†*९४७. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पांगरकर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक डिजाइन संस्था की स्थापना के बारे में फोर्ड फाउन्डेशन के जरिये प्रस्तुत योजनाओं पर इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). औद्योगिक डिजाइन संस्था के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में जो प्रस्थापनायें विदेशी सलाहकारों ने प्रस्तुत की थीं वे अभी विचाराधीन हैं ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : इस दिशा में जिन विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की गयी हैं, उनके नाम क्या हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : श्री और श्रीमती ईम्स ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या सरकार को पंजाब सरकार से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि यह संस्था पंजाब में स्थापित की जाये ?

†श्री मनुभाई शाह : नहीं; ऐसा नहीं था। वास्तव में सलाहकारों ने घूम फिर कर यह देखा कि किस स्थान पर औद्योगिक डिजाइन और ठीक तरह के प्रबन्धक उपलब्ध हो सकेंगे। उनकी सिफारिश है कि यह अहमदाबाद में स्थापित की जाये ।

दिल्ली में ग्रामोद्योग संग्रहालय

†*९४८. श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक ग्रामोद्योग संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसे बनाने में कितना खर्च होगा ; और

(ग) इस संग्रहालय में कौन कौन सी चीजें प्रदर्शित की जायेंगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). अपेक्षित विवरण नीचे दिया जाता है ।

विवरण

आयोग द्वारा राजघाट के गांधी राष्ट्रीय स्मारक भवन में एक खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है । इस सम्बन्ध में १० हजार रुपये की तदर्थ राशि व्यय के लिये स्वीकृत की गयी थी । परन्तु वास्तव में व्यय क्या हुआ इसकी अभी जांच पड़ताल नहीं हुई । प्रदर्शनी का उद्देश्य खादी तथा ग्रामोद्योगों की सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठ भूमि को प्रदर्शित करना था और यह

†मूल अंग्रेजी में

भी बताना था कि मजूरी और रोजगार पर प्रभाव डालने की इसकी क्षमता क्या होगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन १९६० में गांधी जयन्ती के अवसर पर हुआ था।

†**श्री प्र० के० देव :** क्या विदेशों में और देश के विभिन्न भागों में इसी प्रकार के संग्रहालय स्थापित किये जा रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** अभी तो यह देश के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों तक ही सीमित रहेंगे, परन्तु खादी उद्योग का विचार खादी के छींट और रंगदार खादी के निर्यात को प्रोत्साहन देने का है। इसके लिये जहां भी विदेशों में हमारी दूकानें अथवा प्रदर्शनालय हैं वहां इन चीजों को प्रदर्शित किया जायेगा।

†**चौ० रणवीर सिंह :** क्या ग्रामोद्योग द्वारा उत्पादित चीजों के स्थायी प्रदर्शन करने के लिये नयी दिल्ली में कोई प्रबन्ध करने की प्रस्थापना है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** शायद माननीय सदस्य को पता नहीं, इसका प्रबन्ध पहले ही नयी दिल्ली में है।

†**चौ० रणवीर सिंह :** संग्रहालय और प्रदर्शनालय में अन्तर होता है।

†**श्री मनुभाई शाह :** माननीय सदस्य जानते ही होंगे कि नयी दिल्ली के कनाट प्लेस में हमारा बहुत बड़ा एम्पोरियम है, जहां इस प्रकार की सभी चीजों का प्रदर्शन किया जाता है। दूसरा कोई एम्पोरियम स्थापित करने का विचार नहीं है। कनाट प्लेस के पास ही एक हथकरघा एम्पोरियम है, ये सभी चीजें वहां भी रखी रहती हैं।

मछली का तल

†*९४९. **श्री कोडियान :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी फिल हाल कितने कारखाने मछली से तेल निकालने के काम में लगे हुए हैं ?

(ख) इन कारखानों ने कुल कितना मछली का तेल निकाला है ;

(ग) क्या मछली का तेल निकालने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ और कारखाने खोलने की सरकार की कोई योजना है ;

(घ) यदि हां, तो कितने कारखाने खोले जायेंगे ; और

(ङ) नये कारखानों की अनुमानित लागत कितनी होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे तीन कारखानों में फार्मेस्युटिकल ग्रेड का शार्क लिवर आयल का उत्पादन हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५८ में कुल उत्पादन ९०,५४१ लिटर (१९,८९९ गैलन) था। १९५९ में यह उत्पादन ९३,४३१ लिटर (२०,५३४ गैलन) था [तेल की प्रति ग्राम विटामन (ए) एक्टिविटी की ६,००० आई० यू० के अनुसार]

(ग) से (ङ). तीसरी योजना के अन्तर्गत मछली के तेल के उद्योग के सुधार के लिए निम्न राज्यों द्वारा निम्नलिखित योजनाओं की प्रस्थापना है।

१. केरल

कालीकट की सरकारी तेल फैक्टरी का विस्तार और आधुनिकीकरण	४ लाख रुपये
कालीकट के सरकारी तेल कारखाने में मछली के तेल का जमाना	१५ लाख रुपये

२. गुजरात

शार्क लिवर आयल यनिट और शोधन संयंत्र	२.१६ लाख रुपये

३. महाराष्ट्र

शार्क लिवर आयल निकालने के कारखाने की स्थापना तथा 'फ़िश मील' संयंत्र लगाना	१.०१ लाख रुपये

४. पश्चिमी बंगाल

पश्चिमी बंगाल में शार्क लिवर आयल और फ़िश-मील के उत्पादन की वर्तमान दर में वृद्धि करना	२.६७ लाख रुपये

५. अंडमान

शार्क लिवर आयल और 'फिश मील' का उत्पादन	२.०० लाख रुपये

इन योजनाओं को तीसरी योजना में सम्मिलित करना स्वीकार कर लिया गया है।

†श्री कोडियान : विवरण से पता चलता है कि इस उद्योग के विकास के व्यापक क्षेत्र हैं, परन्तु इसे राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया गया है। केन्द्रीय सरकार का इस उद्योग के विकास में क्या अंश है और वह इसके लिए राज्य सरकारों की क्या सहायता कर रही है?

†श्री मनुभाई शाह : यह तो बताया गया है कि यह मध्यम ढंग के उपक्रम हैं, इन उपक्रमों को राज्य सरकारें चला रही हैं। कुछ मामलों में गैर-सरकारी निकाय भी इस उद्योग को चला रहे हैं। हम इसके लिए राज्य सरकारों और कुछ मामलों में गैर-सरकारी निकायों को भी सहायता देते हैं। इन तेल आधारित उद्योगों का विकास करने के लिए हम अन्य प्रकार के प्रशिक्षण की सुविधायें भी इनको प्रदान करते हैं।

†श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छा उच्च कोटि का और सस्ता शार्क लिवर आयल उत्पादित कर रही हैं; यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके देश में आयात किये जाने पर रोक लगा दी है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : थोड़ी सी मात्रा में प्रोप्राइटरी प्राडक्ट्स को छोड़ कर लगभग सभी शार्क लिवर आयल के आयात पर प्रतिबन्ध है। महाराष्ट्र ने इस दिशा में जो प्रगति की है उसे तो विवरण में भी दिखाया गया है।

†श्री कोडियान : इस प्रकार के तेल के अतिरिक्त सरकार ने अन्य प्रकार के मछली के तेल को भी औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाने की गुंजाइश पर विचार किया है, जैसे कि साबुन, बनस्पति इत्यादि के निर्माण पर ?

†श्री मनुभाई शाह : बनस्पति के सम्बन्ध में, जैसा कि सदन को पता है, लोगों को इस बारे में बहम है कि बनस्पति तेल अथवा खाने वाले तेल अच्छे होते हैं। यही बात साबुन निर्माण के बारे में भी कही जा सकती है। अन्य औद्योगिक कार्यों के लिए अन्य प्रकार के मछली के तेल प्रयोग में लाये जाते हैं।

†श्री वारियर : अब इन तेलों की मांग के बारे में भारत में स्थिति क्या है ?

†श्री मनुभाई शाह : इसका अनुमान नहीं लगाया गया। यह हम बता चुके हैं कि १९५९ में इस बारे में उत्पादन ६३३४१ लिटर हुआ है। आगे भी उत्पादन के बढ़ने की सम्भावना है ;

†श्री नंजप्प : क्या केन्द्र में तीसरी योजना के अन्तर्गत और संयंत्र नहीं लगाया जा रहा है ; यदि हां, तो इसका विस्तार से कारण क्या है ?

†श्री मनुभाई शाह : आन्ध्र प्रदेश की ओर से कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई। यदि आये तो हम निश्चित उसका स्वागत करेंगे।

†श्री तंगामणि : विवरण में बताया गया है कि १९ लाख रुपये केरल सरकार को दिये जा रहे हैं। क्या यह सारी राशि केन्द्रीय सरकार ही देगी अथवा इसमें राज्य सरकार का भी कुछ अंश होगा ? क्या अन्य सरकारें भी जिनके पास इस दिशा की प्रस्थापनायें हैं, इसमें सम्मिलित की जायेंगी, क्योंकि विवरण में केवल ५ ही राज्य सरकारों का उल्लेख है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह दो अलग-अलग भाग हैं, कारखाने का जहां तक सम्बन्ध है, हम केवल ऋण देते हैं कोई अनुदान नहीं देते, परन्तु प्रशिक्षण अन्य अग्रिम परियोजनाओं के लिए अनदान भी दिये जाते हैं।

निर्यात व्यापार

†*९५०. { श्री प्र० चं० बरुआ :†
श्री पांगरकर :
श्री सरजू पाण्डेय : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्द्धन-निदेशालय ने हमारे निर्यात व्यापार की मुख्य-मुख्य वस्तुओं के बारे में कोई निर्यात योजना बनायी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री(श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). १६५ वस्तुओं के लिये जिन में भारत का लगभग ९० प्रतिशत निर्यात होता है, १९६०-६१ में संभव निर्यातों का एक अग्रिम अनुमान निर्यात संवर्धन परिषदों, पदार्थ बोर्डों आदि के परामर्श से किया गया है। देश में उत्पादन के अनुमानों, संभव उपभोग तथा विदेशों में होने वाली मांग को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया गया है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या निदेशालय ने चाय को भी सूची में लिया है और यदि हां, तो उसका लक्ष्य कितना है और यह किन देशों को भेजी जायेगी?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जैसा मैंने कहा यह अनुमान वर्ष के आरम्भ में किये गये थे। हम ने इस वर्ष के निर्यात के लिये चाय बोर्ड और अन्य संबद्ध पक्षों के परामर्श से ४,८०० लाख पौंड का अनुमान किया था। किन्तु अब हम देखते हैं कि वर्ष के आरंभिक भाग में सूखा की स्थिति के कारण यह लक्ष्य पूरा होने की संभावना नहीं है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार चाय उद्योग को कुछ और उर्वरक देने का विचार रखती है ताकि वे निर्यात की कमी को पूरा करने के लिये अपना उत्पादन बढ़ा सकें?

†**श्री सतीश चन्द्र** : साल में उत्तर पूर्व क्षेत्र को १५००० टन अतिरिक्त उर्वरक आवंटन करने का फैसला किया गया है।

†**श्री दामानी** : माननीय मंत्री ने कहा है कि १६५ वस्तुओं के बारे में निर्यात संवर्धन का प्रबन्ध किया जा रहा है। इनका कुल निर्यात लक्ष्य क्या है?

†**श्री सतीश चंद्र** : लग भग ६०० करोड़ रुपये।

†**श्री दामानी** : ६०० करोड़ रुपये में से, हम अब तक कितना निर्यात कर सके हैं?

†**श्री सतीश चन्द्र** : अब तक का निर्यात पिछले वर्ष की अपेक्षा बेहतर रहा है, परन्तु सूखा की स्थिति के कारण, चाय, पटसन माल और सूती वस्त्र (कपास की फसल में कमी होने के कारण) और तिलहनों के निर्यात पर कुप्रभाव पड़ा है। परन्तु इस वर्ष में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक निर्यात होने की संभावना है।

†**श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या पटसन माल, जो अकेला ही सब से अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है, उस के लिये पुराने बाजारों के अतिरिक्त नये बाजार ढूंढने की कोई योजना है?

†**श्री सतीश चन्द्र** : पटसन माल के लिये नए बाजार ढूंढने का लगातार प्रयत्न हो रहा है। सीमित करने का कारण बाजार नहीं है बल्कि देश में फसलों और अधिक उत्पादन की उपलब्धि है। हाल ही में हम बहुत से देशों को रुपया भुगतान व्यवस्था के मुकाबले में पटसन बेच सके हैं और अफ्रीका में भी नये बाजार ढंढे गये हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्योंकि चाय से हमें सबसे अधिक विदेशी मुद्रा मिलती है, देश से कितने मूल्य का चाय का निर्यात होता है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सतीश चन्द्र : इस वर्ष निर्यात का मूल्य कम निर्यातों के कारण पिछले वर्ष की अपेक्षा कम होगा क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में चाय की फसल ४५० लाख पौण्ड कम थी परन्तु फिर भी मूल्य में कमी उतनी मात्रा तक नहीं होगी क्योंकि इस वर्ष मूल्य गत वर्ष से अच्छे हैं।

†श्री मुरारका : निर्यात संवर्धन के इस नवीन निदेशालय की स्थापना से लेकर हमारे निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है और किन-किन देशों को ?

†श्री सतीश चन्द्र : माननीय सदस्य को विदित है कि पिछले वर्ष में निर्यात उससे पिछले वर्ष की अपेक्षा ६५ करोड़ रुपये के मूल्य तक अधिक था। हमारी मुख्य वस्तुओं के मामले में सब कठिनाइयों के बावजूद, इस वर्ष निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में कम होने की संभावना है।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : पिछले वर्ष निर्यात ६२२ करोड़ रुपये था। मैं समझता हूं कि इस वर्ष निर्यात ६०७ करोड़ रुपये का होगा। फिर मंत्री जी कैसे कहते हैं कि निर्यात में वृद्धि हुई है ?

†श्री सतीश चन्द्र : यह वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : मैं पिछले लेखा वर्ष का उल्लेख कर रहा हूं।

†अध्यक्ष महोदय : यह वर्ष मार्च में पूरा होगा।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : मेरा अभिप्राय पिछले वर्ष से है।

†श्री सतीश चन्द्र : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने कैसे हिसाब लगाया है।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : १९५९-६०।

†श्री सतीश चन्द्र : परन्तु तथ्य यह है कि पिछला वर्ष उस से पहले वर्ष से बेहतर था। चालू वर्ष पिछले वर्ष जैसा है।

भजंग के राजा

†

†*९५१. श्री हेम बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नेपाल में भजंग के स्थानीय राजा के लड़के ओमजंग ने, जिसने नेपाल के विरुद्ध विद्रोह किया था, भारत में पनाह ली है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : ज्ञात हुआ है कि ओमजंग अक्टूबर, १९६० में लखनऊ पहुंचे थे और उसके बाद वह बंगलौर चले गये हैं। नेपाल से भारत आने जाने पर नेपाली व्यक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि यह राजकुमार भजंग की रियासत में हुए स्थानीय विद्रोह के कारण ही यहां आये हैं? क्या **...***

†अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करने से क्या लाभ है? केवल इसलिये कि हमें इस सभा में कुछ भी कह देने का विशेषाधिकार प्राप्त है, हमें व्यर्थ में ही इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये। वे नेपाल के एक राजकुमार हैं। हमें उनके प्रति आदर दिखाना चाहिये और फिर आदर प्राप्त करना चाहिये। किसी भी माननीय सदस्य को यह नहीं समझना चाहिये कि उसे उस प्रकार के शब्द कहने का विशेषाधिकार प्राप्त है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। मैं चाहता हूं कि इस सभा को बाहर भी यथासंभव अधिक से अधिक आदर प्राप्त हो। उक्त शब्द उचित नहीं हैं। अतः मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे स्वयं ही इन शब्दों को वापिस ले लें अन्यथा मैं इन शब्दों को निकलवा दूंगा।

†श्री हेम बरुआ : मुझे इस बात का खेद है।

†श्री ब्रजराज सिंह : परन्तु वे नेपाल के राजकुमार नहीं हैं। यह याद रखना चाहिये।

†अध्यक्ष महोदय : वह चाहे कोई भी हों। आखिर वे भी अन्य भारतीय नागरिकों के समान ही भारतीय नागरिक हैं। यदि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं और विदेशी हैं तो उस स्थिति में उनका आदर और भी अधिक करना चाहिये। हम आपस में भले ही झगड़ लें, परन्तु दूसरों का आदर अवश्य करना चाहिये।

†श्री हेम बरुआ : मुझ इस बात का खेद है कि मैंने वे शब्द बोले हैं। परन्तु जैसा कि मैंने पहले भी एक बार निवेदन किया था अंग्रेजी मुझे बहुत अच्छी नहीं आती।

†अध्यक्ष महोदय : तो अब मैं माननीय सदस्य से आसामी भाषा में बोलने के लिये कहा करूंगा।

†श्री हेम बरुआ : तो क्या मैं प्रश्न भी आसामी भाषा में पूछ सकता हूं?

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि पश्चिमी नेपाल के भजंग रियासत में हुआ यह स्थानीय विद्रोह वर्तमान नेपाली राज्य शासन परिवर्तन का ही एक भाग था जिसके द्वारा नृप ने सम्पूर्ण साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली है? यदि हां, तो क्या इस राजकुमार को यहां पर रहने की अनुमति दे कर हम अपने पड़ौसी देश में प्रतिक्रियावादी शक्तियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं?

†अध्यक्ष महोदय : वे शब्द कार्यवाही में से निकाल दिये जायेंगे।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य ने अपने दो तीन वाक्यों में ही भारत सरकार के विरुद्ध कुछ आक्षेप लगाये हैं और संभवतः

---

†मूल अंग्रेजी में

...*यह अंश अध्यक्ष के आदेश से निकाल दिया गया।

कुछ आक्षेप नेपाल सरकार पर भी किये हैं। मैं नहीं समझता कि इनकी यहां पर क्या संगतता है। हमारा इन सभी बातों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं, सिवाय इसके कि एक व्यक्ति यहां आया है, उनके लिये यहां आने के लिये किसी विशेष पारपत्र की आवश्यकता नहीं है। वे यहां आये, हमने उनको रोकने के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किये थे। वे अभी हमारे देश में हैं, वे इस समय बंगलौर में हैं। बस इसके अतिरिक्त हमें और कुछ भी ज्ञात नहीं है कि किस ने उन्हें यहां भेजा है, यहां कैसे आये हैं और किस प्रयोजन के लिये आये हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं ने कुछ भी आक्षेप नहीं किये हैं। मैं तो केवल यही जानना चाहता था कि क्या नेपाल की वर्तमान स्थिति और इन राजकुमार के भाग कर यहां आ जाने में कोई सम्बन्ध है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूं? वे तो कुछ समय पहले ही यहां आ गये थे और नेपाल में यह स्थिति अब पैदा हुई है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्योंकि कल ही नेपाल में एक अत्यन्त असाधारण घटना घटी है, तो क्या सरकार अब इस सम्बन्ध में जांच करेगी कि क्या भजंग के राजकुमार का इन घटनाओं से कोई सम्बन्ध था?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं है। यह तो केवल एक सुझाव है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप**: अब जब कि नेपाल की स्थिति में पूर्णतया परिवर्तन आ चुका है, तो क्या हमारी सरकार के लिये यह उचित न होगा कि वह इन राजकुमार से कह दे कि वे नेपाल वापिस लौट जायें और नेपाल के नरेश की सेवा में कार्य करें?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह भी केवल एक सुझाव है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या यह सच है कि इस राजकुमार के पिता हजारीबाग जिले में अभ्रक का व्यापार करते रहे हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सरकार और इस सभा को जानकारी दे रहे हैं।

प्राकृतिक रबड़

†***९५२. श्री वारियर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राकृतिक रबड़ की पैदावार इस वर्ष बढ़ी है या घटी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी बढ़ी है या घटी है; और

(ग) प्राकृतिक रबड़ की अधिक घनी खेती और सम्पूर्ण उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). इस वर्ष के शुरू के नौ महीनों में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में १९५९ की उक्त अवधि के उत्पादन की तुलना में ११५३ मीट्रिक टनों की वृद्धि हुई है।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

देश में रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कायवाहियां की गयी हैं :—

(१) रबड़ बोर्ड द्वारा १० वर्षों की अवधि में कम उत्पादन की ७०,००० एकड़ भूमि में उनके स्थान पर अधिक उत्पादन की किस्मों के पौधे लगाने की योजना १९५७ से कार्यान्वित की जा रही है। उस योजना के अधीन काश्तकारों को २५० से ४०० रुपये प्रति एकड़ राजकीय सहायता देने की व्यवस्था है। लगभग १०,६४५ एकड़ की भूमि में फिर से पौधे लगाये जा चुके हैं और इस योजना के अधीन काश्तकारों को रबड़ बोर्ड द्वारा २०,२१,७८१ रुपये दिये जा चुके हैं। इस योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिये इस वर्ष से राजकीय सहायता की राशि को बढ़ा कर १,००० रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है।

(२) रबड़ बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष काश्तकारों को राजकीय सहायता प्राप्त दरों पर अधिक उत्पादन के बीज भी संभरित किये जाते हैं।

(३) वर्तमान छोटे उत्पादकों को अपने क्षेत्रों को लाभप्रद स्तरों तक अर्थात् ५ से १५ एकड़ के क्षेत्र तक बढ़ाने के लिये ७५० रुपये प्रति एकड़ का ब्याज रहित ऋण देने के सम्बन्ध में एक योजना मंजूर कर दी गई है। वृक्षों से रबड़ पैदा होने लगने के बाद उनसे वह ऋण सुविधाजनक किस्तों में वापिस लिया जायेगा।

(४) अन्दमान और निकोबर द्वीपों में रबड़ की काश्त को विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

(५) केरल राज्य में रबड़ की काश्त के विस्तार के सम्बन्ध में केरल सरकार द्वारा भेजी गई योजना योजना आयोग के विचाराधीन है।

†श्री वारियर : विवरण में यह बताया गया है कि इस योजना के अधीन राजकीय सहायता के लिये व्यवस्था की गई है। तो क्या यह राजकीय सहायता यूरोपीय बागान मालिकों को भी दी जायेगी या कि केवल भारतीयों को ही दी जायेगी ?

†श्री कानूनगो : यह राजकीय सहायता रबड़ के नय पौधे लगाने के लिये है और वह रबड़ बोर्ड की स्वेच्छा के अनुसार ही दी जायेगी।

†श्री वारियर : क्या अभी तक वास्तव में किसी भी यूरोपीय को कोई राजकीय सहायता दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि हम इस प्रकार का अन्तर नहीं रखते हैं। यदि माननीय सदस्य इसके लिये अलग प्रश्न की पूर्व सूचना दें तो मैं इसकी जांच करूंगा।

†**श्री वारियर** : विवरण के अन्तिम पैरे से यह ज्ञात होता है कि केरल सरकार ने रबड़ की काश्त के विस्तार के सम्बन्ध में कोई योजना भेजी है। क्या उस सरकार ने इस योजना के किसी अंश को कार्यान्वित भी किया है या कि वह अभी विचाराधीन है? और उस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्री कानूनगो** : प्रश्न पुनरारोपण के सम्बन्ध में है। और केरल सरकार द्वारा भेजी गई योजना नये पौधे लगाने के सम्बन्ध में है। वह अभी योजना आयोग के विचाराधीन है।

†**श्री तंगामणि** : अभी जिन १०,६४५ एकड़ भमि में पुनरारोपण हो चुका है, क्या उनके बारे में सरकार को यह पता है कि केरल के क्षेत्र में उनमें से कितने एकड़ भूमि में पौधे लगाये गये हैं और तामिलनाड में कितने एकड़ भूमि में पौधे लगाये गये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास इस बारे में अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं। परन्तु रबड़ बोर्ड से ये आंकड़े प्राप्त किये जा सकते हैं।

†**श्री जीनचन्द्रन** : इस समय हम लगभग १० करोड़ रुपयों के रबड़ का निर्यात कर रहे हैं, तो बड़े काश्तकारों को ऋण आदि दे कर पुनरारोपण को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं। हमारे पास केवल छोटे काश्तकारों को प्रोत्साहन देने के लिये ५ से १५ करोड़ रुपयों के सम्बन्ध में योजना है, बड़े काश्तकारों के सम्बन्ध में नहीं।

†**श्री वारियर** : मैं समझता हूं कि केरल सरकार ने अपने राज्य में वन काटने और नये पौधे लगाने की योजना को कार्यान्वित भी करना प्रारम्भ कर दिया है। क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं है। भारत सरकार पुनरारोपण के सम्बन्ध में एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जो कि केवल छोटे काश्तकारों तक ही सीमित है। बड़े काश्तकारों को राजकीय सहायता अथवा ऋण देने के सम्बन्ध में भारत सरकार की कोई योजना नहीं है। केरल सरकार की योजना नये बागान लगाने के सम्बन्ध में एक महान योजना है। वे अपनी धन राशि से किसी भी योजना को कार्यान्वित कर सकते हैं। मेरे पास इस सम्बन्ध में इस समय कुछ भी जानकारी नहीं है।

†**श्री जीनचन्द्रन** : क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने नये बागानों के लिये अन्दमान में २००० एकड़ तक की भूमि के लिये ७५० रुपये प्रति एकड़ धन राशि देना स्वीकार कर लिया है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं। अन्दमान की योजना अभी तक विचाराधीन है। काश्तकारों की ओर से इस सम्बन्ध में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

साड़ियों का निर्यात

*९५३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैंड में भारतीय साड़ी लोकप्रिय हो रही है ;

(ख) गत वर्ष भारत से इंग्लैंड को कितनी साड़ियों का निर्यात हुआ और उनका मूल्य क्या था ;

(ग) क्या इंग्लैंड में साड़ियों की लोक-प्रियता को बढ़ावा देने के लिये सरकारी स्तर पर भी कुछ प्रयत्न किए जा रहे हैं; और

(घ) इंग्लैंड के अतिरिक्त और किन-किन देशों में भारतीय साड़ी लोकप्रिय हो रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ). मांगी गई जानकारी वाला एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां। भारत से इंग्लैंड को सूती साड़ियों के निर्यात में, १९६० के पहले नौ महीनों में १९५९ की इसी अवधि की तुलना में काफी वृद्धि हुई है ।

(ख) १९५९ में इंग्लैंड को १० हज़ार गज का निर्यात किया गया जिनका मूल्य १० हज़ार रु० था ।

(ग) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) भारतीय साड़ियों की मांग इंग्लैंड के अलावा लंका, बर्मा, अफगानिस्तान, थाइलैण्ड, सऊदी अरब, पूर्वी अफ्रीका, सिंगापुर, सूडान तथा अमरीका में भी होने लगी है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उद्योग मंत्री जी के इस वक्तव्य से प्रतीत होता है कि इंग्लैंड के अतिरिक्त नौ देश ऐसे हैं जहां भारतीय साड़ी पर्याप्त लोकप्रिय हो रही है, न केवल औद्योगिक दृष्टि से। हमारे जो उद्योग प्रतिनिधि दूसरे देशों में रहते हैं क्या उनको इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं उन कठिनाइयों के बारे में जो व्यापारी अनुभव करते हैं कि यद्यपि साड़ी लोकप्रिय हो रही है लेकिन वहां की देवियां उनको पहनने की कला से परिचित नहीं हैं...?

श्री कानूनगो : ये आंकड़े जो दिए गए हैं वे व्यापार के सिलसिले में दिए गए हैं। हम यह नहीं कह सकते कि यू० के० को जो साड़ियां जाती हैं वह रि-एक्सपोर्ट होती हैं या नहीं और यू० के० में कितनी साड़ियां पहनी जाती हैं ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या इंग्लैंड को भेजी गई साड़ियां सुपरफाइन किस्म की थीं और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई थी ?

†**श्री कानूनगो** : मैंने निर्यात की गई साड़ियों के कुल गज़ तो बता दिये हैं परन्तु मेरे पास उस सम्बन्ध में अन्य आंकड़े नहीं हैं। यह स्मरण रखना चाहिये कि ब्रिटेन एक ऐसी मार्केट है जो

---

†मूल अंग्रेजी में

कि विभिन्न प्रकार के कपड़ों का पुनर्निर्यात करती है। मैं इस बारे में निश्चित नही हूं कि उन साड़ियों का उपयोग उसी देश में ही किया गया है या कि उनका पुनर्निर्यात किया गया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं ने मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछा था कि साड़ी का व्यापार पर्याप्त उन्नति पर है जैसा कि उनके विवरण से प्रतीत होता है, परन्तु उसमें एक बहुत बड़ी बाधा यह है कि विदेशों की देवियां जो साड़ी पहनना चाहती हैं, जिससे इस व्यापार की और उन्नति होगी, वह उस कला से अपरिचित हैं। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जिससे इस व्यापार की और उन्नति हो सके ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): साड़ी पहनने की कल सीखने का जहां तक सवाल ह, इसमें तो अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिये। अगर उन देशों की देवियां चाहें तो यह कला उन भारतीय देवियों से सीख सकती हैं जो वहां रहती हैं। वे उनसे आसानी से सीख सकती हैं। अगर थोड़ा सा कष्ट करें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या सरकारी स्तर पर सिखाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है ?

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यह सच है कि ब्रिटेन में साड़ियों की बहुत ज्यादा मांग है, परन्तु हमारे यहां के निर्माता व्यर्थ किस्म की साड़ियां बनाते हैं और अच्छी किस्म की साड़ियों का निर्माण नहीं करते हैं ? क्या सरकार साड़ियों की किस्म को सुधारने तथा उन पर नियंत्रण रखने का विचार रखती हैं ?

†**श्री कानूनगो :** मैं माननीय सदस्य के इस कथन से पूर्णतया सहमत नहीं हूं क्योंकि भारत में जो साड़ियां तैयार की जा रही हैं वे विभिन्न किस्मों की हैं और कई तो बहुत ही बढ़िया हैं जिनकी कीमत भी बहुत अधिक है। उनकी कीमतों के बारे में भी कोई शिकायत नहीं है। अमरीका में जिन साड़ियों की अधिक मांग है, वे कधिकांश ड्रेस पीस के रूप में इस्तेमाल के लिये होती हैं, साड़ियों के रूप में इस्तेमाल के लिये नहीं।

†**श्री मुरारका :** विवरण में यह लिखा हुआ है कि हमने लगभग १० हजार रुपयों की कीमत की लगभग १० हजार गज़ साड़ियों का निर्यात किया है। तो इससे यह तात्पर्य है कि हमने ५ रुपये साड़ी के हिसाब से उनका निर्यात किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हम इतने कम दाम की किस प्रकार की साड़ियां इंग्लैंड निर्यात कर रहे हैं ? वहां बढ़िया किस्म की बनारसी साड़ियां क्यों नहीं भेजी जा रही हैं ?

†**श्री कानूनगो :** यहां पर दिये गये आंकड़े हथकरघा तथा मिल दोनों प्रकार की साड़ियों के सम्बन्ध में है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है यह सम्भव है कि उन साड़ियों का वहां से पुनर्निर्यात किया जाता हो। ..... **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री जयपाल सिंह :** प्रैस में यह रिपोर्ट आयी है कि महारानी के भारत आगमन के सम्बन्ध में वहां एक काढ़ी हुई बनारसी साड़ी भेजी जा रही है। क्या उस साड़ी के चुनाव में तीनों मंत्रियों ने परामर्श दिया है ?

†**श्री कानूनगो :** जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए पेशगी

†*९५७. **श्री तंगामणि** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकार के किसी भी कर्मचारी को मकान बनाने के लिये कम से कम ४८०० रुपये की रकम पेशगी देने की सिफारिश की है;

(ख) क्या इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि मूल वेतन के २४ गुने रकम के वर्तमान ऋण से अधिकतर कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को खासकर कम आय वाले वर्ग के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिये और दूसरी क्या व्यवस्था की जा रही है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, विशेषतया अल्प आय वर्ग के कर्मचारियों को सहायता देने की दृष्टि से द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों को यहां तक स्वीकार कर लिया है कि जिन कर्मचारियों को दी जाने वाली पेशगी राशि २४ महीने के वेतन के हिसाब से (महंगाई वेतन सहित) ४८०० रुपयों से कम बनता है, उन्हें ४८०० तक की राशि दे दी जाये, परन्तु शर्त यह है कि उन केन्द्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली यह सम्पूर्ण राशि तथा ब्याज-राशि उसके वेतन तथा उपदान/मृत्यु-तथा-निवृत्ति उपदान आदि से सुविधाजनक मासिक किस्तों में वसूल की जा सके ।

†**श्री तंगामणि** : सरकार का यह नया निर्णय किस तिथि से लागू हुआ है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : तिथि के बारे में मुझे इस समय ज्ञात नहीं है। मेरा अनुमान है कि यह निर्णय तीन चार महीने पहले लागू किया गया था।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार को ज्ञात है कि गृह-निर्माण सहकारी समितियों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उतनी अधिक राशि नहीं दी जाती जितनी कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों को दी जाती है। क्या सरकार राज्य सरकारों से यह निवेदन करेगी कि वे इस संबंध में भेदभाव न रखें ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जहां तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का संबंध है, उनके बारे में कोई भेदभाव नहीं है। केन्द्रीय कर्मचारियों के बारे में इस योजना में स्पष्ट नियम निर्धारित हैं। २४ मास तक का वेतन दिया जा सकता है और अब वेतन कम होने पर भी ४८०० की न्यूनतम राशि निर्धारित कर दी गयी है ?

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या इस संबंध में विभिन्न उद्योगों के लिये कोई विशेष राशि निर्धारित की गयी है ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी, नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के आवेदन पत्र पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है । उसके संबंध में संबंधित मंत्रालय से सिफारिश आना आवश्यक है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गृह-निर्माण सहकारी समितियों को पूंजी के आधार पर अधिक से अधिक

---

†मूल अंग्रेजी में

५ गुणा राशि दी जाती है जबकि राज्य सरकारों के कर्मचारियों की उक्त प्रकार की समितियों को पं ी के आधार पर १० गुणा राशि दी जाती है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार ली जाने वाली राशि के संबंधमें गारण्टी नहीं देती ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मुझे इस बारे में बिल्कुल जानकारी प्राप्त नहीं है। यदि वे इसके लिये अलग प्रश्न की सूचना दें, तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

†**श्री नंजप्प** : क्या पेशगी राशि प्राप्त करने से पहले मकान का नक्शा भी देना पड़ता है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी नहीं। परन्तु उसे सरकार से नक्शा पास कराना पड़ेगा।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को भी यह सुविधा दी गयी है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये ही है क्योंकि यह राशि केन्द्रीय सरकार से ही प्राप्त होती है।

गोदी कर्मचारियों के लिये मकान

†*९५८. **श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदी श्रमिक बोर्डों ने कितने मकान तैयार किये हैं ;

(ख) स्वीकृत योजनाओं के अधीन अभी और कितने मकान बनाये जायेंगे ; और

(ग) क्या और मकान बनाने के लिये सहायता देने की सरकार की कोई योजना है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) ५७१ मकान——सभी मकान बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा तैयार किये गये हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि फिलहाल कोई भी स्वीकृत योजना नहीं है।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में गोदी श्रमिक बोर्डों द्वारा ऋण देने की योजनायें विचाराधीन हैं।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या यह सच नहीं है कि श्रम मंत्रालय ने बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड को गृह-निर्माण योजना को कार्यान्वित करने के लिये जो परामर्श दिया था उसमें यह वचन दिया गया था कि वह औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन राजकीय सहायता या ऋण देगा, परन्तु बाद में वह मंत्रालय अपने वचन से मुकर गया है ?

†**श्री आबिद अली** : बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ३५०० मकान बनाने का विचार किया है जिन पर लगभग १९७ लाख रुपयों का खर्च आयेगा। उसके लिये केन्द्रीय सरकार से ५ लाख रुपयों की सहायता मांगी गयी है। वह मामला अभी विचाराधीन है।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : वहां पर बनाये गये मकान अपर्याप्त संख्या में हैं और उनके लिये ४० रुपये प्रति मकान किराया लिया जा रहा है। तो क्या गोदी श्रमिक बोर्ड ने भारत सरकार से यह

---

†मूल अंग्रेजी में

अभ्यावेदन नहीं किया है कि जब तक इनके लिये राजकीय सहायता नहीं दी जाती तब तक किराये काफी कम नहीं किये जा सकेंगे ?

†**श्री आबिद अली** : वर्तमान निर्माण लागत और उन मकानों के स्थान को ध्यान में रखते हुये यह किराया कोई ज्यादा नहीं ह। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम इस प्रयोजन के लिये लगभग २ करोड़ रुपयों की राशि रक्षित रखने के बारे में विचार कर रहे हैं।

†**श्री पलनियाण्डी** : इस योजना के अधीन गोदी श्रमिकों को आवास संबंधी सहायता दी जा रही है। क्या सरकार औद्योगिक गृह-निर्माण योजना और बागान श्रमिक गृह-निर्माण योजनाओं से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर भी विचार करेगी ?

†**श्री आबिद अली** : जी, हां उनके अनुभवों को सम्बद्ध विभागों द्वारा अवश्य ध्यान में रखा जायेगा।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या सरकार विभिन्न पत्तनों के गोदी श्रमिकों को भी औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के समान ही अकर्म वेतन न देकर राजकीय सहायता देने के संबंध में विचार करेगी ?

†**श्री आबिद अली** : सरकार द्वारा पहले कुल लागत की ८० प्रतिशत राशि उचित ब्याज की दरों पर ऋण के रूप में दी जायेगी।

सूती कपड़े के मूल्य

†*९६०. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सत्र के आरम्भ में मंत्री महोदय ने लोक-सभा में जब अपना वक्तव्य दिया तब से सूती कपड़े के मूल्य घटाने के लिये क्या सरकार ने कोई नयी कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है और सूती कपड़े के मूल्य घटाने में उसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या यह सच है कि सूती कपड़े के मूल्य अब भी बहुत ऊंचे हैं और सभा में मंत्री महोदय के पिछले वक्तव्य से अभी तक मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं दिखायी पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री इस सत्र की समाप्ति से पहले कपड़े के मूल्यों के संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : श्रीमन्.....

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें पहले वक्तव्य तो दे देने दीजिये, उसके बाद प्रश्न पूछे जा सकेंगे।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : श्रीमन् आपको स्मरण होगा कि आपने पहले इसी सत्र में यह कहा था कि यदि इस मास के अन्त तक मूल्य कम न हुये तो आप सभा में इस बारे में चर्चा के लिए अनुमति दे देंगे। अब वे इस बारे में वक्तव्य सत्र के अन्तिम सप्ताह में दे रहे हैं, तो हम इस पर चर्चा कब करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यदि सत्र की समाप्ति से दो तीन दिन पहले चर्चा की अनुमति दी जाये तो मुझे कोई आपत्ति न होगी।

†अध्यक्ष महोदय : पहले वक्तव्य दे दिया जाये फिर यदि और अधिक स्पष्टीकरण की जरूरत हुई, तो माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं या चर्चा भी की जा सकती है।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह तो एक संगत प्रश्न है कि क्या मूल्य अभी तक बढ़ रहे हैं ? इस बारे में माननीय मंत्री की क्या जानकारी है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को वक्तव्य की प्रतीक्षा करनी चाहिये। कुछ किस्म के कपड़ों के मूल्य कम हो गये हैं और कुछ के मूल्य स्थिर हैं, उनके ब्योरे में इस समय जाने से कोई लाभ नहीं है।

चीन को चोरी छिपे मोटरगाड़ियां भेजा जाना

†

†*९९१. { श्री महन्ती
श्री स० अ० मेहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी फर्म का कोई बहुत ऊंचा पदाधिकारी भारत से होकर थोड़ी थोड़ी करके सैंकड़ों मोटरगाड़ियों के चोरी छिपे चीन भेजे जाने की खबर की जांच करने के लिये अभी हाल भारत आया था ;

(ख) क्या सरकार ने उसकी जांच पड़ताल में सहयोग दिया ; और

(ग) यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष निकला ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री महन्ती : क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता के दिनांक २९ नवम्बर, १९६० के अमृत बाजार पत्रिका में 'मोटरगाड़ियों का बड़े पैमाने पर गुलगपाड़ा' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया था कि काफी मात्रा में मोटरगाड़ियां चोरी से भारत होकर तिब्बत भेजी गई हैं ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमारा ध्यान इस ओर गया है और हमने इन आरोपों के बारे में आवश्यक जांच कराई है। हमारी सारी रिपोर्टें बताती हैं कि ऐसा नहीं हुआ है।

†श्री महन्ती : भारत सरकार ने किन स्रोतों से जांच पड़ताल की है ?

†अध्यक्ष महोदय : मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य समाचारपत्र में प्रकाशित एक खबर में ज्यादा विश्वास रख रहे हैं और भारत सरकार द्वारा इस मामले में जो जांच की गई है उसमें कोई विश्वास नहीं रख रहे हैं।

†श्री महन्ती : इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। समाचारपत्र पर अधिक विश्वास दिखाने का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने एक प्रश्न पूछा और माननीय मंत्री ने कहा 'जी नहीं'। यह

---

†मूल अंग्रेजी में

समाचार पत्र की खबर है । सरकार यह कह सकती है कि समाचार में जिन फर्मों, आयातकों आदि का उल्लेख है उनसे उसने पूछताछ की है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : किन्तु क्या माननीय सदस्य ने अखबार से पूछा है कि उन्हें यह खबर कहां से मिली ? सरकार जिम्मेदार है और वह जानती है, उसने विश्वस्त सूत्रों से जांच पड़ताल कर ली है माननीय सदस्य का कहना है कि सरकार को अपने किसी कर्मचारी को भेजना चाहिये अथवा और कुछ करना चाहिये ।

†**श्री गोरे** : समाचार पत्र में जिसका उल्लेख किया गया है, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मोटरगाड़ी उद्योग की इस फर्म ने अपने प्रतिनिधि यहां भेजे थे और प्रारम्भिक पूछताछ के बाद उन्होंने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी थी और केन्द्रीय सरकार ने भी जांच पड़ताल करने के लिये उनकी मदद की । क्या यह सच है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या केन्द्रीय सरकार से मदद मांगी गई थी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ये सारे आरोप गलत हैं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जैसाकि उत्तर में बताया गया है, हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के तो सामान्य सूत्र हैं, उनसे हमने मालूमात की है। निर्यात तथा आयात नियंत्रक तथा सिक्किम में हमारे राजनैतिक पदाधिकारी से तो हमें सामान्यतः जानकारी प्राप्त होती ही है, उसके अतिरिक्त यदि य चीजें जाती हैं, तो वे नथूला के दर्रे से होकर ही जाती हैं । वे आसानी से छिप नहीं सकतीं । मुझे नहीं मालूम किन्तु यह रिपोर्ट कुछ समय पहले की है ।

†**श्री गोरे** : १९५३—५५ । यह बताया गया है कि इन दो वर्षों में मोटरगाड़ियां टुकड़े टुकड़े करके वहां ले जाई गईं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे नहीं मालूम किन्तु प्रश्न में वर्ष का उल्लेख नहीं है । सात वर्ष पूर्व यह संभव हुआ कि कारों के कुछ पुर्जे अथवा पुर्जों के रूप में कारें वहां ले जाई गई हों । किन्तु गत बहुत समय से इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है । यह खबर बिल्कुल गलत बात बताई गई है। उसमें सैकड़ों कारों का उल्लेख है । यदि कोई कल्पना भी करे कि उस दर्रे म से होकर सैकड़ों कारें कैसे जा सकती हैं, तो वह एकदम निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। १९५३–५५ में यह संभव है कि वहां कारों के कुछ पुर्जे गये हों ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि मुझे मालूम होता कि यह केवल १९५३–५५ के संबंध में है, तो मैं इस प्रश्न को स्वीकार ही नहीं करता ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि १९५३—५५ में तस्कर व्यापार हुआ । इसमें आगे बताया गया है कि विदेशी फर्म द्वारा एक प्रकार का निरीक्षण सा किया गया था और सरकार उसका सहयोग दे रही थी । क्या राज्य सरकार उसका सहयोग दे रही है अथवा कन्द्रीय सरकार ? उनका इस बारे में बहुत ही निश्चित मत है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल वही बता रहे हैं तो बताया जा चुका है । माननीय मंत्री ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार का उससे कोई सरोकार नहीं है । उसने तो जांच पड़ताल की है, उसके अनुसार उसका कहना है कि तस्कर व्यापार बिल्कुल भी नहीं होता। यदि यह पुराना प्रश्न है

†मूल अंग्रेजी में

तो माननीय सदस्य को बता देना चाहिये । हम प्रश्न काल में केवल वर्तमान समस्याओं पर विचार करना चाहते हैं ।

†श्री महन्ती : कुछ समय पूर्व, माननीय प्रधान मंत्री ने सभा में कहा था कि भारत से चोरी से खाद्यान्न चीन भेजा जा रहा है । अतः यह एक ऐसा मामला है जो बराबर जारी है। आप देखते हैं कि भारत से प्रत्यक्ष आवश्यक चीजें भी चोरी से बाहर भेजी जा रही हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ग्राम आवास परियोजनाएँ

†*९४६. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम आवास परियोजनाओं की योजना के लिये प्रादेशिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्रों से कितने टेक्नीकल व्यक्तियों को संस्थावार प्रशिक्षण दिया गया है ;

(ख) इस योजना के आरम्भ से प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक राज्य से कितने गांव चुने गये हैं ; और

(ग) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये ५००० गांवों का लक्ष्य पूरा हो जायेगा ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख). सभा-पटल पर अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७] ।

(ग) गुजरात, जम्मू और काश्मीर, केरल तथा मद्रास को छोड़कर सभी राज्य चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक द्वितीय योजना काल के लिये ग्राम आवास परियोजनाओं की योजना के अन्तर्गत विकास के लिये उनके लिये आवंटित सारे ग्राम चुन लेंगे ।

दुग्ध चूर्ण (पाउडर-मिल्क)

†*९५४. श्री अरविन्द घोषाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोई दुग्ध चूर्ण (पाउडर-मिल्क) तैयार किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां पर और प्रतिवर्ष कितना तैयार किया जाता है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रतिवर्ष ७०० टन दुग्ध चूर्ण के उत्पादन के लिये संगठित क्षेत्र में आनन्द (गुजरात) ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयात व्यापार नियंत्रण

†*९५५. **श्री कालिका सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात व्यापार नियंत्रण के प्रयोजन के लिये लाइसेंस देने की प्रणाली के अन्तर्गत कोटा रजिस्ट्रेशन योजना में से (१) सेफटी रेजर के ब्लेड, (२) कांच की चादरें और प्लेट, (३) कांच के ग्लास को छोड़कर कांच के खाने पीने के बर्त्तन, (४) कांच और कांच की चीजें जो अन्यथा निर्दिष्ट नहीं और सुनहरी काम का सामान, (५) साइकिलें और (६) मोटरगाड़ियों के पुर्जे हटा लेने के क्या कारण हैं;

(ख) १९५३ में कोटा रजिस्ट्रेशन योजना के कार्य के पुनर्विलोकन के बाद वह किस प्रकार चली है ; और

(ग) क्या यह योजना भविष्य में भी चलती रहेगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) कोटा रजिस्ट्रेशन योजना में से इन चीजों को हटाने के कारण चालू रैड बुक के सेक्शन १ के पैरा २८ में दिये गये हैं।

(ख) और (ग). १९५३ के बाद से इस योजना की कार्य-प्रणाली का नई तरीके से पुनर्विलोकन किया जा रहा है। इस संबंध में निर्णय, कि क्या योजना को जारी रखा जाये, उस पुनर्विलोकन के बाद दिया जायेगा।

खादी तथा ग्रामोद्योग

†*९५६. **श्री मोहन नायक** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों में कितने खादी तथा ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) इन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ३५९।

(ख) नये प्रशिक्षण केन्द्र चालू करने के लिये आयोग वित्तीय सहायता संविहित राज्य बोर्डों तथा मान्य संस्थाओं को देता है। नये केन्द्र तभी खोले जाते हैं जब उनकी वास्तविक आवश्यकता होती है।

सिगरेटों का आयात

†*९५९ **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्ष में देश में आयात की हुई सिगरेटों की खपत बहुत अधिक बढ़ गयी है;

(ख) पिछले तेरह वर्षों में विभिन्न देशों से कितनी सिगरेटों का आयात किया गया है ;

(ग) इस कारण देश को कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि सरकार का उन सिगरेटों के आयात पर अधिक कड़ा प्रतिबन्ध लगाने के लिये कोई उपाय करने का विचार है तो वे उपाय क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** :। (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) गत १३ वर्षों में भारत में मंगाई गई सिगरेटों की मात्रा तथा मूल्य का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५८**]

(घ) जनवरी, १९५७ से सिगरेटों के आयात पर प्रतिबन्ध है । बहुत ही सीमित मात्रा में सिगरेटों के आयात के लिये विशेष रूप से पर्यटक संवर्धन योजना के अन्तर्गत तदर्थ आधार पर आयात लाइसेंस दिये गये हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के मानचित्रों में काश्मीर

†*९६२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** २२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ के मानचित्रों में काश्मीर की स्थिति गलत चित्रित किये जाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय से इस बीच कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख) नहीं,श्रीमान्। इस विषय पर भेजे गये पूर्व पत्रों की ओर महासचिव का ध्यान दिलाने तथा उनसे विशिष्ट मानचित्रों और प्रकाशनों में संशोधन करने के लिये निवेदन करने के हेतु २६ अगस्त, १९६० को एक और विस्तृत पत्र उन्हें भेजा गया था। उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

एनकों के शीशे का कारखाना

†*९६३. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
डित द्वा० ना० तिवारी :
श्री न० म० देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** ४ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सोवियत रूस की सहायता से ऐनकों के कांच का कारखाना खोलने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : सभा की मेज पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

सोवियत अधिकारियों के पास से पुनरीक्षित विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट अगले छः सात महीनों में मिल जाने की आशा है ।

११ दिसम्बर, १९५९ को कोयला खनन तथा दूरबीनों और ऐनकों के कांच बनाने की प्रायोजनाओं के लिये निश्चित २८०.७ एकड़ भूमि दुर्गापुर उद्योग बोर्ड ने निगम को निःशुल्क दे दी थी । दुर्गापुर उद्योग बोर्ड कोयला खनन तथा ऐनकों के कांच की प्रायोजनाओं इन दोनों की बस्ती बसाने के लिये १५०० एकड़ भूमि प्राप्त करने का प्रबन्ध भी कर रहा है । जल संभरण के लिये प्रबन्ध करने, जिसमें कारखाने तथा प्रायोजनाओं के लियबस्ती बसाना भी शामिल है, के प्रश्न पर दुर्गापुर उद्योग बोर्ड से बातचीत की जा रही है जो अपनी जल सम्भरण की योजना को बढ़ाने का विचार कर रहा है । कारखाने तथा बस्ती दोनों के लिये जितनी बिजली की आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में दुर्गापुर उद्योग बोर्ड ने आश्वासन दे दिया है। दुर्गापुर उद्योग बोर्ड आपस में तय की गयी शर्तों के अनुसार प्रायोजना के लिये आवश्यक साइडिंग की व्यवस्था करेगा ।

बेबी फूड

†*९६४. **श्री अरविन्द घोषाल**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेबी फूड तैयार करने के लिये भारत में कोई कारखाना खोला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और वह कितनी मात्रा में तैयार किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) (१) आनन्द (गुजरात)

(२) नाभा (पंजाब)

(३) अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

अगले १२ वर्षों में लगभग १,००० टन बेबीफूड के उत्पादन की आशा है ।

भारतीय चाय के साथ प्रतियोगिता

†*९६५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन के बाजार में भारतीय चाय को अर्जेन्टाइना की चाय से भारी मुकाबला करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या इस वर्ष की पहली तिमाही में लगभग दस लाख डालर की चाय बेची गयी थी; और

(ग) इस गंभीर प्रतियोगिता का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) १९६० की प्रथम तिमाही में लन्दन के बाजार में अर्जेन्टाइना की ३९,५०० डालर की केवल ७८,९०० पौंड चाय की बिक्री हुई।

(ग) ब्रिटेन में भारतीय चाय की बिक्री बढ़ाने के लिये हाल ही में लन्दन में एक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

जापान में भारतीय टेक्नीशियनों का प्रशिक्षण

†*९६६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घड़ियां बनाने के सम्बन्ध में जापान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भारतीय टेक्नीशियनों का चुनाव इस बीच हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने, जो घडियां बनायेगी, प्रविधिक कर्मचारियों के लिये विज्ञापन दिया है। शीघ्र ही फैक्टरी के प्राधिकारी व्यक्तियों का चुनाव करेंगे।

फिल्म इंस्टीट्यूट

†*९६७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगमणि :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फिल्म इंस्टीट्यूट स्थापित करने के विषय में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये किन्हीं विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की गयी हैं और वे किन किन देशों के विशेषज्ञ हैं ; और

(ग) इस इंस्टीट्यूट के क्या उद्देश्य हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) भारत के फिल्म इंस्टीट्यूट का कार्यालय पूना में स्थापित किया गया है तथा अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है तथा प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। अस्थायी प्रास्पेक्टस तैयार हो गया है। फिल्म उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों के लिये मार्च १९६१ में प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम चालू करने का विचार है। जून अथवा जुलाई, १९६१ से नियमित पाठ्यक्रम चालू कर दिये जायेंगे।

(ख) अभी तक नहीं, श्रीमान्। भारत फ्रांस प्रविधिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत फ्रांस से दो विशेषज्ञ बुलाने की कोशिश की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस संस्था में फिल्म उद्योग के विभिन्न पहलुओं उदाहरणतः निदेशन, फिल्मी कहानी लिखने, सिनेमाटोग्राफी, आवाज को रिकार्ड करने तथा सम्पादन की प्रविधिक शिक्षा दी जायेगी ।

चाय की प्लाईवुड की पेटियां

†१९००. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में चाय की प्लाईवुड की कितनी पेटियां बनाई गईं ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, इस अवधि में कितनी सफलता प्राप्त हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितना धन नियत किया गया तथा वस्तुतः कितना व्यय किया गया ?

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है ; अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया और अब तक वस्तुतः कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि कमी रही तो उसका क्या कारण है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनभाई शाह)** : (क) से (घ). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) १९५०-५१ में बनाई गई चाय की प्लाईवुड की पेटियां । ४४९.४ लाख वर्ग फुट

(ख) (१) प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये लक्ष्य . १०००.० लाख वर्ग फुट

(२) प्रथम योजना में सफलता ९३५.७ लाख वर्ग फुट (प्रथम योजना के अन्त में)

(३) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में जो धन नियत किया गया तथा वस्तुतः कितना व्यय किया । प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि चाय की प्लाईवुड की पेटियां गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाई गई हैं ।

(ग) (१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये लक्ष्य १००० लाख वर्ग फुट

(२) द्वितीय योजना में सफलता १९५९ में ९८६.७ लाख वर्ग फुट बनाई गईं, १९६० में १०३० लाख वर्ग फुट तक पहुंचने की आशा है ।

(३) द्वितीय योजना में नियत किया गया धन तथा कितना वास्तविक व्यय हुआ प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि चाय की प्लाईवुड की पेटियां गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाई गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) प्रथम पंचवर्षीय योजना में वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति में कमी का कारण।

प्रथम योजना काल में चाय बागानों में बाहर से आये हुए चाय की पेटियों के चौखटे बहुत बड़ी मात्रा में पड़े हुए थे ; जिनसे कुछ हद तक मांग की पूर्ति नहीं हो सकी ।

वाणिज्यिक प्लाईवुड

†१९०१. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में वाणिज्यिक प्लाईवुड का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, इस अवधि में कितनी सफलता प्राप्त हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितना धन नियत किया गया तथा वस्तुतः कितना व्यय किया गया ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है; अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया और अब तक वस्तुतः कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि कमी रही तो उसका क्या कारण है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनबन्ध संख्या ५९ ।]**

नमक

†१९०२. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में नमक का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, इस अवधि में कितनी सफलता प्राप्त हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना, काल में कितना धन नियत किया गया तथा वस्तुतः कितना व्यय किया गया ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है ; अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया और अब तक वस्तुतः कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि कमी रही तो उसका क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) ७१० लाख मन ।

(ख) और (ग).

	उत्पादन-का लक्ष्य		वित्त	टिप्पणी
	नियत किया गया	प्राप्त किया गया	नियत किया गया	व्यय किया गया
प्रथम योजना	८३७ लाख मन	८३० लाख मन	कोई विशिष्ट धन नियत नहीं किया गया ।	
द्वितीय योजना	१००० लाख मन	१०५० लाख मन*	१८९.३ लाख	३३.७६ ३१.३.१९६० तक
		८४० लाख मन**		

*१९५८–५९ में

**१९५९–६० में

(घ) दोनों योजनाओं के लिये नियत किये गये उत्पादन के वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं ।

दियासलाई

†१९०३. **श्री मुरारका** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में दियासलाई का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, इस अवधि में कितनी सफलता प्राप्त हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितना धन नियत किया गया तथा वस्तुतः कितना व्यय किया गया ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है ; अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया और अब तक वस्तुतः कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि कमी रही तो उसका क्या कारण है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क)	१९५०–५१ में दियासलाई का उत्पादन	२७०.२५ लाख ग्रुस बाक्स ६० तीलियों वाले ।
(ख)	(१) प्रथम योजना के लिये लक्ष्य	३५३ लाख ग्रुस बाक्स ६० तीलियों वाले ।
	(२) प्रथम योजना के गत वर्ष में वास्तविक उत्पादन	३४३.०५ लाख ग्रुस बाक्स ६० तीलियों वाले ।
	(३) प्रथम योजना में दियासलाई उद्योग के लिये नियत किया गया धन	दियासलाई उद्योग के बड़े तथा लघु क्षत्रों में इस उद्योग के लिये कोई धन नियत नहीं किया गया । कुटीर दियासलाई उद्योग के लिये २०.६० लाख रुपये नियत किये गये थे ।
	(४) प्रथम योजना में दिया गया धन	कुटीर दियासलाई उद्योग के लिये १९.८२ लाख ।
(ग)	(१) द्वितीय योजना के लिये लक्ष्य	३५.३ लाख बक्से ६० तीलियों वाले
	(२) द्वितीय योजना के चौथे वर्ष में वास्तविक उत्पादन ।	३७४.८५ लाख बक्से ६० तीलियों वाले
	(३) द्वितीय योजना में दियासलाई उद्योग के लिये नियत किया गया धन	दियासलाई उद्योग के बड़े तथा लघु उद्योगों में दियासलाई उद्योग के लिये कोई धन नियत नहीं किया गया । कुटीर दियासलाई उद्योग के लिये १.१० करोड़ रुपये नियत किये गये हैं ।
	(४) द्वितीय योजना में दिया गया धन	मार्च, १९५९ के अन्त तक कुटीर दियासलाई उद्योग के लिये ३३.७२ लाख रुपये ।
(घ)	वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी का कारण	लक्ष्यों की प्राप्ति की जा रही है ।

ऊनी कपड़े

†१९०४. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में ऊनी कपड़ों का कितना उत्पादन हुआ ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, इस अवधि में कितनी सफलता प्राप्त हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितना धन नियत किया गया तथा वस्तुत: कितना व्यय किया गया ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है ; अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया और अब तक वस्तुत : कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि कमी रही तो उसका क्या कारण है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६०]**

ऊनी वर्सटड धागा

†१९०५. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०-५१ में ऊनी और वर्सटेड धागे का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, इस अवधि में कितनी सफलता प्राप्त हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितना धन नियत किया गया तथा वस्तुत: कितना व्यय किया गया ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है ; अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया और अब तक वस्तुत: कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि कमी रही तो उसका क्या कारण है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) १९५० में ४८.९ लाख पौंड ऊनी वसटेड धागे का उत्पादन हुआ, जैसा कि भारतीय निर्माताओं की पांचवी गणना, १९५० में बताया गया है । १९५०-५१ के वित्तीय वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये २५० लाख पौंड ऊनी माल के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । ऊनी तथा वर्सटेड सूत के लिये पृथक-पृथक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था । १९५५-५६ में ऊनी वर्सटेड धागे का उत्पादन २१६ लाख पौंड हुआ । इस उद्योग पर व्यय के लिये कोई धन नियत नहीं किया गया क्योंकि यह उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में है ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये ३७० लाख पौंड वर्सटेड तथा ऊनी (शाडी सहित) धागे के उत्पादन का लक्ष्य नियत किया गया । १९५९-६० में २९०.७ लाख पौंड का उत्पादन हुआ । इस उद्योग पर व्यय के लिये कोई धन नियत नहीं किया गया ।

(घ) लक्ष्य की प्राप्ति में कमी का मुख्य कारण यह है कि विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के कारण बाहर से कच्चा माल भेजने में कमी रही ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नकली रुई[1]

†१९०६. श्री मुरारका : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०-५१ में नकली रुई का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, इस अवधि में कितनी सफलता प्राप्त हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितना धन नियत किया गया तथा वस्तुतः कितना व्यय किया गया ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है ; अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया और अब तक वस्तुतः कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि कमी रही तो उसका क्या कारण है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) कुछ नहीं ।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये लक्ष्य . २८००० गांठें अथवा ११२ लाख पौंड वार्षिक ।

१९५५-५६ में उत्पादन . . १४० लाख प्रति वर्ष
कोई धन नियत नहीं किया गया ।

(ग) द्वितीय योजना काल के लिये लक्ष्य . . ३२० लाख पौंड
द्वितीय योजना कालके अन्त में अनमानित उत्पादन . ४८० लाख पौंड
कोई पृथक-धन नियत नहीं किया गया ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेयन का पतला धागा

†१९०७. श्री मुरारका : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०-५१ में रेयन के पतले धागे का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) प्रथम पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, इस अवधि में कितनी सफलता प्राप्त हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितना धन नियत किया गया तथा वस्तुतः कितना व्यय किया गया ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है ; अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया और अब तक वस्तुतः कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि कमी रही तो उसका क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Staple Fibre

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) १९५०-५१ में रेयन के पतले धागे का उत्पादन ४ लाख पौंड हुआ।

(ख) और (ग). **प्रथम** पंचवर्षीय योजना के लिये लक्ष्य . १८० लाख पौंड प्रतिवर्ष
१९५५–५६ में उत्पादन . . . १६० लाख पौंड
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये मल मूक्ष्य ६८० लाख पौंड का था। बाद में इसे १००० लाख पौंड कर दिया, इस में नाइलोन और रेयन टायर कार्ड जैसे हस्तनिर्मित रेशे भी सम्मिलित हैं। वर्ष १९६०-६१ में ही केवल रेयन के धागे का अनुमानित उत्पादन ४७० लाख पौंड का है, यद्यपि ७५६ लाख पौंड प्रतिवर्ष की कुल क्षमता के लिये लाइसेंस दिया गया था ।

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में व्यय के लिये कोई रकम नियत नहीं की गई ।

(घ) उत्पादन में कमी इसलिए रही क्योंकि जिन एककों को लाइसेंस दिये गये हैं उनमें से कुछ में अभी उत्पादन कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ।

पटसन की चीजें

†१९०८. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०-५१ में पटसन की चीज़ों का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, इस अवधि में कितनी सफलता प्राप्त हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना, काल में कितना धन नियत किया गया तथा वस्तुतः कितना व्यय किया गया ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है ; अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया और अब तक वस्तुतः कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि कमी रही तो उसका क्या कारण है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) १९५०-५१ (**अप्रैल-मार्च**) में ८२२,५०० टन का उत्पादन हुआ ।

(ख) प्रथम योजना का लक्ष्य १२,००,००० टन का था। १९५५–५६ में १० ५३,६०० टन का उत्पादन हुआ। विशिष्ट रूप से कोई धन नहीं नियत किया गया ।

(ग) द्वितीय योजना का लक्ष्य ११,००,००० टन का है। १९५९–६० में १०,५६,३०० टन का उत्पादन हुआ। विशिष्ट रूप से कोई धन नहीं नियत किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) प्रथम योजना के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी क्योंकि विदेशों में पटसन की चीजों की मांग उतनी नहीं हो सकी जितनी आशा थी। द्वितीय योजना के लक्ष्य की प्राप्ति की भी आशा नहीं है क्योंकि कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन में कमी करनी पड़ी।

कपड़ा

†१६०६. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १६५०-५१ में सूती कपड़े (मिल के बने) का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, इस अवधि में कितनी सफलता प्राप्त हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितना धन नियत किया गया तथा वस्तुतः कितना व्यय किया गया ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है ; अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया और अब तक वस्तुतः कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि कमी रही तो उसका क्या कारण है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ३७,१८० लाख गज (सूती कपड़ा—मिल का बना)।

(ख) से (घ). एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६१**]।

सूत

†१६१०. **श्री मुरारका** : क्या **क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १६५०-५१ में सूत का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, इस अवधि में कितनी सफलता प्राप्त हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितना धन नियत किया गया तथा वस्तुतः कितना व्यय किया गया ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है ; अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया और अब तक वस्तुतः कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि कमी रही तो उसका क्या कारण है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ११,७६० लाख पौंड (कपड़े के उत्पादन के लिये मिलों द्वारा काम में लाये गये सूत को मिलाकर)।

(ख) से (घ). एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६२**]

औद्योगिक तथा शक्ति मद्यसार[1]

†१६११. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १६५०-५१ में औद्योगिक तथा शक्ति मद्यसार का कितना उत्पादन हुआ ;

---

†मूल अंग्रजी में

[1]Industrial and Power Alchol.

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, इस अवधि में कितनी सफलता प्राप्त हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितना धन नियत किया तथा वस्तुतः कितना व्यय किया गया ;

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है ; अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया और अब तक वस्तुतः कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि कमी रही तो उसका क्या कारण है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) १६५० और १६५१ में औद्योगिक तथा शक्ति मद्यसार का उत्पादन क्रमशः ८०.३ और १०८.२ लाख गैलन हुआ।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये उत्पादन का लक्ष्य १८० लाख गैलन था और इसी अवधि में १५३ लाख गैलन का उत्पादन हुआ। केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई धन नियत नहीं किया गया क्योंकि यह उद्योग अधिकांशतः गैर-सरकारी क्षेत्र में था ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये क्षमता तथा उत्पादन के लक्ष्य गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिये क्रमशः ३६० लाख गैलन और ३०० गैलन थे । इस अवधि में बम्बई (अब महाराष्ट्र) और मध्य प्रदेश की राज्य योजनाओं में दो मद्यसार आसवनियां सम्मिलित थीं । इन दोनों मामलों में ७७.२४ लाख रुपये नियत किये गये और वस्तुतः ८२.८४ लाख रुपये व्यय हुये ।

आज तक स्थापित क्षमता लगभग ४०० लाख गैलन की है । १६५६-६० में १६६.४ लाख गैलन का उत्पादन हुआ और १६६०-६१ का अनुमानित उन्पादन २५० लाख पौंड गैलन है ।

(घ) इस उद्योग में उतना ही उत्पादन किया जा रहा है जितनी वास्तविक मांग है यह मांग कम होती जा रही है और इसलिये उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ है किन्तु अब तालीमेथीलीन और कृत्रिम रबड़ जैसे मद्यसार को काम में लाने वाले कारखाने सामने आ रहे हैं जो बड़ी मात्रा में मद्यसार का उत्पादन करने में सहायक सिद्ध होंगे ।

सीमेंट

†**१६१२. श्री मुरारका** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १६५०-५१ में सीमेंट का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, इस अवधि में कितनी सफलता प्राप्त हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितना धन नियत किया गया तथा वस्तुतः कितना व्यय किया गया ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है ; अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया और अब तक वस्तुतः कितना व्यय किया गया है ; और

(घ) वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि कमी रही तो उसका क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) १९५०-५१ में २६.९ लाख टन सीमेन्ट का उत्पादन हुआ ।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ५३.१ लाख टन की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और योजना के अन्त तक वस्तुत: ४९.३ लाख टन की क्षमता की स्थापना की गई। प्रथम योजना में १७.७ करोड़ रुपये का अनुमानित पूंजी व्यय हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में अनुमानत: लगभग १७.५ करोड़ रुपये सीमेंट उद्योग में नये एककों पर तथा विस्तार योजनाओं पर लगाया गया ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १६० लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बाद में इसे १०० लाख टन का कर दिया गया। सीमेंट उद्योग की वर्तमान क्षमता ८५.७ लाख टन (८७.० लाख मीट्रिक टन) है और द्वितीय योजना काल के अन्त तक ९३.७ लाख टन (९५.२ लाख मीट्रिक टन) की कुल क्षमता की कार्यान्विति की आशा है। द्वितीय योजना काल में सीमेंट उद्योग के विस्तार पर कुल पूंजी व्यय अनुमानत: लगभग ४० करोड़ रुपये होगा।

(घ) प्रथम पंचवर्षीय योजना में सीमेंट का तो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसकी करीब-करीब प्राप्ति हो गई। यह देखते हुए कि १९५८ के मध्य में सीमेंट की मांग, उत्पादन के मुकाबले में कम होती जा रही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाद में १०० लाख टन (१०१.६ लाख मीट्रिक टन) की क्षमता की कार्यान्विति के बारे में सोचा गया। यह क्षमता लगभग ठीक हो रही है।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड महाराष्ट्र

†**१९१३. श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को केन्द्रीय सरकार द्वारा १९६०-६१ में कितनी धन-राशि आवंटित की गयी और की जाने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : १९६०-६१ में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बम्बई, पूना और पूर्व खानदेश में खादी (पुरानी किस्म की और अम्बर चरखे वाली) तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए संविहित खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, महाराष्ट्र को अस्थायी रूप से ७५,२०,०१० रु० का आवंटन किया है, जिस में २६,०५,९९५ रु० अनुदान के रूप में और ४९,१४,०१५ रु० ऋण के रूप में हैं।

महाराष्ट्र का औद्योगिक विकास

†**१९१४. श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र सरकार को १९६०-६१ में राज्य का औद्योगिक विकास करने के लिए अब तक कितना धन दिया गया ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: विभिन्न राज्यों को (महाराष्ट्र सहित) १९६०-६१ में औद्योगिक विकास के लिए धनराशि चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में मंजूर की जायेगी। इस बीच, राज्यों को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अर्थोपाय अग्रिम दिये जा रहे हैं यह अग्रिम धनराशि किसी विशेष योजना अथवा विकास शीर्षक के लिए नहीं है और इसका समायोजन अन्तिम रूप से मंजूर की जाने वाली धन-राशि के अन्तर्गत किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब के बारे में प्रलेखीय चलचित्र

†१९१५. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के बारे में प्रलेखीय चित्र बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : "पंजाब" नामक प्रलेखीय चित्र तैयार किया जा रहा है।

राजस्थान में स्थानीय विकास कार्य

†१९१६. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में फरवरी, १९६० तक स्थानीय विकास कार्य के लिए कितना धन दिया है;

(ख) उक्त अवधि में सरकार के पास कितना शेष धन बचा है, जो व्यय नहीं किया गया ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) राजस्थान सरकार को दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में फरवरी, १९६० तक स्थानीय विकास कार्य योजना के अन्तर्गत योजनाओं के लिए ७२.९२ लाख रु० आवंटित किया था।

(ख) उपरोक्त अवधि में राज्य सरकार द्वारा ४७·३९४ लाख रु० व्यय किया गया है और शेष २५.५२६ लाख रुपया बचा है।

हड़ताल और तालाबन्दी

†१९१७. **श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कपड़ा तथा सीमेंट मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के प्रश्न के बारे में होने वाले विवाद के परिणामस्वरूप होने वाली हड़तालों और तालाबन्दियों की बदौलत कितने जन-दिन व्यर्थ चले गये ?

†**श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : उपलब्ध जानकारी के अनुसार २८९,८९५ दिन।

हड़तालों के कारण जन-दिनों की हानि

†१८१८. **श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समझौते की कार्यवाही के असफल हो जाने के पश्चात विवादों को न्यायाधिकरण को सौंपने में सरकार की असफलता के कारण १९६० के पहले छः महीनों में विभिन्न राज्यों में होने वाली हड़तालों के कारण कितने जन-दिनों की हानि हुई ?

†**श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक भी नहीं।

मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना[1]

†१९१९. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक कारखाना स्थापित करने का विचार है;

---

†मूल अंग्रेजी में]

[1] Ceramics Factory.

(ख) इस प्रस्तावित कारखाने में क्या क्या चीजें तैयार की जायेंगी;

(ग) इस कारखाने पर कितनी लागत आयेगी और इसकी क्षमता कितनी होगी; और

(घ) इस कारखाने का शेष ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कृषि उपकरण

†१६२०. **श्री रामी रेड्डी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नेक राम नेगी :
श्री रा० च० माझी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में सुधरे हुए कृषि-उपकरणों के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने का विचार है;

(ख) इसमें कौन कौन से उपकरणों का निर्माण किया जायेगा;

(ग) इस कारखाने पर क्या लागत आयेगी और इसकी क्षमता कितनी होगी; और

(घ) इस परियोजना की अन्य महत्वपूर्ण बातों का ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां । आन्ध्र प्रदेश सरकार का विचार हैदराबाद में सुधरे हुए कृषि-उपकरणों का एक कारखाना खोलने का है ।

(ख) 'सीड ड्रिल'[1] (बीज डालने का यंत्र), 'एच० एम० गुन्तका'[2], 'बन्द फार्मर'[3], 'बक स्क्रेपर'[4], 'मेंढ बनाने वाला हल'[5], 'वेट लैंड पडलर'[6], 'ग्रीन मेन्योरर'[7], 'ट्रेम्पलर'[8], घास काटने वाला यंत्र, लोहे का हल, 'डस्टर'[9] और 'स्प्रेयर'[10] (दवाइयां डालने और छिड़कने वाले यंत्र) ।

(ग) इस कारखाने पर लगभग ५६ लाख रु० व्यय होगा और इसकी प्रस्तावित क्षमता ३६०० टन प्रति वर्ष है।

(घ) प्रति वर्ष लगभग ६४ लाख का माल तैयार होगा और अनुमानत: ६०० आदमी इस में काम करेंगे ।

उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग

†१६२१. **श्री सरजू पांडेय : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५५ से १६६० तक उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग की विकास योजनाओं के लिए हथकरघा उपकर निधि में से कितना धन देने की मंजूरी दी गयी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Seed Drill [2]H. M. Guntaka [3]Bund Former [4]Buck Scraper [5]Ridge Plough

[6]Wet Land Puddler [7]Green Manurer [8]Trampler [9]Duster [10]Sprayer

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने उपरोक्त अवधि में कितना व्यय किया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

उद्योगों के लिये लाइसेंस

†**१९२२. श्री सरजू पांडेय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक उत्तर प्रदेश में नये उद्योग चालू करने के लिए कितने लाइसेंस दिये गये;

(ख) क्या इन सभी लाइसेंसों का प्रयोग किया गया; और

(ग) ऐसे कितने लाइसेंस हैं, जिनका उपयोग नहीं किया गया ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) यह जानकारी उद्योग व्यापार पत्रिका में नियमित रूप से प्रकाशित की जाती है ।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश में नये कारखाने स्थापित करने के लिए दिये गये लाइसेंसों में से छः लाइसेंस १ अप्रैल, १९५६ से ३१ अक्तूबर, १९६० तक की अवधि में वापस लिये गये । अन्य मामलों में, कारखाने स्थापित किये जा चुके हैं अथवा किये जा रहे हैं ।

पकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय

†**१९२३. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० के पूर्वार्द्ध में पश्चिम बंगाल-पूर्व पाकिस्तान सीमा की ओर के भारतीय क्षेत्र से कितने भारतीय राष्ट्रजनों का पाकिस्तानियों द्वारा अपहरण किया गया;

(ख) इन में से अब तक कितने भारतीयों को छोड़ा जा चुका है ; और

(ग) शेष व्यक्तियों की रिहाई के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) पांच ।

(ख) तीन ।

(ग) पूर्व पाकिस्तान के उपयुक्त अधिकारियों के साथ इस बारे में बातचीत की जा रही है ।

पंजाब में ग्राम्य आवास विभाग[1]

†**१९२४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने ग्राम्य आवास परियोजना के अन्तर्गत लोगों का मार्गदर्शन करने और उन्हें प्रविधिक सलाह देने के लिये ग्राम्य आवास विभाग स्थापित किया है ; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी परियोजनाएं चालू की गई हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rural Housing cell

(ख) राज्य सरकार ने उन सभी २०० गांवों को, जिनका आवंटन उन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये किया गया था, आवास-परियोजनाओं की स्थापना के लिए चुन लिया है। ३०-९-१९६० तक पत्रों में प्रकाशित समाचारों से यह पता चलता है कि इन में से ४० गांवों में ऋण देने का काम शुरू हो गया है।

प्रविधिक व्यक्ति[1]

†**१९२५. श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ दिसम्बर, १९६० को विभिन्न रोजगार दफ्तरों की सूचियों में कितने प्रविधिक व्यक्तियों का नाम दर्ज था ; और

(ख) १९६० में अब तक कितने प्रविधिक व्यक्तियों को रोजगार दफ्तरों की मार्फत नौकरी मिली ?

†**श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) ३०-९-१९६० को १,३१,४६७। १ दिसम्बर, १९६० की सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि आंकड़े तीन मास के पश्चात् इकट्ठे किये जाते हैं।

(ख) जनवरी से सितम्बर, १९६० तक २८,५३७।

जम्मू तथा काश्मीर में श्रमिक शिक्षा केन्द्र

†**१९२६. श्री बीय चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जम्मू तथा काश्मीर में कोई श्रमिक शिक्षा केन्द्र खोला गया है ?

†**श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: जी नहीं।

पश्चिमी बंगाल में शरणार्थी बस्तियां

†**१९२७. श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ में पश्चिम बंगाल को शरणार्थी बस्तियों के विकास के लिए कुछ धन दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना धन व्यय किया गया है और कितनी बस्तियों पर व्यय किया गया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों के विकास के लिए १९६०-६१ के पुनरीक्षित तखमीने में ३०.०० लाख रु० की व्यवस्था की गयी है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Technical Personnel

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग

†१६२८. **श्री बी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में पंजाब की निम्नलिखित संस्थाओं को १९५८–५९ और १९५९–६० में कितने मूल्य की मशीनों का सम्भरण किया गया था :—

(एक) पंजाब की औद्योगिक बस्तियां ।

(दो) सामुदायिक विकास खंड ।

(ख) इन संस्थाओं ने कितने मूल्य की चीजों का उत्पादन किया और राज्य और केन्द्रीय सरकार ने कितनी खरीद की ; और

(ग) उन्हें अब तक दी गयी मशीनों का कितना मूल्य है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) से (ग). यह जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकती और इसको इकट्ठा करने पर तुलनात्मक दृष्टि से बड़ा समय और श्रम लगेगा ।

विशाखापत्तनम में उर्वरक संयंत्र

†१६२९. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामी रेड्डी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम तथा अन्य स्थानों पर उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी पार्टियों की ओर से प्रस्थापनाएं प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पार्टी ने सरकार के विचारार्थ मुख्य क्या शर्तें पेश की हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) जी हां । आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के स्थान पर और राजस्थान में हनुमानगढ़ के स्थान पर उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के दो आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) आवेदकों ने अपनी प्रस्थापनाओं को, प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध सुविधाओं और आस-पास के क्षेत्रों में उर्वरकों की संभावित आवश्यकता को ध्यान में रख कर बनायी हैं । इन परियोजनाओं पर कुल जितनी पूंजी लगेगी, जिसमें विदेशी मुद्रा भी शामिल है, उसकी व्यवस्था पार्टियों द्वारा स्वयं की जायेगी ।

पूर्वी जोन में विस्थापित व्यक्तियों के शिविर

†१६३०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री बिमल घोष :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री ४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जोन में पुनर्वास योजनाओं के अन्तर्गत शिविरों को बन्द करने और उनमें रहने वालों को इधर उधर भेजने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : पूर्वी जोन में विस्थापित व्यक्तियों के शिविरों के परिवारों के पुनर्वास के बारे में निम्न प्रगति हुई है :—

दिनांक	शिविरों की संख्या	जनसंख्या
१–७–६०	८२	१,०१,७१०
१५–११–६	७८	९३,१८७
कमी	४	८,५२३

डालमिया की व्यापार संस्थायें

†१९३१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डालमिया की व्यापार संस्थानों के कार्य की जांच करने के बारे में जांच आयोग ने इस बीच क्या प्रगति की है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जांच आयोग ने 'मामले के विवरण'[1] सम्बन्धित व्यक्तियों को दे दिये हैं और इस प्रकार इस जांच का 'तहकीकात का दौर' पूरा हो चुका है। कुल मिला कर २५७ 'मामलों के विवरण' दिये गये थे और आयोग ने इनके उत्तर देने के लिये १५ जून, १९६० से ३१ अगस्त, १९६० तक का समय निश्चित किया था। सम्बन्धित व्यक्तियों के अनुरोध पर आयोग ने उत्तर देने की अवधि को कई मामलों में बढ़ा दिया था। २५७ में से १८६ मामलों के उतर आयोग को प्राप्त हो चुके हैं। कुछ सम्बन्धित व्यक्तियों ने प्रारम्भिक आपत्तियां उठायी हैं जिनमें से कुछ आयोग के गठन और अधिकार-क्षेत्र के बारे में हैं। आयोग ने ५ और ६ दिसम्बर, १९६० को बम्बई में हुई सुनवाइयों में इन में से कुछ आपत्तियों पर विचार किया और अपने आदेश दिये थे।

तीन व्यक्तियों ने, जिनके नाम सर्वश्री आर० के० डालमिया, आर० पी० गुरहा और एस० के० सांवी हैं, ने पंजाब हाई कोर्ट में के सर्किट बैंच में 'रिट पैटीशन' दायर की हैं, जिनमें आयोग की वैधता, उपयुक्तता, इसके गठन और क्षेत्राधिकार को चुनौती दी है। इन 'रिट पैटीशनों' को दाखिल कर लिया गया और भारत सरकार ने, जो इन पैटीशनों में एक पक्ष है, इनके उत्तर में अपने शपथ पत्र भेज दिये हैं। अनुमान है कि १६ जनवरी, १९६१ में शुरू होने वाले सप्ताह में न्यायालय में इनकी सुनवाई होगी।

२. इस बीच, प्राप्त उतरों का, जिनमें से कई बहुत बड़े बड़े हैं, अनुशीलन किया जा रहा है। आयोग, उस अधिसूचना की, जिसके अन्तर्गत आयोग का गठन किया गया था, धारा १ की उप-धारा (१०) और (११) के अधीन दी जाने वाली सिफारिशी उपायों सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य कर रहा

†मूल अंग्रेजी में

[1]Statement of matters.

है। प्राप्त उत्तरों का अनुशीलन करने के पश्चात् तनकीह तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १६५१

†१६३२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २५ अगस्त, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन उद्योगों को, जो प्रबन्धकों के आपसी झगड़े के कारण बन्द हो जाते हैं अथवा जिनका समापन हो जाता है, अपने हाथ में लेने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १६५१ के अन्तर्गत और अधिकार प्राप्त करने का प्रश्न इस समय किस प्रक्रम पर है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना

†१६३३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री ७ सितम्बर, १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक कर्मचारियों के लिये समाजिक सुरक्षा की एक व्यापक योजना तैयार करने के लिये नियुक्त किये गये अध्ययन दल की रिपोर्ट पर विचार करने के बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

†**श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** टिप्पणियों पर अभी विचार हो रहा है।

पंजाब सरकार के लिये सर्किट हाउस

†१६३४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री १२ अगस्त, १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पंजाब सरकार के लिये एक सर्किट हाउस बनाने के लिये दिल्ली में कुछ जमीन, जो पहले नाभा राज्य की मिलकीयत थी, प्रदान करने के बारे में इस बीच कोई फैसला किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है।

सरकारी क्वार्टर

१६३५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री २८ अप्रल, १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८७०–ग के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों की निचली मंजिलों के सामने बाड़ों के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल० कु० चन्दा) : यह निश्चय किया गया है कि अनधिकृत बाड़ों को हटा दिया जाये।

श्रीनिवासपुरी के लिये बिजली

१६३६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री १ अगस्त, १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की श्रीनिवास-पुरी नामक बस्ती को बिजली की सुविधा देने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री के० च० रेड्डी) : इस बीच में श्रीनिवासपुरी में पूरे बन चुके सब क्वार्टरों में बिजली दी जा चुकी है।

राज्यों में मूल्यांकन एकक

†१६३७. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य-स्तर पर भी मूल्यांकन एकक बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार कर के कोई फैसला किया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). प्रत्येक राज्य में मूल्यांकन करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में मूल्यांकन एकक स्थापित करने की कोई प्रस्थापना भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा पेश की गई रिपोर्टों में, हो सकता है कि विभिन्न राज्यों में जिन खंडों का अध्ययन किया गया है, उनका ब्योरा अलग अलग दिया गया हो।

भारी इंजीनियरी निगम

†१६३८. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह फैसला किया था कि भारी इंजीनियरी निगम में ५०० रु० प्रति मास से कम वेतन वाली नौकरियों में भर्ती के समय उन आदिवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी जिन की जमीन इन परियोजनाओं के कारण छिन गयी है; और

(ख) यदि हां, इन में से कितने पदों पर स्थानीय आदिवासियों को नियुक्त किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) माननीय सदस्य का ध्यान सरकारी उपक्रमों में भर्ती सम्बन्धी नीति के उस नोट की ओर दिलाया जाता है, ३०-८-१६६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८८४ के उत्तर में लोक-सभा के पटल पर रखा गया था।

(ख) भारी इंजीनियरी निगम में ५०० रु० प्रति मास से कम वेतन वाले पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी स्थिति निम्नलिखित है :—

ऐसे पदों की कुल संख्या		६५५
इन पदों पर नियुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के, जिन में आदिवासी भी शामिल हैं, के व्यक्तियों की संख्या		१२१
इन पदों पर नियुक्त वे व्यक्ति, जो भूमि अधिग्रहण की बदौलत विस्थापित हो गये थे :		
अनुसूचित आदिम जाति (आदिवासी)	२५	
अनुसूचित जाति	६	५६
अन्य	२८	

†मूल अंग्रेजी में

गोआ में भारतीय

१९३९. **श्री पद्म देव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गोआ में कितने भारतीय रह रहे हैं;

(ख) ३० नवम्बर, १९६० तक कितने भारतीय गोआ छोड़ कर भारत आ चुके हैं; और

(ग) जो भारतीय नागरिक गोआ छोड़ कर भारत आये हैं या जिन्हें आना पड़ा है उन की छोड़ी हुई सम्पत्ति कितनी है और वह किस के आधिपत्य में है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १९५४ में गोआ में हमारे प्रधान कोंसलावास के बन्द हो जाने के कारण सरकार के पास सही आंकड़े नहीं हैं, बहरहाल, रिपोर्ट के अनुसार गोआ, दमन और ड्यू में लगभग ३१०० भारतीय राष्ट्रिक हैं ।

(ख) और (ग). हर रोज औसतन २०० भारतीय, गोआनी वगैरह भारत-गोआ सीमा पार करते हैं । लेकिन जो भारतीय गोआ छोड़कर भारत आ गये हैं, उन के बारे में अलग आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं । गोआ में भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के बारे में, हाल में सरकार के पास न तो कोई विशेष रिपोर्ट आई है और न ही कोई सहायता मांगी गई है ।

सीमा विवादों पर चर्चा के लिये भारत और पाकिस्तान के मंत्रियों की बैठक

†१९४०. { **श्री सुबिमन घोष :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सभी सीमा विवादों, खासकर त्रिपुरा और गुजरात के, बारे में अभी हाल भारत और पाकिस्तान के मंत्रियों की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या मामलों का निबटारा अन्तिम रूप से हो गया;

(ग) क्या पहले के निर्णयों की समीक्षा की गई है और उस विषय में हुई प्रगति का परीक्षण किया गया है;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस बैठक में देर क्या है; और

(ङ) वह संभवतः कब होगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) और (ङ). प्रस्तावित बैठक के लिये अभी तक कोई तारीख निश्चित नहीं की गयी है ।

क्लोरीनयुक्त धोलक पदार्थ (क्लोरिनेटेड साल्वेंट्स)

†१९४१. **श्री कोडियान :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में क्लोरोफार्म डाई-ट्राई-क्लोरोएथीलीन और कार्बन-टेट्रा-क्लोराइड जैसे क्लोरीन युक्त धोलक पदार्थों (क्लोरिनेटेड-साल्वेन्टस) का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार के पास कोई योजना है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार कितना खर्च करने वाली है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). विवरण संलग्न है ।

विवरण]

अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :—

(क) सरकारी क्षेत्र में एसी कोई योजना नहीं है। फिर भी इन घोलक पदार्थों को तैयार करने की कुछ योजनाओं के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ के अधीन लाइसेंस दिये गये हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

शक्ति मद्यसार (पावर अल्कोहल)

†१९४२. **श्री खीमजी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की खोई से तैयार किया गया शक्ति मद्यसार (पावर अल्कोहल) भारत से निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कुल वार्षिक निर्यात कितना है और किन किन बन्दरगाहों से वह निर्यात किया जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** (क) और (ख). शीरे से बनाये गये मद्यसार का निर्यात इस प्रकार है :—

	लाख गैलनों में मात्रा	लाख रुपयों में मूल्य
१९५८	२.४४	६.२२
१९५९	४.७९	८.७९
जनवरी-अगस्त, १९६०	९.१७	१४.७८

ये निर्यात कलकत्ता और कांडला बन्दरगाहों से हुए हैं ।

जिला विकास कार्यक्रम

†१९४३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** २ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में जिला विकास कार्यक्रमों के अधीन रोजगार के अवसरों के बारे में आयोजन आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट में दिये गये सरकार के सुझाव कहां तक कार्यान्वित किये गये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : कुछ राज्यों ने शाहजहांपुर जिले संबंधी रिपोर्ट में सुझाये गये ढंग पर अध्ययन शुरू करने की इच्छा प्रकट की थी। इन राज्यों की रिपोर्टें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं । इस विषय में राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हेरोभंगा बस्ती योजना १ में स्कूल

†१९४४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हेरोभंगा बस्ती योजना १ में बसे हुए शरणार्थियों के लिये एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है ;

(ख) बच्चों की शिक्षा के लिये वहां क्या व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या वहां एक हाई-स्कूल खोला गया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर):** (क) और (ख). हेरोभंगा में पहले से ही एक प्राइमरी स्कूल है और इसके अलावा एक जूनियर स्कूल भी है जिस में अभी १४५ छात्र हैं।

(ग) अभी तक हाई स्कूल की कोई जरूरत नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर हाईस्कल बनाने के लिये ६.२७ एकड़ जमीन नियत की गई है।

पडुआ में फिल्म समारोह

†१९४५. **श्री रघुनाथ सिंह : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४ नवम्बर, १९६० को पडुआ (इटली) में भारत को अपने प्रलेखीय चलचित्र के लिये रजत पदक दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) और (ख). नवम्बर, १९६० में पडुआ (इटली) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वैज्ञानिक उपदेश-चल चित्रों की ५ वीं अन्तर्राष्ट्रीय समीक्षा में भारत ने सरकारी तौर पर कोई चलचित्र नहीं भेजा था। फिर भी, "फ्री टेन्डन ग्राफ्टिंग इन ए केस ऑफ इन्ट्रिन्जिक पैरालिसिस ऑफ दी हैन्ड फ्राम लेप्रोसी" नामक चल चित्र जिसे सीबा (केमिरो इन्डस्ट्रीज बेसल ऐक्शियेंगेसेल्सशाफ्ट) बेसल, स्विट्ज़रलण्ड ने तैयार किया था और जिसका निर्देशन वेल्लौर के क्रिश्चियन मेडिकल कालेज के प्रोफेसर पी० डब्ल्यू० ब्रैन्ड ने किया था और जो भारत में तैयार किया गया था, निर्माताओं ने सीधे ही समीक्षा में भेज दिया था। उस चल-चित्र को दूसरा पुरस्कार दिया गया जो चांदी का "बुक्रानियो" था। यह सन्देह का विषय है कि उसे भारतीय चलचित्र समझा जाये या नहीं।

शुद्ध माप यंत्र बनाने का कारखाना

†१९४६. **श्री कुन्हन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केरल राज्य में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत शुद्ध माप यंत्र तैयार करने के लिये एक कारखाना खोलने का सरकार का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** तीसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण में सहकार्य के लिये रूस सरकार की ओर से १५० करोड़ रूबल ऋण की सहायता से कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की सूची में शुद्ध माप यंत्र तैयार करने की एक परियोजना

---

†मूल अंग्रेजी में

शामिल की गई है । इस परियोजना का क्षेत्र, इस का स्थान और अन्य ब्यौरे अभी तैयार किये जा रहे हैं ।

राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन के हिन्दी प्रकाशन

१९४७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन ने भवन-निर्माण सम्बन्धी विषयों पर जो पुस्तिकायें निकाली हैं उन में से हिन्दी में कितनी हैं ; और

(ख) जिन के हिन्दी अनुवाद अब तक नहीं हुए हैं क्या उन के भी अनुवाद प्रकाशित किये जायेंगे ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) राष्ट्रीय इमारत संस्था ने अब तक भवन निर्माण सम्बन्धी विषयों पर मूलत: हिन्दी में लिखी हुई छः पुस्तिकायें प्रकाशित की हैं ।

(ख) राष्ट्रीय इमारत संस्था ने अभी तक अपने किसी अंग्रेजी प्रकाशन का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित नहीं किया है । ऐसा विचार है कि हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद अपने राज्यों में इन विषयों में रुचि रखने वाले लोगों में प्रचारित करने के लिये राज्य सरकारें करायें तो अधिक उचित होगा ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान

†१९४८. **श्री सुबिमन घोष : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में नौकरी करने वाले ऐसे कितने सरकारी कर्मचारी हैं जो लगातार दस वर्ष या उस से अधिक समय से काम कर रहे हैं और जो अलग-अलग 'जी', 'एफ' और 'ई' टाइप के क्वाटरों के अधिकारी हैं और उन्हें उस टाइप के क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ;

(ख) इन कर्मचारियों को संभवत: कब तक प्रत्येक टाइप के क्वार्टर दिये जायेंगे ; और

(ग) इन में से प्रत्येक वर्ग को ऐसे क्वार्टर न देने के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) डायरेक्टरेट आफ इस्टेट्स में रखे गये अभिलेखों से उन पदाधिकारियों के बारे में जो दस साल से अधिक दिल्ली और नई दिल्ली में काम कर रहे हैं और जिन्हें सरकारी क्वार्टर नहीं दिये गये हैं, जानकारी देना संभव नहीं हैं । फिर भी उन पदाधिकारियों की संख्या जो दिल्ली और नई दिल्ली में सामान्य संग्रह (जनरल पूल) में 'जी', 'एफ' और 'ई' वर्ग के आवास स्थान के दस साल या उस से अधिक समय से अधिकारी हैं और जिन्हें अभी तक सरकारी आवास स्थान नहीं दिया गया है, इस प्रकार हैं :—

	दिल्ली	नई दिल्ली
'जी' वर्ग . .	१०४०	६९१
'एफ' वर्ग	२०	३९
'ई' वर्ग	१०९	२६११

†मूल अंग्रेजी में

नियतन नियमों के अधीन कोई पदाधिकारी जिस वर्ग के आवास स्थान के लिये अधिकारी होता हैं उस से एक वर्ग नीचे के आवास स्थान के लिये आवेदन कर सकता है । जो पदाधिका ी इस नियम के अधीन 'जी', 'एफ', 'ई' वर्ग के निवास स्थानों के लिये दस वर्ष या उस से अधिक अवधि से अधिकारी हैं और जिन्हें ऐसे निवास स्थान नहीं दिये गये हैं, उन की संख्या इस प्रकार हैं :—

	दिल्ली	नई दिल्ली
'जी' वर्ग . . .	..	६९८
'एफ' वर्ग . . .	३	११०५
'ई' वर्ग . . .	..	२२५

इस संख्या में कुछ वे भी शामिल हैं जिन का पिछले पैरा में उल्लेख किया गया है ।

(ख) यह विभिन्न वर्गों के नये मकानों के निर्माण की प्रगति पर निर्भर है।

(ग) अधिकारी पदाधिकारियों की संख्या की तुलना में आवास स्थान की कमी ।

थर्मस फ्लास्क उद्योग

†१९४९. **श्री न० रा० मनिस्वामी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में थर्मस फ्लास्क उद्योग एक संरक्षित उद्योग है और यदि हां, तो कब से ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितने कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि उत्पादन-लागत बराबर बढ़ती जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी नहीं ।

(ख) सात ।

(ग) वक्यूअम फ्लास्क की उत्पादन लागत में किसी वृद्धि के बारे में सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है ।

ग्लूकोज फैक्टरी

†१९५०. **श्री वारियर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में ग्लूकोज कारखाना खोलने के लिये कोई लाइसेंस दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसने इस बीच उत्पादन आरम्भ कर दिया है

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन के रेडियो ब्राडकास्ट

†१९५१. श्री कालिका सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६० में चीन गणतंत्र राज्य ने अनेक उच्च शक्तिशाली रेडियो प्रसार द्वारा, खास कर भारत के लिये, समाचार-सेवाओं के कोई नये कार्यक्रम चालू किये हैं और यदि हां, तो कौन कौन सी विशिष्ट सेवायें हैं, उन की कितनी अवधि होती है और अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारतीय श्रोताओं के लिये चीन ने अभी हाल में और कौनसे अन्य फीचर और सांस्कृतिक रेडियो ब्राडकास्ट आरंभ किये हैं ;

(ग) क्या चीन हिन्दी, बंगाली, अंग्रेजी और भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है और यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या भारत भी चीन स्थित चीनी श्रोताओं के लिये चीनी भाषा में समाचार और अन्य भाषण प्रसारित करता है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ग). ८–३० बजे से ९–३० बजे के बीच और १९–३० बजे से २०–३० बजे के बीच दो वर्तमान प्रेषणों (ट्रान्समिशन्स) के अलावा चीन गणतंत्र राज्य ने खासकर भारतीयों के लिये २१–३० बज से २२–३० बजे तक के बीच १९६० में एक नई सेवा (सर्विस) चालू की है। इन ट्रान्समिशन्स में अंग्रेजी और हिन्दी कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

(ख) पेकिंग रेडियो ने शनिवार को १७–३० बजे अंग्रेजी में एक साप्ताहिक "क्विज" कार्यक्रम आरम्भ किया है।

(घ) जी हां। चीनी श्रोताओं के लिये कन्टोनीज और क्यूयू भाषाओं में समाचार और अन्य कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

प्रेस सूचना विभाग

†१९५२. श्री क० उ० परमार: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस सूचना विभाग में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है और १९४७ में तथा १९५७ में कितनी थी ;

(ख) १९४७, १९५७ और १९६० में उप-प्रधान सूचना पदाधिकारी, सूचना पदाधिकारी और सहायक सूचना पदाधिकारी कितने थे ; और

(ग) क्या यहां कमखर्ची की कोई गुंजाइश है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) तकनीकी तथा गैर-तकनीकी, सभी श्रेणियों में प्रेस सूचना विभाग के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या (१-१०-१९६०) को ९३१ है। १९४७ में और १९५७ में उनकी संख्या क्रमश: ४८१ और ९७७ थी।

(ख)	१-४-१९४७	१-४-१९५७	१-१०-१९६०
उप प्रधान सूचना पदाधिकारी .	८	११	९
सूचना पदाधिकारी .	१६	२६	२७
सहायक सूचना पदाधिकारी .	१५	६३	६५

(ग) वित्त मंत्रालय के विशेष पुनर्गठन यूनिट (स्पेशल रिआर्गनाइजेशन यूनिट) ने १९५७ में काम के अध्ययन के बाद प्रेस सूचना विभाग के कर्मचारियों की संख्या का पुनर्विलोकन किया था, उस समिति की सिफारिशें १ अगस्त, १९५८ से मंजूर की गयीं। तब से विभाग की कर्मचारी-संख्या में वेअरहाउसिंग कारपोरेशन के लिये प्रचार के हेतु केवल एक सूचना पदाधिकारी के पद को छोड़ कर कोई वृद्धि नहीं हुई है और केन्द्रीय सूचना सेवा के चालू किये जाने पर आवश्यक अवकाश डेप्यूटेशन कोटा निर्धारित किया गया है।

न्यू सेन्ट्रल मार्केट, नयी दिल्ली

†१९५३. **श्री ओंकार लाल** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यू सेन्ट्रल मार्केट और अन्य बाजारों में मकान (फ्लैट्स) केवल व्यापार सम्बन्धी कार्यों के लिये ही दिये जाते हैं और रहने के लिये नहीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन लोगों ने उन पर कब्जा किया है उन में से कुछ लोगों ने उन मकानों में व्यापार तथा निवास के लिये उन का उपयोग करने के लिये कुछ रद्दोबदल किये हैं ; और

(ग) यदि हां तो ऐसे कितने मकानों (फ्लैट्स) में रद्दोबदल किये गये हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) जी हां, जहां तक न्यू सेंट्रल मार्केट का सम्बन्ध है। इस मन्त्रालय के अधीन अन्य बाजारों में फ्लैट्स व्यापारिक कार्यों के लिये नहीं दिये जाते। केवल कमला मार्केट में एक फ्लैट सरकारी आफिस के लिये काम में लाया जा रहा है।

(ख) ऐसा कोई मामला डाइरेक्टरेट आफ इस्टेट्स की नजर में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ब्रिटेन की यात्रा पर निर्बन्धन

†१९५४. **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने वे आदेश रद्द कर दिये हैं जिनका अर्थ कलकत्ते के हवाई अड्डे के पदाधिकारियों ने नवम्बर के प्रारम्भ में यह लगाया था कि उन भारतीय

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रजनों को, जिनके पास वैध पारपत्र और यात्रा सम्बन्धी अन्य प्रलेख हों, अंग्रेजी भाषा के अपर्याप्त ज्ञान या उसके बिल्कुल ही न होने पर ब्रिटेन जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: अर्धशिक्षित और अशिक्षित लोग अब भी विदेश जा रहे हैं। सरकार केवल जाली पारपत्रों पर यात्रा रोकने के लिये चिन्तित है और उस दिशा में कार्यवाही के तौर पर निकासी प्रमाणपत्र (क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट) चालू किये गये हैं। यह नवम्बर, १९५९ में चालू किया गया था जबकि अर्ध-शिक्षित और अशिक्षित लोग जाली पारपत्रों पर यात्रा करते थे। जो आदेश जारी किये गये थे वे यह थे कि अशिक्षित और अर्धशिक्षित व्यक्ति ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों के लिये रवाना होने से पन्द्रह दिन पहले प्रादेशिक पारपत्र कार्यालयों में निकासी प्रमाणपत्र (क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट) के लिये आवेदन करें ताकि वे नाके उनके पारपत्रों की सचाई की जांच कर सकें। हवाई अड्डे के अधिकारी बराबर ही इन आदेशों का ठीक ठीक पालन करते रहे और किसी ने भी इन आदेशों का गलत अर्थ नहीं लगाया। अभी हाल की घटना में जिसमें दो व्यक्तियों को जिनके पास वैध पारपत्र थे, यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गयी, दुर्भाग्यवश उन यात्रियों के पास पारपत्रों की सचाई बताने के लिये प्रादेशिक पारपत्र पदाधिकारी द्वारा जारी किये गये निकासी प्रमाणपत्र नहीं थे।

उसके बाद स्थिति की समीक्षा की गयी है और उपरोक्त आदेश इस बीच वापिस ले लिये गये हैं क्योंकि अन्य कार्यवाहियों से पारपत्रों में जालसाजी प्रायः रोक दी गयी है।

पंडारा रोड के फ्लैट

†१९५५. **श्री म० ब० ठाकुर :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंडारा रोड पर 'ई' टाइप फ्लैट्स में रहने वालों के एक असोसियेशन ने उस बस्ती के निवासियों के कल्याण के लिये सुविधाएं देने के विषय में अभी हाल में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुविधाएं मांगी गयी हैं; और

(ग) यह सुविधाएं देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६३]**.

चाय के बाग

†१९५६. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में चाय के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार वहां चाय को तैयार करने (प्रोसेसिंग) की किसी योजना को चालू करने का विचार कर रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). मण्डी में चाय बागानों के छोटे उत्पादकों की हरी चाय का प्रोसेसिंग करने के लिये एक केन्द्रीय कारखाना खोलना न तो व्यावहारिक ही समझा गया है और न लाभप्रद ही। इसका कारण यह है कि उनके बगीचे छोटे छोटे हैं और बहुत बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए हैं, इस कारण कारखाने के लिये पर्याप्त परिमाण में चाय का सम्भरण करना सुनिश्चित नहीं हो सकता ।

टी ब्रिक का आयात

†१९५७. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में टी ब्रिक का आयात १९५८ और १९५९ के बीच सौ प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्रमिक कल्याण समिति

†१९५८. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने श्रमिक कल्याण समिति कायम की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के क्या उद्देश्य हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) इस समिति के कार्य इस प्रकार हैं:—

(१) चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ३०(१) के अर्थ में श्रमिक कल्याण के लिये एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करना जिससे यह निश्चित हो कि उपलब्ध निधियां उन जरूरी आवश्यकताओं के लिये, जो चाय बागान मालिकों के संविहित कर्त्तव्य के अन्तर्गत नहीं आती, काम में लायी जायें ।

(२) खास कर इस विषय पर विचार करने के लिये कि श्रमिक कल्याण योजनाओं से श्रमिकों में उत्साह और साहस उत्पन्न होगा या नहीं, उन योजनाओं का परीक्षण करना और कार्यपालिका समिति तथा/अथवा चाय बोर्ड को उन योजनाओं की सिफारिश करना ।

(३) वित्तीय सहायता जैसे शैक्षणिक छात्रवृत्तियां, अस्पतालों और स्कूलों के लिये अनुदान, खेल कूद तथा स्काउटिंग को प्रोत्साहन देने के लिये अनुदान, देने के लिये मार्ग दर्शक सिद्धान्त बनाना।

(४) बोर्ड की अन्य किसी कल्याण-कार्यवाही के लिये मार्ग दर्शक सिद्धान्त बनाना; और

(५) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि विशिष्ट श्रमिक कल्याण योजनाओं के लिए मंजूर की गयी निधियों का यथोचित उपयोग किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नेपाल नरेश द्वारा नेपाली मंत्रिमंडल की बरखास्तगी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे नेपाल के राजा द्वारा नेपाली मन्त्रिमण्डल की बर्खास्तगी और उसके भारत पर प्रभाव के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत गुप्त की ओर से एक स्थगन प्रस्ताव और श्री ब्रजराज सिंह की ओर से ध्यान दिलाने की सूचना प्राप्त हुई है। यह कहा गया है कि संयोग से उस समय जनरल तिम्मय्या काठमाण्डू में उपस्थित थे। मैं इसको यहां केवल इसलिये रख रहा हूं कि नेपाल हमारा पड़ौसी देश है और वहां जो कुछ होगा उसका हमारे देश पर भी प्रभाव पड़ सकता है, खास तौर पर जब चीन के साथ उस तरफ हमारे सीमा सम्बन्धी झगड़े चल रहे हैं। माननीय प्रधान मन्त्री इसके सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं?

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम): मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को इस राजनैतिक संकट के सम्बन्ध में कोई पूर्व सूचना अथवा संकेत मिला था और क्या यह सच है कि इस घटना के समय हमारे राजदूत काठमाण्डू में उपस्थित रहने के बजाए शिकार खेलने गये हुए थे।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची-पश्चिम-अनुसूचित आदिम जातियां): मुझे आश्चर्य है कि आपने इसे यहां उठाने की स्वीकृति दे दी है क्योंकि इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा नहीं की जा सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जल्दबाजी न करें। मैंने अभी अनुमति नहीं दी है वरन् अपना निर्णय देने के पूर्व माननीय प्रधान मन्त्री से तथ्य जानना चाहता था। जैसा मैं बता चुका हूं यह मामले हमारे निकटतम पड़ौसी से सम्बद्ध हैं जिसके दूसरी ओर वह देश है जिसने हमारे १२,००० वर्गमील क्षेत्र पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है। इसलिये मैं तथ्य जानना चाहता था।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मेरा निवेदन है कि इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है मैं अल्पसूचना प्रश्न पर ही आवश्यक जानकारी दे सकता था, जो भी मेरे पास होती। ऐसे मामलों में जिनमें माननीय सदस्य कुछ सूचना चाहते हों, मैं एक दिन के नोटिस पर भी जो कुछ जानकारी मेरे पास हो, उसे देने को तैयार हूं।

वहां जो कुछ हुआ है उसकी आलोचना करना मेरा काम नहीं है परन्तु इस बात का हम सभी को खेद है कि वहां प्रजातन्त्र का जो परीक्षण हो रहा था उसको धक्का पहुंचा है। मैं उसके सम्बन्ध में इतना ही कह सकता हूं।

माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या हमें अपने दूतावास द्वारा अथवा अन्यथा कोई संकेत इसके सम्बन्ध में मिला था? जो घटना कल घटित हुई है उसकी हमें कोई पूर्व सूचना नहीं थी और हमारे राजदूत का उस समय नगर में न होना इसका प्रमाण भी है।। परन्तु इसके साथ ही यह अवश्य है कि पिछले कुछ महीनों से हमें इस प्रकार की सूचनायें बार बार मिल रही थीं कि नेपाल के राजा वहां की स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हैं और वह कोई कार्यवाही कर सकते हैं। वह कार्यवाही क्या होगी और कब होगी इसका हमें कुछ भी पता नहीं था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जहां तक जनरल तिमय्या का सम्बन्ध है, उन्हें भी इसके सम्बन्ध में कोई पूर्व सूचना नहीं थी। कुछ समय पूर्व हमें नेपाल सरकार ने यह सूचित किया था, सम्भवतः वह वहां के राजा की इच्छा थी, कि वे लोग जनरल तिमय्या को कोई उपाधि देकर तथा नेपाली क्षेत्र में अवैतनिक जनरल नियुक्त करके सम्मानित करना चाहते हैं। हमने उन्हें यह उत्तर दिया कि हम उपाधियां देना तो मंजूर नहीं करते हैं परन्तु नेपाली सेना में अवैतनिक जनरल बनाए जाने के सम्बन्ध में हमें कोई आपत्ति नहीं है। जनरल तिमय्या यह अवेतनिक जनरल पद प्राप्त करने ही वहां गए थे और सम्भवतः कल या दो दिन पूर्व ही एक संक्षिप्त समारोह में नेपाल नरेश ने उनको वह पद प्रदान किया था। वह वहां दो एक दिन के लिये ठहर गए और तभी यह घटना हो गई जिसकी उन्हें कोई पूर्व जानकारी नहीं थी।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद): चूंकि वहां प्रजातन्त्र को खत्म किया गया है इसलिये क्या सरकार का जनरल तिमय्या से यह कहना उचित नहीं होगा कि वह उस सम्मान को स्वीकार न करें? **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह सम्मान समारोह तो सम्पन्न हो चुका है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जनरल तिमय्या से वैसा करने के लिये नहीं कहा जा सकता है। मैंने यह विषय केवल इसलिये यहां रखा है कि वह हमारे लिये महत्वपूर्ण है। परन्तु भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि स्थगन प्रस्ताव का प्रयोग जानकारी प्राप्त करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये। मैं इसे ध्यान दिलाने की सूचना के रूप में स्वीकार करने को तैयार हूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैंने ध्यान दिलाने की सूचना पहले ही दे दी है। हम इस विषय पर सरकार की निन्दा नहीं करते।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मन्त्री ने स्थिति बता दी है। जो कुछ वहां हो रहा है हम उसे देख रहे हैं मगर उस पर हमारा नियन्त्रण नहीं है।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा): प्रधान मन्त्री ने कहा कि जब वहां यह उलट फेर हुई थी उस समय हमारे राजदूत काठमाण्डू में नहीं थे। यह बड़ी विचित्र बात है कि जब अंकारा में ऐसी घटना हुई थी उस समय भी हमारे राजदूत राजधानी में उपस्थित नहीं थे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य निराधार उदाहरण दे रहे हैं। जब अंकारा में उलट फेर हुई थी उस समय हमारे राजदूत मेरे साथ कान्सटेन्टीनोपिल में ही थे। वह कहीं गये नहीं थे। और इस मामले में, हमारे राजदूत देश से बाहर नहीं गये थे। इससे पता चलता है कि उन्हें भी मंत्रियों आदि की तरह इन घटनाओं का कोई संकेत नहीं था।

सभा पटल रखे गए पत्र

उर्वरक तथा रसायन समवाय एकीकरण आदेश

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ३९६ की उपधारा (५) के अन्तर्गत दिनांक २६ नवम्बर, १९६० की अधिसूचाना संख्या एस० ओ० २८१६ में प्रकाशित उर्वरक और रसायन समवाय एकीकरण आदेश, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—२५४३/६०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियमों में संशोधन

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिदअली)** : मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—२५४४/६०]**

प्राक्कलन समिति

अठानवेवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय—टैक्नीकल शिक्षा—भाग १ सम्बन्धी प्राक्लकन समिति (दूसरी लोक-सभा) के दसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्रालय के बारे में प्राक्कलन समिति का अठानवेवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

राउरकेला उर्वरक कारखाने के मजदूरों द्वारा हड़ताल

†**श्रीमती मफीदा अहमद** (जोरहाट): नियम, १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उस के संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"राउरकेला उर्वरक कारखाने में निर्माण-कार्य पर लगे हुए कुछ मजदूरों द्वारा हड़ताल।"

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: ६ दिसम्बर, १९६० को मैसर्स सिंदरी फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड के उप-ठेकेदार मैसर्स ब्रिटेनिया बिल्डिंग एंड आयरन कम्पनी ने लगभग २०० मजदूरों को, जो फालतू हो गये थे, काम से हटा दिया। यह मजदूर अन्य ३०० छंटनी हुए मजदूरों में जा मिले और इन सब ने मिल कर एक जलूस निकाला और अन्य मजदूरों को हड़ताल करने के लिये भड़काया। इस फर्म के लगभग ८०० मजदूरों ने हड़ताल की। १३ दिसम्बर, १९६० को हड़ताल समाप्त कर दी गई और उदितनगर के सब डिवीजनल आफिसर, के सदप्रयत्नों के फलस्वरूप १२ तारीख की रात को हुए समझौते के आधार पर सभी मजदूर काम पर आये। उर्वरक कारखाने के एक अन्य ठेकेदार मैसर्स उड़ै कम्पनी के एक उप-ठेकेदार मैसर्स गैनन डन्करले के ४०० मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी यह हड़ताल १४ दिसम्बर, १९६० को समाप्त हो गई और दस मजदूरों के अतिरिक्त अन्य सभी मजदूर काम पर आये। इस समय उर्वरक कारखाने में सभी मजदूर काम पर आ रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं सोमवार, १९ दिसम्बर, १९६० को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित किया जाना :—

(क) संविधान (नवां संशोधन) विधेयक, १९६०

(दो) अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक १९६०

(२) आज की कार्य-सूची से बचे किसी सरकारी कार्य पर विचार

(३) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित किया जाना :—

(एक) औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, १९६०

(दो) तार विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६०

(तीन) ब्रिटिश संविधियां (भारत पर लागू होना) निरसन विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

(चार) निरसरन तथा संशोधन विधेयक, १९६०, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

(पांच) भारी बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक, १९६०

(४) गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर १ अगस्त, १९५८ से ३१ जुलाई, १९५९ तक की अवधि के बारे में भाषाई अल्प-संख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा

(५) २१ दिसम्बर को ३ बजे श्री त० ब० विट्ठल राव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव पर मध्यम पत्तन विकास समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा ।

औचित्य प्रश्न के बारे में

†श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर) : कार्य सूची के अनुसार इस से पहले कि आप अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक पुर:स्थापित करने के लिये प्रधान मंत्री को बुलाये मैं एक औचित्य प्रश्न . . .

†उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने कई बार यह निर्णय दिया है कि जब तक सभा में कोई काम शुरू न हुआ हो अथवा कार्य सूची के अनुसार कोई कार्यक्रम सभा में विचारार्थ न हो तब तक उसके बारे में कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । फिर औचित्य प्रश्न किस प्रकार उठाया जा सकता है। अनायास ही औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । कोई कार्यक्रम तो सभा के सामने आने दीजिये ।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : कार्य सूची में इस का उल्लेख है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन इसे विचारार्थ तो आने दीजिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : नियमों के अनुसार हम उस समय औचित्य प्रश्न नहीं उठा सकते जब कि कोई प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा जाता है। इस सभा की प्रक्रिया सदैव यह रही है कि पुरःस्थापित करने के लिये जैसे ही कोई मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करता है वैसे ही अध्यक्ष उसे सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत कर देते हैं। अतः मैं समझता हूं कि हम नियम, ३७६(२) का सहारा ले सकते हैं। मेरा निवेदन है कि अब कुछ क्षण में सभा के सामने कार्यसूची के अनुसार प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाने वाला है। मैं जो औचित्य प्रश्न पूछने वाला हूं वह ऐसा है कि आप उस प्रस्ताव को स्थगित कर देंगे और आगामी चर्चा को रोक देंगे।

†**श्री त्रिविब कुमार चौधरी** : इस बारे में आप अपना निर्णय दें इस से पूर्व मुझे बोलने की अनुमति .....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले औचित्य प्रश्न की बात निश्चित हो जाने दीजिये। नियम, ३७६ में देख रहा हूं। संसद्-कार्य मंत्री ने केवल इतना ही कहा है कि आगामी सप्ताह में क्या कार्यक्रम लिया जायेगा और उस कार्यक्रम के बारे में कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अभी तो दो दिन शेष हैं। इस समय तो वह कार्यक्रम विचारार्थ नहीं लिया जा रहा है। अतः जहां तक कि संसद्-कार्य मंत्री के वक्तव्य की बात है, यह औचित्य प्रश्न की बात खत्म हो जाती है।

दूसरी बात अर्जित राज्यक्षेत्र (विलय) विधेयक के बारे में है। यह आज की कार्य सूची में है। और अब इसे विचारार्थ लिया जाने वाला है। पहले इसे विचारार्थ तो आने दीजिये। माननीय सदस्य ने कहा है कि जैसे ही मंत्री महोदय पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं वैसे ही अध्यक्ष उसे मतदान के लिये रख देते हैं। लेकिन इन दोनों बातों के बीच कुछ समय तो मिलता ही है। उस समय माननीय सदस्य कह सकते हैं कि प्रमुख कार्यक्रम सभा के सामने है और इस बारे में मेरी यह आपत्ति है अतः जब तक कोई कार्यक्रम सभा के सामने नहीं आता तब तक कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। माननीय प्रधान मंत्री।

अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक

† **प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में अर्जित किये गये कुछ राज्य क्षेत्रों को आसाम, पंजाब और पश्चिम बंगाल के राज्यों में विलय और तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री महन्ती** (ढंकानल) : मेरा औचित्य प्रश्न दूसरा ही है।

†**उपायक्ष महोदय** : उठाये जाने वाले सभी औचित्य प्रश्नों के बारे में मैं विचार करूंगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : मेरा औचित्य प्रश्न प्रधान मंत्री द्वारा पुरःस्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में है जो उन्हों ने अभी रखा है। मैं अनुभव करता हूं कि यह विधेयक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

जिसे कि प्रधान मंत्री ने इस सभा में पुरःस्थापित करने का प्रयास किया है अपनी कुछ कमियों के कारण संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। और वे कमियां इसे प्रस्तुत करने के ढंग से उत्पन्न हुई हैं।

उद्देश्य और कारणों के विवरण की कंडिका ३ में यह लिखा है कि "संविधान के अनुच्छेद ३ के परन्तुक के अनुसार यह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों को उनका मत जानने के लिये भेजा गया था जिन्हों ने उस पर अपनी राय जाहिर कर दी है।" इस पर प्रधान मंत्री के १२ दिसम्बर, १९६० के हस्ताक्षर हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस अनुच्छेद ३ के अनुसार राष्ट्रपति तत्सम्बन्धी राज्यों से दो बातों के बारे में राय जानते हैं। पहली बात तो विधेयक के पुरःस्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में है और दूसरी बात विधेयक के उपबंधों के बारे में है। अनुच्छेद १६८ में विधान सभाओं की परिभाषा का उल्लेख किया गया है।

हमें पता चला है कि आसाम, पंजाब, पश्चिमी बंगाल की विधान सभाओं ने इस विधेयक के बारे में अपनी राय अभी तक व्यक्त नहीं की है। अब १२ दिसम्बर के वक्तव्य में प्रधान मंत्री कहते हैं कि उन राज्यों के विधान मंडलों की राय जान ली गई है जिसे सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि इन राज्यों की विधान सभाओं ने अपना मत दे दिया है जैसा कि नहीं हुआ है; लेकिन आज के 'स्टेट्समैन' को पढ़ने एवं १३ दिसम्बर के 'अमृत बाजार पत्रिका' में प्रकाशित समाचार को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि १२ दिसम्बर तक पश्चिमी बंगाल के विधान मंडल ने अपनी राय नहीं दी थी। अनुच्छेद ३ में स्पष्ट रूप से यह व्यक्त किया गया है कि राष्ट्रपति अपनी सिफारिश करने से पूर्व सम्बन्धित राज्य विधान मंडलों के मत जान लें। विधेयक को देखने से लगता है कि राष्ट्रपति ने अपनी सिफारिश कर दी है। राष्ट्रपति द्वारा राय जानने और सिफारिश करने के बीच कुछ समय अवश्य लगना चाहिये था और उसी के आधार पर प्रधान मंत्री और सरकार इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत कर सकते थे।

मैं यह भी जानता हूं कि पश्चिमी बंगाल विधान सभा में यह मामला ४ दिसम्बर, १९६० को उठाया गया था। और इस विधेयक के बारे में संवैधानिक त्रुटियों से सम्बन्धित एक संकल्प भी उन्होंने पारित किया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या विधेयक के पहुंचने के बाद ऐसा किया गया था क्योंकि विधेयक के पहुंच जाने के पश्चात् ही वे ऐसा कर सकते हैं। माननीय सदस्य से मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विधेयक उन्हें किस तारीख को मिला।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : यह मामला किसी रूप में वहां की विधान सभा में विचारार्थ १२ दिसम्बर को उठा। और विधान सभा ने एक विशेष संकल्प पारित भी किया। उसी तारीख को विधान सभा में वहां के मुख्य मंत्री के प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसके बारे में कोई निश्चित निर्णय नहीं हुआ। और यह दावा किया गया कि विधान सभा की राय भेजी नहीं गई है। हो सकता है कि यह बात गलत हो लेकिन जहां तक विधान परिषद की बात है और हमारे पास जो कागज उपलब्ध हैं उनसे

†मूल अंग्रेजी में

स्पष्ट है कि यह मामला उसके सामने १४ दिसम्बर तक नहीं रखा गया था। १४ दिसम्बर को जब यह मामला रखा गया तो वहां बड़ा हुल्लड़ हुआ जिसके फलस्वरूप चेयरमैन ने परिषद् की बैठक स्थगित कर दी। १५ तारीख को चेयरमैन आये लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई अतः परिषद् अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गई। चेयरमैन ने स्टेट्समैन के संवाददाता को बताया कि विधान परिषद् के विचार ज्ञात नहीं हुए हैं और वे राष्ट्रपति को नहीं भेजे जा सके हैं।

मेरा निवेदन यह है कि १२ दिसम्बर को उद्देश्य और कारणों का विवरण तैयार किया गया। इस विवरण के आधार पर ही हमें यह विचार करना है कि यह विधेयक स्वीकार करने योग्य है अथवा नहीं; लेकिन स्पष्ट रूप से यह एक भ्रान्तिकारी विवरण है क्योंकि पश्चिमी बंगाल की विधान परिषद् के विचार नहीं ज्ञात किये गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को यह सब कुछ नहीं कहना चाहिये। दूसरे पक्ष की भी बात सुननी चाहिये।

मैं इसे औचित्य प्रश्न नहीं मानता।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस की अनुमति दी जा चुकी है। मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि यह विधेयक आरम्भ से ही त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह विधेयक सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श लेने के बाद ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। सभी पत्रों को देखने से स्पष्ट है कि इस बारे में पश्चिमी बंगाल विधान सभा एवं विधान परिषद् का मत नहीं लिया गया है और राष्ट्रपति को नहीं भेजा जा सका है। अतः यह विधेयक त्रुटिपूर्ण है क्यों कि प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति की बिना सिफारिश के ही इस पर १२ दिसम्बर को हस्ताक्षर कर दिये हैं। मुझे दुःख इस बात का है कि उनके परामर्शदाता उन्हें बड़ी खराब स्थिति में रख रहे हैं। अतः मेरा निवेदन यह है कि यह मामला यहां प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल है।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मेरा निवेदन यह है कि ऐसी कुछ रीतियों का पालन नहीं हुआ है जिनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिये था। वैसे तो मैं ने तो इसके पक्ष में ही हूं और न इसके विरोध में लेकिन मेरा विचार यह है कि संसद् इस विधेयक पर विचार करने के लिये सक्षम नहीं है, क्योंकि कुछ शर्तों की पूर्ति नहीं की गई है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : अनुच्छेद ३ के अनुसार इस बात की आवश्यकता है कि यह विधेयक पहले विधान सभाओं को भेजा जाये। माननीय सदस्य उद्देश्य और कारणों के विवरण पर प्रधान मंत्री ने जो हस्ताक्षर किये हैं उस का विरोध कर रहे हैं। दिनांक १२ दिसम्बर का उद्देश्यों और कारणों का विवरण संविधान की अपेक्षा के अनुसार विधान मंडलों को निर्देशित किये जाने के पश्चात् अभिलिखित किया गया है। इसलिये विवरण पर हस्ताक्षर उनकी आपत्तियों का संकलन करने के बाद ही हुए हैं। अतः इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : इस बारे में मेरी बात भी सुनी जाये मेरा भी एक औचित्य प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि औचित्य प्रश्न के बारे में मुझे कुछ संदेह है तो निश्चय ही मैं समस्त सदन की राय लूंगा। अब मैं प्रधान मंत्री से कहूंगा कि वह स्थिति का स्पष्टीकरण करें। अनुच्छेद ३ के अनुसार राष्ट्रपति को राज्य के विधान मंडलों से उनकी राय जाननी होती है और उसके

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

लिये एक निश्चित तिथि निर्धारित कर दी जाती है। क्या इस मामले में कोई तिथि निर्धारित की गई थी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : ये कागजात राष्ट्रपति की ओर से २३ अक्तूबर को भेजे गये थे और जो तारीख नियत की गई थी वह एक महीने बाद की अर्थात २३ नवम्बर थी। जहां तक आसाम और पंजाब की सरकार एवं वहां के विधान मंडलों की बात है उनके उत्तर उसी महीने में आ गये थे। अतः उनके बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पश्चिमी बंगाल विधान सभा के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार ने कई आपत्तियां की थीं। यह प्रश्न यहां भी उठाया गया था। उस समय मैं ने कानूनी स्थिति की विशद व्याख्या की थी और मैंने बताया था कि ये कानूनी आपत्तियां निराधार हैं। जब २३ नवम्बर की तारीख निकल गई तो हम ने राष्ट्रपति से सिफारिश की कि वह इस तिथि को आगे के लिये बढ़ा दें, जैसा कि संविधान में व्यवस्था की गई है।

†अध्यक्ष महोदय : वह तिथि क्या थी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तिथि बढ़ा कर १५ दिसम्बर तक कर दी गई ताकि वे इस दिन तक उस पर विचार कर सकें। स्थिति यह थी।

पश्चिमी बंगाल विधान सभा ने इस विषय पर बहुत पहले ही विचार कर लिया था और उन्होंने ये आपत्तियां उठाई थीं। मुझे परामर्श दिया गया है कि जहां तक विधान सभा का सम्बन्ध है यही काफी है कि राष्ट्रपति ने यह मामला उन तक भेजा। यदि उन्होंने इस पर उचित रूप से विचार नहीं किया तो इस में राष्ट्रपति अथवा किसी दूसरे का क्या दोष है ? खैर, इसकी अवधि बढ़ा दी गई थी और राष्ट्रपति द्वारा उनसे इस पर विचार करने के लिये कहा गया। पश्चिमी बंगाल विधान सभा ने इस पर काफ़ी विचार किया और यह मामला विधान परिषद् के सामने भी रखा गया उन्होंने भी इस पर विचार किया यद्यपि वे इस पर विचार कार्य समाप्त नहीं कर सके क्योंकि वहां कुछ गड़बड़ी हो गई और विधान परिषद् के चेयरमैन को बैठक स्थगित कर देनी पड़ी।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना है कि यह मामला परिषद् को १३ दिसम्बर को भेजा गया था।

†श्री विमल घोष (बैरकपुर) : १४ दिसम्बर को।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यहां से तो यह मामला पश्चिमी बंगाल सरकार को काफी दिन पहले ही भेजा गया था। पहले यह आपत्ति की गई थी कि इसे इस प्रकार नहीं भेजा जाना चाहिये था। राष्ट्रपति को चाहिये था कि वह यह मामला सीधे अध्यक्ष या चेयरमैन को भेजते। मैं ने उस समय बताया था कि यह सही प्रक्रिया नहीं है और पिछले १० वर्षों से ऐसा नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की ओर से राज्य का मंत्रिमंडल कार्य कर रहा है। जैसा कि यहां मंत्रालय कार्य कर रहे हैं। अतः यह निश्चय किया गया और हमने राष्ट्रपति के नाम से यह मामला पश्चिमी बंगाल सरकार को भेज दिया। पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह मामला पहले वहां की विधान सभा में रखा और वहां इस बारे में चर्चा हुई। वहां चर्चा समाप्त हो जाने के बाद यह वहां की विधान परिषद् में रखा गया। बीच में कुछ समय लगा। पहले यह वहां की विधान सभा में विचार के लिये गया और

---

†मूल अंग्रेजी में

बाद को विधान परिषद् में। हमें पश्चिमी बंगाल सरकार से विधान सभा की और स्थगित होने के दिन तक विधान परिषद् की कार्यवाहियों का पूरा ब्यौरा मिल गया है।

इस मामले में विधि की अपेक्षायें तीन हैं : पहली तो यह है कि ऐसे विधान के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश हो; वह बात पूरी हो गई है। दूसरे राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्बन्धित राज्य सरकारों को उनकी राय जानने के लिये भेजें। यह भी भेजा गया है। तीसरे, निर्धारित अवधि अथवा उसके बाद बढ़ाई गई अवधि बीत जाने दी जाये। मेरा निवेदन है कि यह शर्त भी पूरी हो गई थी। बढ़ाया हुआ समय बीत गया था। कोई विशेष विधान सभा अथवा विधान परिषद् यह नहीं कह सकती कि वह उस मामले विशेष के बारे में "कुछ नहीं कहना चाहती"। स्थिति यह है कि यह मामला उनको भेजा गया था और यदि निर्धारित अवधि के भीतर विधान मंडल इसका फायदा नहीं उठाता तो उससे कार्यवाही में कोई त्रुटि नहीं आती। मेरा निवेदन है कि उपरोक्त तीनों शर्तों की पूर्ति कर दी गयी थी।

माननीय सदस्य ने उद्देश्य और कारणों के विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह एक छोटा सा मामला है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि ये विधेयक सभा के सामने रखे जाने से दो या तीन दिन पहले छप जाते हैं असली तारीख तो वह तारीख मानी जायेगी जिस दिन मैं इसे यहां प्रस्तुत करता हूं। विधेयक की औपचारिक प्रति में जिसे सचिवालय में रखा गया है, आज की ही तारीख है। वह तो सुविधा की दृष्टि से पहले ही छपा ली गई थी। वर्ना हम विधेयक की प्रतियां प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाते। अतः इस पर मैंने वही तिथि डाली है जिस दिन कि मैंने इसे सभा पटल पर प्रस्तुत किया।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने प्रधान मंत्री की बात सुन ली है। और अब मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं। छपे हुए उद्देश्य और कारणों के विवरण के आधार पर औचित्य प्रश्न उठाया गया है जो कि माननीय सदस्य को भेजा गया था; उस पर १२ दिसम्बर, १९६०, की तिथि पड़ी है। यदि राष्ट्रपति द्वारा यह अवधि १५ दिसम्बर तक बढ़ा दी गई थी तो सभा की यह भावना हो सकती है कि यह विधेयक समय से पहले रखा गया है। और विधान मंडल की राय जाने बिना इस सभा में विधेयक प्रस्तुत करने का कोई अर्थ नहीं है।

मेरे सामने विधेयक की प्रति प्रस्तुत है। इस प्रति के उद्देश्य और कारणों के विवरण पर १२ दिसम्बर की तिथि पड़ी है। और यही प्रतियां सभी सदस्यों को शायद भेजी गई हैं। प्रश्न यह उठाया गया है कि यदि समय १५ दिसम्बर तक का दिया गया था तो यह कैसे हुआ कि राष्ट्रपति १५ दिसम्बर से पहले ही इस निर्णय पर पहुंच गये।

संविधान के अनुसार तीन बातें उठती हैं। पहली बात तो यह है कि विधान मंडलों की राय जानी जाये। लेकिन हो सकता है कि उनकी राय आये या न आये। अतः संविधान में संशोधन करके अब यही कहा गया है कि उनको केवल भेजा जाये। और यदि वे अपनी राय नहीं देते तो हम इसके लिये उनकी अनिश्चित काल तक प्रतिक्षा नहीं कर सकते। १५ दिसम्बर की तिथि उन्हें दी गई थी। विधान मंडल को इससे पूर्व ही अपनी राय दे देनी चाहिये थी। अगर वे अपनी राय नहीं देते हैं तो हम पर इसका कोई बन्धन नहीं है।

दूसरी बात विधेयक की प्रतियों के बारे में है जिस में ग़लती से १२ दिसम्बर की तारीख दी हुई है क्योंकि इन्हें पहले से छपवा लिया गया था। लेकिन विधेयक १५ दिसम्बर के बाद ही पुरःस्थापित किया गया है। इस प्रकार कोई अनियमित कार्य नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

राष्ट्रपति ने अपनी सिफारिश कर दी है। दूसरे यह विधेयक पश्चिमी बंगाल के विधान मंडल को भेजा गया था। वहां भेज देने के अतिरिक्त हमारा कोई और क्षेत्राधिकार वहां नहीं है। अतः अनुच्छेद ३ की शर्तों की पूर्ति कर दी गई है। उनके विचार पाने के लिये हम अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते।

प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि यह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के बीत जाने के बाद ही अर्थात् १६ दिसम्बर को पुरःस्थापित किया गया है। अतः इस बारे में भी कोई अनियमितता नहीं है। केवल भूल से विधेयक की पहली प्रतियां परिचालित कर दी गई थीं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : संविधान के अन्तगत बनाये जाने वाले सभी कानूनों और नियमों का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिये। मेरा निवेदन है कि इसका प्रभाव आगे होने वाली घटनाओं पर भी पड़ेगा। अगर सरकार ही इस मामले में ऐसी ढील ढाल करेगी तो फिर हमारा क्या होगा। आप इस सदन के और संविधान के अभिभावक हैं यदि आप ही ऐसा होने देंगे, तो कैसे ठीक होगा। यदि कोई विधानमंडल समय पर काम नहीं करता तो इसके लिये सरकार यह नहीं कह सकती चूंकि हमें यह काम शीघ्र करना है अतः उसके विचारों को प्राप्त किये बिना ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा करना संविधान के उपबन्धों और भावना का उलंघन करना होगा। अतः मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री इस पर फिर से विचार करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या यह राज्य विधान मंडलों को भेजा गया था और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया था। यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ने इसे भेजा था। इतनी बात जरूर है कि राष्ट्रपति पहले से ही यह अनुमान नहीं लगा सकते कि अमुक राज्य विधान मंडल अपने विचार व्यक्त करेंगे अथवा नहीं। विधान मंडल के चिार आ जाने तक प्रतीक्षा की जानी चाहिये थी। निर्धारित तिथि बीत जाने के बाद ही वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते थे। १२ दिसम्बर की तिथि की बात अवश्य ऐसी है जो कि नहीं होनी चाहिये थी। अतः मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह आज राष्ट्रपति से सिफारिश प्राप्त कर लें। अब १५ तारीख निकल गई है और वे ऐसा करने के लिये स्वतंत्र हैं। मैं उनसे यह तो नहीं कहता कि वह इसे विधान मंडलों को भेजें। लेकिन सभा को यह बात अवश्य मालूम हो जाये कि राष्ट्रपति की सिफारिश निर्धारित तिथि के बीत जाने के बाद ही ली गई थी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : राष्ट्रपति के अनुमोदन का सम्बन्ध विधान मंडलों की राय से कुछ भी नहीं है। वह तो पहले ही लिया जा चुका है। उसके बाद ही हम आगे बढ़े थे। अतः राष्ट्रपति की सिफारिश तो हमें पूर्णतः ही प्राप्त है। अतः यह बात समाप्त हो जाती है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : यही बात मैं कहने जा रहा था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उद्देश्य और कारणों के अन्तिम पैरे में जो कहा गया है वह वक्तव्य राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि मेरा है। राष्ट्रपति अब बीच में नहीं आते। यह वक्तव्य मैंने ही पूर्व कल्पना के आधार पर दिया था। हमें विधेयक की प्रतियां पहले से ही छपानी पड़ती हैं। हम सदस्यों को समय देना चाहते हैं ताकि वे इसे देख सकें। यह विवरण आज से लागू होता है। यह बिल्कुल ठीक है। तिथि तो आज की होनी चाहिये। उसे ठीक करने के लिये मैं अब भी तैयार हूं और यदि आप चाहें तो मैं बाद को भी कर सकता हूं ताकि वास्तविक घटनाओं से वह मेल खा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं फिर कहता हूं कि हमें विधान मंडलों की सहमति की आवश्यकता नहीं है और न इस बात से ही हमारा कोई सम्बन्ध है कि उन्होंने वास्तव में इस पर विचार किया है अथवा नहीं। बात यही है कि उन्हें इस बात का अवसर दिया जाना चाहिये कि वे इस पर विचार कर सकें और इसके लिये जो समय दिया गया है वह समाप्त हो जाना चाहिये। ये दो बातें ही खास बातें हैं। और उनकी पूर्ति हो गई है। वक्तव्य के अन्तिम पैरे में जो शब्द दिये हैं वे पंजाब और आसाम विधान मंडलों के लिये और पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिये प्रयुक्त किये गये हैं। यह विधान परिषद् के लिये पूरी तरह लागू नहीं होते क्योंकि वहां गड़बड़ हो गयी थी और वे कुछ कर नहीं सके। लेकिन उन्हें अवसर दिया गया था। स्थिति की कानूनन बातें पूरी कर दी गई थीं। लेकिन उस छोटी सी बात को स्पष्ट करने के लिये विवरण में इधर उधर थोड़ा सा परिवर्तन करने एवं यदि आप आज्ञा दें, तो तिथि बदलने के लिये मैं तैयार हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री त्रिदिब कुमार ने दो पत्र मुझे भेजे हैं और कहा है कि वह विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करना चाहते हैं। मैं इसका अवसर दूंगा।

जहां तक १२ तारीख के बारे में औचित्य प्रश्न की बात है, उस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अतः माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे अपनी प्रतियों में जो कि उन्हें भेजी गई हैं १२ ता० के स्थान पर १६ तारीख कर लें।

अब इस विधेयक के बारे में राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि पंजाब और आसाम विधान-मंडलों तथा पश्चिमी बंगाल विधान सभा की कार्यवाही संसद् पुस्तकालय में रख दी गई है।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** (मद्रास-उत्तर) : मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ने किस तारीख को सिफारिश की थी?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य नहीं समझे। राष्ट्रपति यहां सिफारिश करने के लिये बाध्य नहीं हैं। राष्ट्रपति तो विधेयक को विधान मंडलों को भेजते हैं।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : तिथि के अतिरिक्त उद्देश्य और कारणों के विवरण में शुद्धि की जानी चाहिये कि पश्चिमी बंगाल विधान परिषद् से परामर्श नहीं लिया गया। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया गया। प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह यह शुद्धि करने के लिये तैयार हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनसे परामर्श लिया गया था लेकिन वह अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं पूर्णतः तैयार हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह आवश्यक नहीं है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : मेरे औचित्य प्रश्न का तो निपटान हो गया है। मैं अब इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं।

मैं इस अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक के पुरःस्थापन विधि का विरोध करता हूं। यद्यपि इस विधेयक में पाकिस्तान के कुछ राज्य क्षेत्रों का आसाम, पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्रिदिव कुमार चौधरी]

में विलय करने का उपबंध किया गया है, पर हम इस बात को नहीं भूल सकते कि यह विधेयक उस भारत-पाकिस्तान करार के फलस्वरूप लाया गया है जो एक एकीकृत करार था। जहां तक भारत पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का सम्बन्ध है यह करार लोकतंत्र के प्रत्येक सिद्धान्त का उल्लंघन करता है। हमारा यह कार्य अपने हठी पड़ौसी की धमकीपूर्ण चालों के सामने पूर्णरूप से घुटने टेक देने का एक उदाहरण है।

इसके अतिरिक्त एक प्रकार से इस विधेयक का नाम भी गलत है। करार के मद (१०) में कहा गया है कि पाकिस्तान स्थित पुरानी कूच बिहार बस्तियों तथा भारत स्थित पाकिस्तानी बस्तियों का विनियम पाकिस्तान को जाने वाले फालतू क्षेत्र के लिये मुआवजे की मांग किये बिना मान लिया गया है। इसका मतलब यह है कि हम पाकिस्तान से बिना कुछ मुआवजा लिये उसे लगभग ११ वर्ग मील क्षेत्र दे रहे हैं।

तीसरे जो राज्य क्षेत्र हमें मिल रहे हैं और जिन्हें भारत के राज्य क्षेत्र में मिलाया जा रहा है, उनकी परिभाषा बहुत अस्पष्ट तथा अनिश्चित ढंग से दी गई है। इस बात का अभी भी पता लगाना है तथा नाप कराना है कि हमें जो राज्य क्षेत्र मिलेगा, वह कितना होगा।

यह विधेयक अस्पष्ट, अनिश्चित तथा विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में अर्जित किये गये कुछ राज्य क्षेत्रों के आसाम, पंजाब और पश्चिमी बंगाल के राज्यों में विलय और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत और पाकिस्तान सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में कुछ राज्य क्षेत्रों के पाकिस्तान को हस्तानान्तरण को कार्यान्वित करने के लिये भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मैं इसका विरोध करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप विरोध में तर्क दे चुके हैं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : इसके बारे में नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे प्रस्ताव प्रस्तुत करने दीजिये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : भारत-पाकिस्तान करार लोकतंत्र के प्रत्येक सिद्धान्त का उल्लंघन करता है और हमारे देश के लगभग १७,००० व्यक्तियों को सैनिक तानाशाही की कृपा का आश्रित बनाता है। अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक पर जो तर्क लागू होते हैं वही इस विधेयक पर भी लागू होते हैं। इस के अतिरिक्त, यद्यपि विधेयक की मंशा उच्चतम न्यायालय की राय का अनुसरण करना है, पर जिस ढंग से उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा संविधान की व्याख्या की गई है और जिस ढंग से विधेयक को लाया गया है, वह संविधान के साथ धोखा करने के समान होगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–मध्य): मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं इसलिये नहीं कि मैं पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं चाहता बल्कि सरकार ने बिना सोचे समझे ही यह कार्य किया है। जबकि हम इस बात के इच्छुक हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध जहां तक संभव हो मैत्रीपूर्ण होने चाहियें, फिर भी यह कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने इस मामले में बिना समझे बूझे जल्दबाजी से काम किया है। हमारे देश के लोगों को बिना किसी कारण के एक देश से दूसरे देश में भेजा जा रहा है। इस विषय में उच्चतम न्यायालय की आपत्ति बिल्कुल स्पष्ट है कि यह मामला केवल सीमा सम्बन्धी विवाद को तय करने का मामला नहीं है बल्कि यह मामला हमारे राज्य क्षेत्र के कुछ भाग को दूसरे को देने या सौंपने का मामला है।

शुद्ध मानवीय दृष्टि से यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस क्षेत्र की बहुसंख्यक जनता ऐसी है, जिन को एक बार अपना घरबार छोड़ कर भागना पड़ा था और अब इस बात की संभावना है कि उन्हें दुबारा घर बार छोड़ कर भागना पड़ेगा।

यह करार ऐसी स्थिति में किया गया है जोकि सम्पूर्ण कार्यवाही को नियम विरुद्ध बनाती है अतः इस मामले को रोक दिया जाना चाहिये।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैं विधेयक का विरोध करना चाहता हूं। संविधान की अनुसूची सात की सूची एक की प्रविष्टि १४ में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि सरकार कोई करार आदि करती है तो उस पर इस संसद् में पहले विचार किया जाना चाहिये। यह विधेयक नेहरू-नून समझौते के आधार पर तैयार किया गया है। लेकिन उस करार पर इस सभा को चर्चा करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अतः मेरा निवेदन है कि जिस करार पर चर्चा करने के लिये संसद् को कोई अवसर नहीं मिला है, उसे कार्यान्वित करने के हेतु वर्तमान विधेयक को लाना सरकार के लिये अनुचित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में कुछ राज्य क्षेत्रों के पाकिस्तान को हस्तान्तरण को कार्यान्वित करने के लिये भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभा में मतविभाजन हुआ।

पक्ष में १६९ और विपक्ष में ४६।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

इस विधेयक का उद्देश्य मुख्यतः भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ की पहली अनुसूची में संशोधन करना है, जिस से कि प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को क्रियान्वित किया जा सके । वे सिफारिशें इस प्रकार हैं : (क) शीशे की चादरों, एल्युमीनियम, इंजीनियरों के काम में आने वाली इस्पात की रेतियों, एल्यूमीनियम कन्डक्टर, जिस में इस्पात लगा हो, पूरी तरह एल्यूमीनियम से बने हुए कन्डक्टर, सूती कपड़ा बनाने वाली मशीनें, बॉल बियरिंग्स, बिजली तथा वितरक ट्रान्सफार्मर, बाइसिकलें, पिस्टन एसेंबली, मोटरगाड़ियों के स्पार्किंग प्लग पर ३१ दिसम्बर १९६० के पश्चात् भी संरक्षण जारी रखा जाय और (ख) कैल्सियम लेक्टेट, प्लाइवुड, चाय के बक्से, वुड स्क्रू, केवल तांबे के बने हुए कन्डक्टर और कॉयल्स में इलेक्ट्रोलिटिक तांबे की राडों तथा मोटर गाड़ियों के टायरों में हाथ से हवा भरने वाले पम्पों में १ जनवरी १९६१ के पश्चात् से संरक्षण हटा लिया जाय ।

इन उद्योगों पर प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन तथा उस प्रतिवेदन पर सरकार के संकल्प की प्रतिलिपि सभा के सदस्यों की जानकारी के लिये सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं । इन सभी उद्योगों के सम्बन्ध में टिप्पण भी परिचालित किये जा चुके हैं । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों ने इन पुस्तिकाओं का अध्ययन कर लिया होगा । अतः मैं इन उद्योगों के सम्बन्ध में विस्तार से बता कर सभा का अधिक समय नहीं लूंगा ।

सर्वप्रथम मैं सभा को प्रशुल्क आयोग के कार्य के सम्बन्ध में, विशेषतः स्वदेशी उद्योगों के संरक्षण का उल्लेख करते हुए, संक्षेप में बताऊंगा । प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ के अधीन एक स्थायी प्रशुल्क आयोग की स्थापना जनवरी १९५२ में की गई । आयोग का कार्य अन्य कार्यों के साथ साथ यह भी था कि वह प्रशुल्क सम्बन्धी मामलों पर सरकार से आये हुए निदेशों पर विचार करे, संरक्षित उद्योगों की प्रगति पर कड़ी नजर रखे, सरकार के विदेशों पर उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कीमत निर्धारित करे । आयोग की स्थापना के समय ४३ उद्योगों को संरक्षण प्राप्त था, इन उद्योगों के कार्य का पिछले सात वर्षों के दौरान पुनरीक्षण किया गया तथा उनकी सिफारिश के फलस्वरूप कुछ उद्योगों से संरक्षण हटा दिया गया । कुछ अन्य उद्योगों को संरक्षण जारी रखा गया । इस समय २८ उद्योगों को संरक्षण प्राप्त है जिन में से ४ उद्योगों में से संरक्षण हटा लिया गया है एक अन्य उद्योग से आंशिक संरक्षण हटा लिया गया है । यह एक शुभ लक्षण है क्योंकि जैसे जैसे औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो रहा है उन उद्योगों को जोकि आर्थिक स्तर पर उत्पादन करने लगे हैं संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है ।

आयोग, बिक्री मूल्यों पर निर्माताओं द्वारा डाले जाने वाले प्रभाव के औचित्य या अनौचित्य पर भी विचार करता है, तथा सरकार को उचित सलाह देता है । आयोग ने पिछले वर्ष कई वस्तुओं के मूल्यों पर विचार किया ।

१९५६ की संशोधित औद्योगिक नीति में उल्लिखित सिद्धान्तों पर सरकार पिछले कई वर्षों से अमल कर रही है । १९५९ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखे गये लक्ष्यों को प्राप्त करने के

---

†मूल अंग्रेजी में

संगठित प्रयत्नों के कारण उत्पादन में सामान्य रूप से प्रगति हुई । इस वर्ष का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन के अनुपात से १३·५ प्रतिशत अधिक है। यह शुभ लक्षण हैं और मैं आशा करता हूं कि सभा इस दिशा में किये गये प्रयत्नों का स्वागत करेगी ।

संरक्षित क्षेत्र की प्रगति भी सामान्य रूप से हुई, संरक्षित क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में उत्पादन में वृद्धि हुई, वर्तमान क्षमता का पूर्ण उपयोग किया गया, क्षमता में वृद्धि हुई तथा अधिक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होने लगा । हम क्षमता के पूर्ण उपयोग को अधिक महत्व देते हैं यद्यपि हम इस बात का भी प्रयत्न करते हैं कि अधिक क्षमता का भी विकास हो सके । संरक्षित क्षेत्र में कई कठिनाइयों के बावजूद भी दूसरी योजना में रखे गये लक्ष्य की पूर्ति करने में काफी सहयोग किया है । इस प्रकार प्लाइवुड, चाय के बक्से बनाने, वाले वियरिंग, शान के चक्के, बिजली की मोटरें, बिजली तथा वितरण ट्रान्सफार्मर, बाइसिकल के उद्योगों ने १९५९ तक ही १९६०-६१ के लक्ष्य को या तो प्राप्त कर लिया था या उन में उत्पादन लक्ष्य से भी आगे बढ़ गया था । इस प्रकार पिछले तीन वर्षों में इन संरक्षण प्राप्त उद्योगों ने अपने उत्पादन तथा क्षमता में वृद्धि की है । उनमें से बहुतों ने अपने उत्पादों की किस्म में सुधार कर लिया है तथा वे कई प्रकार की चीजें बनाने लगे हैं । अधिकांश वस्तुओं की कीमतें भी स्थिर रहीं, जहां कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ वह भी सामान्य से अधिक नहीं हुआ ।

यद्यपि समवायों की वित्तीय अवस्था में सुधार हुआ तथापि उन्होंने बहुत अधिक लाभांश की घोषणा नहीं की । लाभ की राशि का एक बड़ा अंश पुनः उद्योगों में लगाया गया । हमारी वर्तमान मांग का अधिकांश अंश इन उद्योगों द्वारा पूरा किया जाता है और इस प्रकार हमारे सीमित विदेशी मुद्रा पर पड़ा हुआ दबाव काफी कम हुआ है ।

यह कहा जाता है कि आयात पर वर्तमान प्रतिबन्धों को देखते हुए प्रशुल्क संरक्षण केवल सैद्धान्तिक महत्व की चीज रह गई है । इस तर्क में कुछ सच्चाई अवश्य है तथापि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि प्रशुल्क संरक्षण उद्योगों के विकास के लिये आवश्यक है । इस से उत्पादन की लागत की तुलनात्मक जानकारी रहती है और यह ज्ञात होता है कि हमारे उत्पादन की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की तुलना में किस प्रकार की है । यदि हम इस कारण कि हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं है या हमारे आयात पर प्रतिबन्ध है, हम उद्योगों के विकास संबंधी प्रशुल्क जांच समाप्त कर दें तो यह आत्मतुष्टि होगी और हम विश्व की तुलना में अपने देश के उत्पादन की अर्थव्यवस्था नहीं जान पायेंगे ।

इस में सन्देह नहीं कि आयात का विनियमन विदेशी मुद्रा की उपलब्धि के अनुसार ही होता है अतः उस में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते रहना चाहिये, तथापि प्रशुल्क संबंधी संरक्षण से, संरक्षण प्राप्त उद्योगों को यह आश्वासन मिलता है कि जब तक वे देश के विकास के लिये उचित ढंग से कार्य करेंगे तब तक उन्हें सरकार से सहायता मिलती रहेगी । प्रशुल्क संबंधी संरक्षण से विदेशी पूंजी और टैक्नीकल सहकारिता को प्रलोभन मिलता है जसाकि बाइसिकल, शान के चक्कों, ए० सी० एस० आर० रंगाई की वस्तुओं तथा अल्यूमीनियम उद्योगों के विषय में हुआ है ।

यह कहा गया है कि संरक्षण प्राप्त उद्योग काफी मुनाफा कमाते हैं । तथापि उन उद्योगों के संतुलन पत्रों के विश्लेषण से यह बात सही नहीं ज्ञात होती । इस के अतिरिक्त आयोग संरक्षण जारी रखने के उद्देश्य से समय समय पर जो पुनरीक्षण करता है, उनमें आयोग लागत तथा बिक्री मूल्य की जांच करता है जिस से यह पता हो कि क्या ये उद्योग अत्याधिक मुनाफा तो

[श्री मनुभाई शाह]

नहीं कमा रहे हैं। कभी कभी संरक्षित उद्योगों को जो लाभ मिलता है वह उन के विभिन्न निर्माण कार्यक्रमों के कारण भी होता है, अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि लाभ केवल संरक्षण के कारण से ही प्राप्त हुआ। जब किसी उद्योग के अन्तर्गत कई कारखाने होते हैं तो संरक्षण कुछ प्रतिनिधि कारखानों के लागत के आधार पर दिया जाता है, ऐसे मामलों में यह संभव है कि कुशल कारखाने अन्य कारखानों की अपेक्षा अधिक लाभ कमा लेवें। वस्तुतः प्रतिनिधि कारखाने के आधार पर ही तुलनात्मक लागत के विचार को विकसित किया जाता है। सभी कारखानों के लिये एकरूप लाभ का मापदंड विहित करना न तो वांछनीय है और न व्यावहारिक, क्योंकि इस से अधिक उत्पादन और कुशलता के लिये प्रोत्साहन समाप्त हो जायगा। अपने कार्य के पुनरीक्षण के दौरान प्रशुल्क आयोग संरक्षित क्षेत्र के कारखानों द्वारा कमाये गये लाभ पर निरन्तर नजर और अंकुश रखता है।

मैं सभी उद्योगों को न लेकर, केवल उन थोड़े से उद्योगों को लूंगा जो कि इस आलोचना के अन्तर्गत आते हैं। उदाहरणार्थ सूती वस्त्र मशीन उद्योग, अल्यूमीनियम उद्योग, बाइसिकल उद्योग तथा बालवियरिंग उद्योग, मैं इन चार उद्योगों की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कपड़ा मशीनों के क्षेत्र में केवल ५ वर्ष पूर्व लगभग १ करोड़ रुपये का उत्पादन होता था जो अब बढ़ कर १२ से १३ करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो गया है। यह विकास सराहनीय है क्योंकि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हम सूती वस्त्र मशीनों के अलावा अन्य मशीनों के उत्पादन पर भी विशेष जोर दे रहे हैं। पांच वर्ष पूर्व औद्योगिक मशीनरी का कुल उत्पादन १० करोड़ रुपये से भी कम होता था, यह उत्पादन अब १३० से १४० करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ऐसे देश के लिये जो अपने उद्योगों को विकसित करना चाहता है, औद्योगिक मशीनों के उत्पादन पर जोर देना उचित और वांछनीय है।

जहां तक कपड़ा मशीनों के उत्पादन का प्रश्न है हमने अल्पाधिक सभी प्रकार की मशीनें बनाना प्रारम्भ कर दिया है। हमने अभी हाल ५ स्वचालित करघों के लिये लाइसेंस दिया है और हमें आशा है कि आगामी दो वर्षों में कपड़ा मशीनों की उत्पादन क्षमता बढ़ कर २० से २१ करोड़ रु० प्रति वर्ष हो जायेगी। जब कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश में कपड़ा मशीनों की मांग प्रति वर्ष ३० करोड़ रुपये होगी। इस प्रकार हम कपड़ा उद्योग की मशीनों की मांग के सम्बन्ध में ७५ से ८० प्रतिशत तक स्वावलम्बी हो गये हैं।

साइकिल उद्योग में भी काफी विकास हुआ है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ६५,००० से ७०,००० तक सायकिलों का आयात होता था। सायकिलों का अधिकतम आयात ढाई लाख तक हुआ, जिसमें पांच से दस प्रतिशत तक पुर्जे और उनको जोड़ने में लगी मेहनत के अलावा सभी पुर्जे बाहर के होते थे। यह एक शुभ संकेत है कि विशेषकर पंजाब और भारत के अन्य भागों के प्रयत्नों के फलस्वरूप आज बड़े पैमाने के उद्योगों के अधीन १२ से साढ़े बारह लाख सायकिलें और छोटे उद्योगों के अधीन लगभग ३ लाख सायकिलों का निर्माण प्रति वर्ष होता है। सायकिल उद्योग में उत्पादन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखे हुए लक्ष्य से भी आगे बढ़ गया है। अतः सभा छोटे और बड़े पैमाने के सायकिल उद्योग की प्रशंसा करेगी जिनके प्रयत्नों के फलस्वरूप न केवल हम सायकिलों की मांग के सम्बन्ध में स्वावलम्बी हो गये हैं अपितु हम विदेशों को भी सायकिलें निर्यात करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

बालवियरिंग का पहले एक ही कारखाना था, इसके उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी जैसा कि मैं सभा के समक्ष रखे गये ज्ञापन में भी दिखा चुका हूं। हमने एक अन्य कारखाने को भी लायसेंस दिया है। बाल वियरिंग उद्योग में २० अन्य कारखाने भी विकसित हो रहे हैं। निस्संदेह हम अभी स्वावलम्बन से बहुत दूर हैं। तथापि हम सरकारी क्षेत्र में बाल वियरिंग बनाने का एक बहुत बड़ा कारखाना खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिससे देश की रालर बियरिंग, कोच वियरिंग तथा टेपर वियरिंग इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी।

प्रारम्भ में अल्यूमीनियम उद्योग बहुत सीमित था। हमारे पास केवल दो कारखाने थे जिनकी उत्पादन क्षमता क्रमशः २५०० और ५००० टन प्रति वर्ष थी। भारत जैसे बड़े देश के लिये एक वर्ष में केवल इतना उत्पादन होना लज्जास्पद है तथापि योजना के अन्तर्गत किये गये उत्पादन के फलस्वरूप हमारे देश में इस उद्योग का सराहनीय विकास हुआ है।

रिहन्द में एक योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसमें २०००० टन क्षमता का गलाने वाला संयंत्र होगा। कोयना में २०००० टन क्षमता वाले एक अन्य गलाने वाला संयंत्र स्थापित किया जायेगा। मद्रास के सलेम स्थान में १०००० टन क्षमता वाले संयंत्र की योजना स्वीकृत हो चुकी है। केवल तीसरे संयंत्र को छोड़ कर अन्य सभी संयंत्रों की क्षमता २०००० टन निश्चित की गई है। अतः हम यह आशा करते हैं कि आगामी दो या तीन वर्षों में उत्पादन बढ़ कर एक लाख टन या उससे भी अधिक हो जायेगा।

जहां तक अल्यूमीनियम के लिये आवश्यक कच्चे माल का सम्बन्ध है सौभाग्य से हमारे देश में काफी मात्रा में बौक्साइट उपलब्ध है। अन्य अलौह धातुओं के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती है तथापि अल्यूमीनियम, जो कि इस समय विद्युत उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग तथा विमान व अन्य उद्योगों में महत्वपूर्ण कार्य करता है, की हमारे पास कमी नहीं है।

यद्यपि तीसरी योजना में अल्यूमीनियम के उत्पदन का लक्ष्य केवल ८५००० टन रखा गया है, हम इस लक्ष्य से भी अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि हमारी आवश्यकता इतने से पूरी नहीं होगी। जब हम प्रति वर्ष ८५००० टन के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो हम इस लक्ष्य से आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य देश के औद्योगीकरण के लिये की जाने वाली कार्यवाहियों को प्रोत्साहित करेंगे। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि जिन उद्योगों को संरक्षण देने अथवा जिनसे संरक्षण हटाने की मांग की गयी है सभा उनसे सहमत होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री यह बताने में समर्थ हैं कि उन वस्तुओं के आयात का क्या मूल्य है जिनका हमारे देश में बिल्कुल उत्पादन नहीं होता है, दूसरे उन वस्तुओं के आयात में कितना व्यय किया जाता है जो हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं होती हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि राष्ट्रीय या औद्योगिक महत्व की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका उत्पादन हमारे देश में नहीं होता है। केवल कुछ वस्तुओं को छोड़ कर हम लगभग सभी वस्तुओं का उत्पादन करने लगे हैं। जहां तक इन वस्तुओं की मात्रा का सम्बन्ध है यह दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश मे उद्योगों का आरम्भ बहुत ही छोटे पैमाने पर हुआ, हमने इस ओर १९४७ से कदम उठाया है, तथापि दस वर्ष से कुछ ही अधिक समय में हम विश्व के बड़े औद्योगिक देशों के समकक्ष आ गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : इस सम्बन्ध में हमें जो जानकारी दी गयी है वह पर्याप्त विलम्ब से दी गयी है, इसके अलावा मैंने पिछले वर्ष भी यह प्रश्न उठाया था कि इन वस्तुओं के सम्बन्ध में भारत तथा विदेशों में उत्पादन लागत सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े दिये जायें ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

कुछ उद्योगों को २५, ३० वर्ष से संरक्षण दिया जा रहा है, उन पर अभी भी संरक्षण जारी है। उनके लागत मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय । यद्यपि सायकिल उद्योग को कई वर्षों से संरक्षण दिया जा रहा है तथापि उसके प्रकार में कोई अन्तर नहीं आया है, भारत में निर्मित सायकिलें विदेशों में निर्मित बढ़िया सायकिलों की तुलना नहीं कर सकती हैं, सरकार को प्रश्न के इस पहलू की ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

माननीय मंत्री ने अभी बताया था कि भारत में लगभग सभी वस्तुओं का निर्माण होता है। मैंने हींग के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा उससे यह ज्ञात हुआ कि भारत में आवश्यक लगभग सारी हींग विदेशों से आयात होती है, मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में अभी कुछ प्रयत्न किया गया है या नहीं। इसी प्रकार अन्य बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन भारत में नहीं होता है, मेरे कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि भारत में ऐसी भी वस्तुएं बनाने का प्रयत्न किया जाय जिनका उत्पादन इस देश में संभव नहीं है, तथापि प्रशुल्क आयोग को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिये ।

हमें इस बात से प्रसन्नता है कि हमने औद्योगिक क्षेत्र में काफी तरक्की की है मैं आशा करता हूं कि भविष्य में हमें अधिक उद्योगों को संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं होगी । हमारे उद्योग विदेशी उद्योगों के साथ प्रतियोगिता करने में समर्थ होंगे । प्रशुल्क आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि हमारे निर्माता न केवल अपेक्षित मात्रा में ही निर्माण करें अपितु उन वस्तुओं की किस्म में भी सुधार हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वारियर (त्रिचूर) : मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिन उद्योगों को संरक्षण दिया गया है वे उद्योग भी अपना पूरा अभ्यंश उपयोग करने में समर्थ नहीं हुए हैं। उदाहरणार्थ यदि अल्यूमीनियम के सभी कारखानों ने काम करना आरम्भ कर दिया तो मेरा विचार है कि पूरी राशि का देश में उपयोग होना कठिन हो जायेगा।

इसी प्रकर लोहे और इस्पात का मामला है, इस उद्योग को कई वर्षों से संरक्षण दिया जा रहा है, तथापि अवस्था यह है कि केरल में कुछ महीनों पहले कई ढलाई घरों को आवश्यक कच्चा लोहा न मिलने के कारण उन्हें अपना काम ठप्प कर देना पड़ा। अतः उद्योगों को संरक्षण देते समय इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि इसका उपभोक्ताओं के ऊपर क्या असर होगा।

इस अवसर पर मैं आयोग से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वे न केवल संगठित उद्योगों अपितु असंगठित उद्योगों पर भी विचार करे। अभी अभी ज्ञात हुआ है कि टेपिओका के निर्यात को सुपारियों के आयात से सम्बद्ध कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे केरल के कुछ विधान सभाई सदस्यों का तार भी प्राप्त हुआ है जिस में उन्होंने इस पर गम्भीर चिन्ता प्रकट की है। इसी प्रकार मूंगफली के तेल के निर्यात और नारियल के आयात को सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में भी मैंने एक प्रश्न पूछा था। मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि मंत्री महोदय और प्रशुल्क आयोग को इन असंगठित उद्योगों की ओर भी ध्यान देना चाहिये क्योंकि देश के विकास में इन असंगठित उद्योगों को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में टैरिफ़ कमीशन कितनी समझदारी से काम करता रहा है और सरकार की नीति उस सिलसिले में कितनी अच्छी रही है, उसका सुबूत उन फ़िगर्ज़ से मिलता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मंत्री महोदय ने इस सदन में दिये। उनसे यह पता लगता है कि १९४७ के बाद आज सिर्फ़ थोड़ी सी ही चीज़ें हैं, जो कि इस देश के कारखानों में बननी शुरू नहीं हुई हैं। यह ठीक है कि देश को कारखानों में बनी हुई चीजों की जितनी ज़रूरत है, उतनी चीज़ें अभी बननी शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन इस बारे में शुरूआत ज़रूर हो गई है।

इस सिलसिले में उन्होंने पंजाब प्रदेश का ज़िक्र किया और इस लिए अगर मैं भी पंजाब प्रदेश का ज़िक्र करूं, तो मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा ग़लत नहीं होगा। कुछ सदस्यों ने तो यह शेवा बना लिया है कि हर वक्त पंजाब प्रदेश और पंजाब प्रदेश की सरकार के खिलाफ़ कुछ न कुछ वे कहेंगे। मंत्री महोदय ने पंजाब प्रदेश के बारे में ज़िक्र किया है। और पंजाब प्रदेश कौन सा प्रदेश है? १९४७ में जब हिन्दुस्तान आज़ाद हुआ, तो पंजाब दो हिस्सों में बंट गया। यहां का कारीगर पाकिस्तान चला गया और जो कारखाने यहां चलते थे, वह भी एक तरह से बन्द हो गये। जो आदमी कारखानों को आरर्गेनाइज़ कर सकते थे, उन के घर उजड़ गए और उखड़ गए। उस उखड़े हुए प्रदेश में बहुत से भाई ऐसे भी हैं, जिन में से कोई पंजाबी के नाम पर, कोई हिन्दी के नाम पर, कोई बैटरमेंट लैवी के नाम पर सूबे के अमन के लिए खतरा बने रहे। आज ही आप ने बंगाल की कौंसिल के बारे में सुना है कि कोई बात सोच समझ की नहीं कर सकता है और वहां इतना वावेला होता है। लेकिन पंजाब प्रदेश के लोगों ने इन सब बातों का मुकाबला करते हुए अपने आप को, अपने उजड़े हूए सूबे को बनाया है। देश में छोटे बड़े कारखाने स्थापित करने के लिए पंजाब प्रदेश के लोगों और सरकार ने बहुत सराहनायोग्य काम किया है। जिस तरह से अगर कोई चाहे कि एक बच्चा दौड़ में नौजवान का मुकाबला करे, तो वह नहीं कर सकता है——उस को सहारे की ज़रूरत होती है, उसी तरह कोई कारखाना लगाने के लिए, या किसी कारखाने में

†मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणवीर सिंह]

तरक्की करने के लिए शुरू में सहारे की ज़रूरत होती है। मैं मानता हूं कि यही टैरिफ़ कमीशन का मुद्दा है। इस के सुबत में मैं पुराने इतिहास का ज़िक्र करूं, तो कोई बेजा न होगा। १९३० का ज़माना था, जब कि बापू ने हिन्दुस्तान के लोगों की कान्शेन्स को जगाने के लिए विदेशी कपड़े के खिलाफ़ सत्याग्रह किया। उस समय लंकाशायर से यहां कपड़ा आता था और लोग समझते थे कि शायद कपड़ा बनाने के लिए वहां का वायु-मण्डल अच्छा है और वैसी आबोहवा हिन्दुस्तान की नहीं है कि यहां पर कपड़े के कारखाने कामयाबी से लग सकें। लेकिन हम ने देखा कि एक ज़माना आया, जब कि हिन्दुस्तान का बना हुआ कपड़ा लंकाशायर की मंडी में बिका। उल्टे बांस बरेली को। इसी दृष्टि से हम को हर चीज़ देखनी चाहिए।

श्री त्यागी (देहरादून) : बन्दे मातरम्।

चौ० रणवीर सिंह : मेरे मित्र त्यागी जी आम तौर पर बहादुर हैं, लेकिन यह कुछ निराशावादी हैं। अगर वह कुछ आशावादी बनें, तो अच्छा हो। अगर इस वक्त यहां का बाइसकिल अच्छा नहीं बनता है, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर पंजाब में बाइसकिल बनाए गए, तो वह दिन ज़रूर आयेगा, जब कि हमारे बाइसकिल का मुकाबला विलायत के बाइसकिल भी नहीं कर सकेंगे और विलायत की मंडी में हिन्दुस्तान और पंजाब का बाइसकिल बिकेगा।

श्री त्यागी : हमारे यू० पी० का भी।

चौ० रणवीर सिंह : एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जिस को कहने की मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश थी। जिस तरह विदेशी माल के मुकाबले में यहां के माल को संरक्षण की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक कमज़ोर तबके को भी संरक्षण की ज़रूरत होती है। आज हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के तेरह, साढ़े तेरह सालों में देश में बड़े कारखानों ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन हम को अफ़सोस से यह कहना होगा कि गांवों में जो छोटे छोटे कारख़ाने चलते थे, वे आज नहीं चलते हैं। शायद इस सिलसिले में मंत्री महोदय काटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, और खादी कमीशन के बहुत सारे आंकड़े रखें, लेकिन मैं तो एक सीधा सा आंकड़ा जानता हूं। एक ज़माना था जब काश्तकार के लिए फाली जैसी छोटी चीज़, जिस से वह ज़मीन का पेट फाड़ कर अनाज पैदा करता है, वहां का लोहार बना देता था। लेकिन तेरह साल की तरक्की कहिये, या तनज्ज़ली कहिये, के बाद वह फाली वहां नहीं बनती है। इस के अलावा काश्तकार की और सब चीजें, खुरपा, दरान्ती वगैरह भी शहर से आती हैं। कहीं दूर से और कहीं नज़दीक से। मुझे शहर से चिढ़ नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि देहात की एक आबादी है और शहर की एक आबादी है। शहर में इतना स्थान नहीं है कि हम वहां पर देहात की आबादी को बसा सकें। इस के लिए न ज़राये हैं, न रुपया है और न स्थान है। हम देखते हैं कि देहात के मज़दूर के लिए कोई संरक्षण नहीं है। न उस को कंट्रौल्ड प्राइस पर लोहा मिलता है और न कोयला मिलता है, जिस से वह खेती के छोटे मोटे औज़ार बना सके। आप जानते हीं हैं कि कोयला और लोहा छोटी से छोटी इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी ज़रूरी होता है। जहां पर यह टैरिफ कमिशन दूसरों को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देता है, एक एक चीज़ पर १५-१५ और २०-२० रुपये के भाव का फर्क देता है, वहां पर यह या आपका मंत्रालय अगर देहात के लोहार के लिए लोहा परमिट के उपर पहुंचा सके और साथ ही साथ कोयला वहां पहुंचा सके ताकि वह छोटे छोटे औज़ार बना सके, तो मैं समझता हूं कि काफी तरक्की हो सकती है।

आप बड़े बड़े कारखाने लगा रहे हैं और यह दिल्ली मिल्क सप्लाई स्कीम को भी आपने चालू किया है । इस तरह की स्कीम को आप छोटी सी शक्ल में देहातों में भी लगा सकते थे और यह उसी सूरत में वहां लग सकती थी अगर क्रीम सैपरेटर बनाये जाते । आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान का सब से बढ़िया पशुधन जो है वह पंजाब से आता है और खास तौर पर हमारा जो इलाका है वहां से आता है । वह पशुधन जा करके खत्म होता है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि बड़े बड़े शहरों में । आप क्रीम सैपेरेटर बनवा सकें तो यह पशुधन बच सकता है । आपको चाहिये कि आप छोटे छोटे क्रीम सैपेरेटर बनवायें और वे बनें देहातों के जो मजदूर हैं, जो कारीगिर हैं उनके जरिये ताकि उनको करने के लिए काम मिल सके । अगर ऐसा किया गया तो जो लोग पशुओं को कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि भेजने के लिए मजबूर होते हैं और वहां पर लोग दूध पी करके उन पशुओं को कटवा देते हैं, वह नहीं होगा । जहां तक क्रीम का वास्ता है, वह कलकत्ता, बम्बई आदि शहरों में भजी जा सकती है और उसको व लोग अपनी चाय और काफी के साथ ले सकते हैं । जिस तरह से दूसरे देशों में जो पशु होता है वह मजबूत होता है, गाय ज्यादा दूध देती है और जिसकी वजह यह है कि वहां पर बछड़े को सैपरेटा दूध ज्यादा पीने को मिलता है, उसी तरह से यहां पर भी गाय ज्यादा दूध दे सकती है और जो बछड़ा है उसको सैपेरेटा मिल सकेगा और वह मजबूत होगा । बहुत से भाई यह समझते होंगे कि मैं जिन विषयों का इस बिल से सम्बन्ध है, उन से दूर जा रहा हूं और मेरी इस बात का इस बिल से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूं, इस बात का इस बिल से इसलिए वास्ता है कि क्रीम सैपेरेटर की मशीन के कारखाने देहातों के अन्दर अगर लगें तो तेहात का जो पशु है, वह मजबूत होगा और हिन्दुस्तान और पंजाब का जो बढ़िया पशु है वह कलकत्ता और मद्रास आदि में नहीं कटेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : बड़े पैमाने के उद्योगों ने देश में इस प्रकार की भावना का प्रसार किया है कि सरकार अपना पूरा सहयोग छोटे पैमाने के उद्योगों को ही देती है, इस प्रतिवेदन से यह बात अन्यथा सिद्ध हो जाती है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार बड़े पैमाने के उद्योगों को अपेक्षाकृत अधिक संरक्षण दे रही है ।

प्रशुल्क आयोग का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि जिस उद्योग को संरक्षण दिया जा रहा है उसके स्वरूप की अच्छी प्रकार से जांच की जाय । विशेषत: यह देखा जाना चाहिये कि क्या उद्योग ने इस संरक्षण का उचित तरीके से फायदा उठाया है अथवा क्या उसको संरक्षण देने से उपभोक्ताओं को हानि हो रही है । इस संबंध में मैं मोटरगाड़ी उद्योग का उदाहरण लेना चाहता हूं । इस उद्योग को यद्यपि बहुत पहले से संरक्षण दिया जा रहा है तथापि न तो उसके लागत स्वरूप की जांच की गयी न वहां लागत लेखापालन ही लागू किया गया, वस्तुत: संरक्षण देते समय इन बातों पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये ।

इस प्रतिवेदन में भी यद्यपि वाल वियरिंग के उत्पादन के वर्षवार आंकड़े दिये गये हैं तथापि उनका मूल्य नहीं दिया गया है जो कि अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिये, क्योंकि मल्य के ही आधार पर यह मालूम हो सकता है कि अमुक उद्योग का संरक्षण जारी रखा जाय या नहीं ।

वस्तुत: वर्तमान स्थिति में संरक्षण का कोई अधिक महत्व नहीं है इसका कारण यह है कि अधिकांश वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध है, इस प्रकार उन्हें अप्रत्यक्ष संरक्षण प्राप्त होता है । जहां तक सायकिलों का संबंध है हम स्वावलंबी हो गये हैं, तथापि यदि सायकिलों के आयात पर से प्रतिबंध हटा लिया जाय तो विदेशी सायकिलों की मांग पुन: बढ़ जायेगी इसका कारण यह है कि उनमें से कुछ ब्रांड की विदेशी सायकिलों पर उपभोक्ताओं का विश्वास है और जब भी उस

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

१२ की सायकिलें बाजार में आयेंगी उनकी खपत होगी तथापि मैं कह सकता हूं कि भारत की बनी हुई कुछ सायकिलें विश्व की बढ़िया से बढ़िया सायकिलों की टक्कर ले सकती हैं। वस्तुतः हमें यह भ्रांति अपने मन से हटा देनी चाहिये कि भारत में बनने वाली वस्तुएं अच्छी नहीं हो सकती हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अन्त में मैं माननीय मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या इन संरक्षण प्राप्त उद्योगों में लागत लेखा पालन लागू कर दिया गया है, वस्तुतः लागत लेखा पालन सभी संरक्षण प्राप्त उद्योगों में लागू कर दिया जाय जिससे कि ये उद्योग उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाकर लाभ न कमा सकें।

†श्री त्यागी : हमें मंत्रालय तथा प्रशुल्क आयोग को बधाई देनी चाहिये कि उन्होंने उपभोक्ता और निर्माताओं के बीच पथप्रदर्शन का कार्य किया है, उन्हीं के प्रयत्नों का यह फल है कि देश में कई उद्योगों की स्थापना हो चुकी है नहीं तो हमें एक सूई के लिये भी विदेशों का मुंह ताकना होता था।

कई बड़े बड़े उद्योगों को वर्षों से संरक्षण दिया जाता रहा है, तथापि अब वह समय आ गया है कि हम उन्हें यह संरक्षण न देकर यह देखें कि ये उद्योग अपने पैरों पर कहां तक खड़े होने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर देना चाहिये। हमें उन्हें केवल उसी सीमा तक संरक्षण देना चाहिये जहां तक वह आवश्यक है।

प्रशुल्क आयोग ने यह कहा है कि वे लाभ की जांच करते हैं, तथापि मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे वास्तविक लाभ की जांच करते हैं या व्यय से अधिक होने वाली आय को लाभ समझा जाता है। वर्तमान तरीका यह है कि कई प्रकार के व्यय यथा मोटर कार का व्यय, मनोरंजन व्यय इत्यादि सभी हिसाब में दिखाये जाते हैं और उपभोक्ताओं के सर पर डालें जाते हैं अतः प्रशुल्क आयोग को इन सभी खर्चों को भी ध्यान में रखना चाहिये।

भारी उद्योगों पर यह शर्त भी अनिवार्य रूप से लागू की जानी चाहिये कि वे अपने पुर्जे या उनका कच्चा माल छोटे पैमाने के उद्योगों से खरीदें जिससे कि उद्योगों के विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन मिले। इस समय स्थिति यह है कि सारे उद्योग कुछ थोड़े लोगों के हाथों में केन्द्रित हो जाते हैं, इस प्रवति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये।

†श्री मनुभाई शाह : सभा के सभी पक्षों की ओर से इस विधेयक को जो समर्थन मिला है उस से मुझे प्रसन्नता हुई है। प्रशुल्क आयोग निरन्तर इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि उद्योगों को लागत के सम्बन्ध में जागरूक बनाया जाय। लागत लेखा पालन को न केवल संरक्षित उद्योगों में अपितु सभी उद्योगों का अनिवार्य अंग समझा जाता है। इस प्रणाली के नये होने के कारण, जैसा कि मैं ने अभी कुछ दिन पूर्व बताया था, सरकारी उद्योगों के लिये भी लागत लेखा पालों को प्राप्त करना बहुत कठिन हो रहा है। अधीकृत लेखा पाल संस्था अपना कार्यक्षेत्र विस्तृत कर रही है और हमें विश्वास है कि तीसरी योजना के दौरान देश के उद्योग लागत, किस्म और उत्पादकता के सम्बन्ध में जागरूक हो जायेंगे। हमारे औद्योगिक विकास की जड़ें जम चुकी हैं और तीसरी या चौथी योजना के दौरान इन उद्योगों का संतोषजनक रूप से विकास हो सकता है। इस महत्वपूर्ण पहलू पर प्रशुल्क आयोग तथा हम यथोचित प्रयत्न कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रजी में

केरल के प्रतिनिधि सदस्य ने टेपिओका का जिक्र किया है। हम इस महत्वपूर्ण कच्चे माल को स्टार्च, ग्लूकोज, पावर अल्कोहल इत्यादि में परिणत कर इस के उत्पादन को प्रोत्साहन देने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। श्री त्यागी ने उद्योगों के विकेन्द्रीकरण का प्रश्न उठाया है, यह कार्य प्रशुल्क आयोग के अन्तर्गत नहीं आता है। देश के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार की यह नीति है कि देश के अर्द्ध विकसित भागों में भी उद्योगों की यथाशीघ्र स्थापना हो सके।

जहां तक उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों की लागत का सम्बन्ध है, कई कारखाने विभिन्न पदार्थ बताते हैं, अतः सभी की एक रूप लागत निकालना बहुत कठिन होता है। किसी उद्योग के द्वारा एक वर्ष में निर्मित सभी पदार्थों का योग कर उन की लागत का हिसाब लगाना बहुत कठिन है। भविष्य में हम यह करेंगे कि कुछ प्रतिनिधि सायकिल और बालबियरिंग कारखानों की लागत दे देंगे जिस से कि लागत संबंधी पूर्ण चित्र उपलब्ध हो सके

जहां तक संरक्षित उद्योगों द्वारा लाभ कमाने का प्रश्न है, सामान्यतः संरक्षित उद्योगों ने उचित लाभ ही कमाया है। निसन्देह कुछ क्षेत्रों के एक या दो कारखाने अपवाद हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य यह रहता है कि यथाशीघ्र उद्योगों से संरक्षण हटा दिया जाय। हम धीरे धीरे संरक्षण हटाते रहते हैं जिस से कि संरक्षण हटाते समय वह कम से कम रह जाय और केवल इतना ही संरक्षण मिल सके जितना कि कारखानों के कुशलता पूर्वक चलने के लिये आवश्यक है।

हम अब बहुत अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने में समर्थ हो गये हैं। निसन्देह हम विश्व की सभी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यह दावा अमेरिका भी नहीं कर सकता है जोकि विश्व में सब से अधिक औद्योगिक देश है यथा संभव सभी स्वदेशी कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है तथा अधिकांश वस्तुओं की किस्म पर भी ध्यान रखा जाता है। हमें विश्वास है कि अगले दस या बीस वर्षों में, विश्व के औद्योगिक दृष्टि से पर्याप्त विकसित देशों में हमारी गणना होने लगेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

चौहत्तरवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो सभा में १४ दिसम्बर, १९६० को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समति के चौहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो सभा में १४ दिसम्बर, १९६० को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रजी में

सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प

†उपाध्यक्ष महोदय : कार्य-सूची में सब से पहली मद श्री त० ब० विट्ठल राव द्वारा सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण के बारे में १८ नवम्बर, १९६० को प्रस्तुत संकल्प को सभा में मतदान के लिये रखना है। २ दिसम्बर, १९६० को जब इस संकल्प पर चर्चा समाप्त हुई थी तो सभा ने यह राय जाहिर की थी कि इस संकल्प पर मत विभाजन हो। मत विभाजन आज तक के लिये स्थगित कर दिया गया था। अब मैं इस प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि इस सभा की राय यह है कि सामान्य बीमे का राष्ट्रीकरण किया जाय।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ

निशान लगाकर मतदान करने की नई प्रणाली के बारे में संकल्प

†उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब २ दिसम्बर १९६० को श्री विभूति मिश्र द्वारा प्रस्तुत निम्न-लिखित संकल्प पर अग्रेतर विचार करेगी :—

"इस सभा की यह राय है कि हाल ही में लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के उप-चुनावों में निशान लगा कर मतदान करने की जिस नई प्रणाली का परीक्षण के तौर पर प्रयोग किया गया था, वह सफल सिद्ध नहीं हुई है, अतः इस का भावी चुनावों में प्रयोग न किया जाय।"

श्री विभूति मिश्र अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले २ दिसम्बर को मैं ने अपने न्यू मार्किंग सिस्टम ऑफ वोटिंग सम्बन्धी प्रस्ताव पर सदन के सामने जो निवेदन किया था उस के आगे आज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ने अखबार में तो नहीं देखा है लेकिन कुछ समालोचकों ने यह कहा है कि इस प्रकार का प्रस्ताव इसलिये लाये हैं क्योंकि वे चुनाव में जीतते नहीं हैं। मैं इस अवसर पर इस भरी सभा में चैलेंज करता हूं कि जिन्दगी में मैं ने चार चुनावों को लड़ा है। दो बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का और दो बार लोक सभा का चुनाव लड़ा है। मेरा कोई भी अपोनेंट अथवा हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी जा कर मेरे चुनाव क्षेत्र में पूछे कि कितना मैं घूमा हूं और कितना मैं ने खर्च किया या क्या मैं ने किया। मेरी तो कोई बात छिपी नहीं है और सारी बातें दुनिया के सामने हैं। मैं तो साइकिल पर घूमता हूं और इसी तरीके पर मैं चनाव में जीतता आया हूं। इसलिये मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को सदन् में लाने में मेरा कोई जाती हेतु नहीं है। मेरी तो इच्छा यही है कि हमारे वोटरों को वोटिंग करने में सहूलियत हो।

एक सज्जन ने मेरे पास एक ब्राउचर भेजा है जिस का कि नाम बैलट बौक्स बूथ सिस्टम है और मैं सेन साहब से कहता हूं कि वह उस को जरा देखें कि उस में क्या विचार प्रकट किये गये हैं। अगर वह कहें तो मैं यह ब्राउचर उन को दे दूंगा और मैं चाहूंगा कि वह जरा इस को एग्जामिन करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात मझे जो कहनी है वह यह है कि अगर सरकार का यह खयाल है कि केरल में और राजस्थान में बड़े अच्छे तौर पर चुनाव सम्पन्न हुआ है तो मैं कहना चाहूंगा कि केरल में जितनी शिक्षा है उतनी शिक्षा देश के किसी सूबे में भी नहीं है। जहां तक राजस्थान के चनाव की बात आती है तो उस की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है और इसलिये मैं उस की बाबत कुछ नहीं कह सकता लेकिन जो बाई एलेक्शन्स हुए हैं उन को मैं ने देखा है और कहीं तो ८ परसेंट वोट रिजेक्ट हुए हैं और कहीं पर १० परसेंट वोट रिजेक्ट हुए हैं और अगर यही सफलता की निशानी हो फिर मझे कुछ नहीं कहना है वरना मेरा तो अपना खयाल है कि १ परसेंट या २ परसेंट वोट भी रिजेक्ट हों तो यह एक बड़ी बात है और वह बतलाता है कि कहीं हमारे वोटिंग सिस्टम में कुछ त्रुटि अवश्य है।

तीसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि अभी हाल में हमारी पार्टी का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में सारे वोटर ही दिग्गज थे क्योंकि वोटर पार्लियामेंट के कांग्रेसी मेम्बर थे लेकिन उस में भी १० वोट रिजेक्ट हो गये। गलती में दस वोट रिजेक्ट हो गये और स्वयं इस हाउस में भी हम देखते हैं कि वोटिंग में कुछ लोगों से गलती हो ही जाया करती है और आज ही वोटिंग में हम ने देखा कि कितने ही आदमियों का बटन नहीं दबा और कितने ही आदमियों का वोट गड़बड़ हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि जब यह हालत उन आदमियों की है जोकि दिग्गज हैं तो फिर उन बेचारे अशिक्षित लोगों से हमारे हरिजन भाइयों से आप यह कैसे आशा रख सकते हैं कि उन से गलती नहीं होगी या वे अपना वोट ठीक तौर से डाल नहीं पायेंगे। इसलिये इस मार्किंग सिस्टम से हमारे अनपढ़े लोगों को काफी कठिनाई होगी।

मुझ यह भी कहना है कि ४१ जी रूल क्लियर नहीं है। कोई भी नियम अथवा कायदा हो उसे स्पष्ट होना चाहिे और इस वास्ते मैं सेन साहब से कहूंगा कि वे तो अंग्रेजी भाषा के बड़े पंडित हैं और उचित यह है कि जो भी रूल बनाया जाय वह साफ और क्लियर बनाया जाय। अब रूल को ो काम में लाने वाले और अमल में लाने वाले प्रीसाडिंग आफिसर होंगे, पोलिंग आफिसर होंगे और आप समझ सकते हैं कि देहातों में जिन के कि जिम्मे इन पर अमल करने का काम होगा वे कितनी अंग्रेजी जानते हैं और भाषा साफ न रहने से काफी गड़बड़ पैदा हो सकती है। मैं समझता हूं कि इस तरीके से बहुत खर्चा करना पड़ेगा। जो बीस लाख बैलट-बाक्स बनवाये गये हैं, हर साल उन की मरम्मत में खर्चा होगा। दो तीन सप्ताह में ४२करोड़ बैलट पेपर छपवाने पड़ेंगे और समय से यथा-स्थान भेज देना हमारी सरकार के लिये गैरमुमकिन है। मैं ने पिछली बार बताया था कि अमरीका जसे शिक्षित देश में भी इस प्रणाली के कारण कितनी गड़बड़ी हुई है। इसलिये मैं समझता हूं कि जहां पर अधिकतर लोग अशिक्षित हैं, वहां सिम्बल सिस्टम को चलाना चाहिये, क्योंकि अशिक्षा, पर्दे की था और अज्ञान के कारण यही प्रणाली वहां के लि उपयुक्त है। अगर सरकार चाहे, तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली जैसे स्थानों में मार्किंग सिस्टम को लागू किया जा सकता है और उस में मुझे कोई एतराज नहीं है।

†उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

†श्री वारियर (त्रिचूर) : मेरे विचार से निशान लगा कर मतदान करने की नई प्रणाली से चुनावों में काफी सुधार हुआ है। देवीकोलम द्वि-सदस्यीय चुनाव क्षेत्र में हमारा यह अनुभव रहा है कि इस प्रकार किये गये मतदान में अवैध मतों की संख्या केवल ६ प्रतिशत रही। इस संबंध में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस निर्वाचन क्षेत्र में ८० प्रतिशत तामिल मजदूर आते हैं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियार]

अवशेष २० प्रतिशत भी मैदानी इलाकों के किसान इत्यादि हैं। इतना होने पर भी उस चुनाव में अवैध मतों की संख्या बहुत कम रही ।

कुछ अन्य चुनावों में भी इसी पद्धति का प्रयोग किया गया। पाराशल निर्वाचन क्षेत्र में जो कि अंशतः एक तमिल क्षेत्र है अवैध मतों की संख्या केवल १.१५ प्रतिशत थी। एक अन्य निर्वाचन क्षेत्र विलापिल में यह प्रतिशित केवल ८१ प्रतिशत था। निसंदेह हमें इतनी सफलता प्राप्त करने की आशा नहीं थी। इस प्रणाली का एक लाभ यह भी है कि मत प्राप्त करने के जो अन्य अवैध तरीके प्रयोग किये जाते थे उनमें कमी हुई है। पहिले कुछ लोग मतदान पत्र को बाहर लाकर उसे बेच देते थे, किन्तु अब ऐसा नहीं होने पाता है। इसका कारण यह है कि उन्हें मतदान अधिकारी के समक्ष ही मतदान पत्र को मतदान पेटी में डालना होता है पहिले कई ऐसे मामले हुए जब कि हमने लोगों को मतदान पत्र बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। अतः इस संबंध में हमारा अनुभव यह है कि इस प्रणाली के द्वारा मतदान अधिक सच्चे तरीके से हो सकता है।

इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि माननीय सदस्यों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को इस प्रणाली के प्रयोग का तरीका सिखाना चाहिये, यदि वे पांच वर्ष में एक बार भी उन्हें इस प्रणाली के उपयोग का तरीका सिखा सकेंगे तो वे इसका सही प्रकार से उपयोग करने में समर्थ होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस प्रणाली का उपयोग देश के अविकसित भागों में भी सफलता पूर्वक हो सकता है। अतः मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्रीमान्, मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। माननीय प्रस्तावक ने स्वयं कहा है कि निर्वाचन आयोग से उन्हें किसी प्रकार की आंकड़े वद्ध जानकारी प्राप्त नहीं हुई जिससे उन्होंने ऐसा निष्कर्ष निकाला है। इसके विपरीत देश के विभिन्न भागों में हाल ही में जो उप चुनाव हुए हैं उनके अनुभव से यही पता चलता है कि यह प्रयोग काफी सफल रहा है। न केवल शहरों में वरन् आदिम जाति क्षेत्रों में भी इसे काफी सफलता मिली है। इससे मतदाताओं को वास्तविक सुविधा मिल जाती है। पहले तो बूथ में अनेक डिब्बे रखे होते थे और बेपढ़े मतदाता भीतर जाकर चक्कर में फंस जाते थे कि अब क्या किया जाय। और इसी हालत में उनमें से अनेक लोग मतश्लाकाओं को डिब्बों के ऊपर ही छोड़ आते थे। किन्तु इसमें जो व्यक्ति अपने दल का निशान जानता है वह उसी पर मुहर लगाकर उसे डिब्बे में डाल देगा। निशान की जानकारी दल स्वयमेव करा देते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं आपको एक और दिलचस्प घटना सुनाना चाहता हूं। आम चुनावों से पहले एक जगह उपचुनाव हुआ था और कांग्रेस सरकार सारी प्रशासनिक व्यवस्था को चुनाव जीतने के लिए लगाए हुए थी। उन्होंने लाउड स्पीकर लगाकर इतना शोर शुरू किया कि मतदाता द्विविधा में फंस गये और उसी चक्कर में पड़कर उन्होंने कांग्रेस को मतदेना आरंभ किया। मेरे कहने का आशय यह था कि इस तरीके को अपना कर हम ऐसी अनेक प्रकार की द्विविधा से छुटकारा पा सकते हैं। निशान लगाकर मत डालने की प्रक्रिया से विलम्ब भी नहीं होगा। अतः हम इस प्रणाली का स्वागत करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी (देहरादून) : माननीय सदस्य को १९४९ का उदाहरण हमारे दल की आलोचना करने के लिए देना पड़ा किन्तु इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि आम चुनाव बड़े ही निष्पक्ष ढंग से हुए हैं किन्तु इस आलोचना के बाद भी मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं और संकल्प का विरोध करता हूं ।

मैं निर्वाचन आयोग को एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि उन्हें श्लाकाओं को इस तरह से प्रकाशित कराना चाहिए कि एक निशान और दूसरे निशान के बीच काफी अंतर रह जाय ताकि मुहर अच्छी तरह से लग सके । कुछ लोग बजाय निर्धारित जगह के निशान पर ही मुहर लगा देते हैं, इसी कारण से श्लाका को अमान्य घोषित न किया जाय ।

यह ठीक है कि बहुत से डिब्बों के पड़े रहने के कारण कुछ मतदाता घबरा जाते हैं और गलत जगह भी अपना वोट डाल देते हैं । बाद में पछताते हैं किन्तु फिर कुछ नहीं होता । इस कारण निशान लगाकर वोट डालने का तरीका ही अच्छा है । अशिक्षित लोग भी आसानी से इस तरीके को अपना सकते हैं ।

ब्रिटिश काल में एक और प्रथा थी । अनपढ़ मतदाता राजनैतिक अभिकर्ताओं के सम्मुख ही पदाधिकारी के पास जाकर बताते थे कि उन्हें अमुक दल को वोट देना है और वह उसी उम्मीदवार की निशानी पर निशान लगा देता था । यह भी बुरी चीज़ नहीं । परन्तु अब रबड़ की मुहर से काम ठीक तरीके पर चल सकता है । किन्तु यह ध्यान अवश्य रखा जाय कि जरा सी बात पर वोट अमान्य नहीं होना चाहिए ।

श्री राघे लाल व्यास (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मेरे मित्र विभूति मिश्र जी ने पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं ।

अभी मेरे मित्र द्विवेदी जी ने कुछ बातें बतायीं । मेरा निवेदन है कि यह कहना कि कुछ अफसरों ने जो कि चुनाव से सम्बन्धित थे कांग्रेस का पक्ष किया सही नहीं है । मेरा अनुभव तो दूसरा ही है । जो गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ से तो इस प्रकार की हिदायतें होती हैं कि जो अफसर चुनाव के लिए नियुक्त किए जाते हैं उनको बिल्कुल निष्पक्ष रह कर काम करना चाहिए । मैं समझता हूं कि सरकारी अफसर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं । इसके अलावा सरकारी अफसरों में ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो पहले कांग्रेस के वर्कर रह चुके हों क्योंकि आजकल नौजवान अफसर ही आते हैं । तो कांग्रेस के लिए यह कहना कि अफसरों ने उसका पक्षपात किया हो सही नहीं है । हमारा अनुभव तो इसके विपरीत है । कुछ कांग्रेस विरोधी ऐसी संस्थाएं भी हैं जो कि साम्प्रदायिकता के आधार पर आगे बढ़ना चाहती हैं । उनके कुछ लोग जो कि सरकारी अफसरों में स्थान पा जाते हैं उनके मन में कांग्रेस विरोधी भावना रहती है और यह देखा गया है—कुछ लोग पकड़े भी गए कि जहां वे देखते हैं कि कुछ किया जा सकता है वहां करने की कोशिश करते हैं । उन्होंने ऐसा भी करने की कोशिश की कि वोट अमुक बक्स में डाला जाए, जैसे सूरज के बक्स में डाला जाए या दिए के बक्स में डाला जाए । यह भी बहुत कम मात्रा में हुआ है लेकिन कुछ हुआ अवश्य है । लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसा किया गया हो वह मेरी समझ में नहीं आता । जो जनरल इलेक्शन हुए उनके बारे में जनसंघ के नेता स्व० डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार की प्रशंसा की और कहा कि इलेक्शन बहुत साफ सुथरे और निष्पक्ष हुए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राघे लाल व्यास]

लेकिन जो भी थोड़ी सी गुंजाइश रहती है वह मार्किंग सिस्टम में बिल्कुल दूर हो जाएगी। हमने देखा है देहातों में जहां आम तौर पर वोटर अशिक्षित होते हैं, या महिलाएं जो कि परदा नशीन होती हैं, वे बैलट बाक्स पर अपना बैलट पैपर रख देते हैं और जब कोई दूसरा आता है तो उन सब को समेट कर जिस बक्से में चाहता डाल देता है।

एक बात और भी है कि कुछ लोग वोटों का सौदा करते हैं। वह बैलट पेपर को डालते नहीं बल्कि जेब में रख कर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि इतने रुपए लाओ। तो वर्तमान सिस्टम में करप्शन की काफी गुंजाइश है। इसकी शिकायतें भी मिली हैं। लोगों ने इसका स्पेकूलेशन सा कर रखा है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने इन सब बातों पर विचार करके ही मार्किंग सिस्टम जारी किया है। बैलट पेपर पर चिह्न भी होता है उस पार्टी का और उम्मीदवार का। हमारा अनुभव है कि देहातों में और शहरों में भी अशिक्षित वोटर चुनाव चिह्न वाली पेटी को ही देखते हैं और उसी में वोट डालते हैं। लेकिन होता यह है कि कभी कभी वहां पेटियां इस तरह से आगे पीछे रखी जाती हैं कि वोटर कनफ्यूज़ हो जाता है और गलत पेटी में अपना बैलट पेपर डाल देता है। यह चीज़ भी मार्किंग सिस्टम से दूर हो जाएगी।

यह भी देखा गया है कि बैलट बाक्स पर जो सिम्बल चिपका रहता है वह निकल जाता है और पता नहीं चलता कि वह किस पार्टी का बक्स है। फिर जब कोई यह चीज़ नोटिस में लाता है और शिकायत करता है तो रिटर्निंग आफिसर उस बक्स पर चिह्न को गोंद से चिपकाता है और सूखने पर वह फिर निकल जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि अशिक्षित लोग जो कि केवल चुनाव चिह्न को ही समझते हैं उनसे असावधानी में गलतियां हो जाती हैं। इसलिए यह मार्किंग सिस्टम अत्यन्त आवश्यक है।

जो सुझाव मेरे मित्र त्यागी जी ने दिया है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि किसी खाने में भी मार्क लगा दिया जाए तो उसे वैलिड माना जाना चाहिए। हो सकता है कि कभी कोई वोटर गलत खाने में निशान लगा दे लेकिन अगर उसी चुनाव चिह्न के सामने या उसी उम्मीदवार के नाम के सामने लगाता है तो उसको वैलिड मान लेना चाहिए। इतना सुधार इस नवीन पद्धति में होना चाहिए। ऐसा करने से भी जो समझ नहीं पाते हैं उनके लिए सुविधा हो जाएगी।

इन सुझावों के साथ मैं श्री विभूति मिश्र जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : मुझे खेद है कि माननीय सदस्यों ने ऐसी पद्धतियों में दोष निकालने आरम्भ किए हैं जिसमें कोई दोष है ही नहीं। मेरा तो अपना विचार है कि हम किसी निर्वाचन क्षेत्र में खड़े कैन्डीडेट की हार जीत के बारे में पहले से ही जान जाते हैं कि वह हारेगा अथवा जीतेगा। मेरे इस विचार की पुष्टि आज इस सदन की स्थिति देख कर हो जाती है।

इसलिए इस चुनाव पद्धति में दोष निकालना एकदम ग़लत बात है। चुनाव में किसी कैन्डीडेट की जीत अथवा हार उस कैन्डीडेट के निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्र में प्रभाव पर अधिक आधारित रहती है। दल का प्रभाव तो बाद में आता है। मैं समझता हूं कि यदि और कोई पद्धति होती तो भी वह कैन्डीडेट जीतता जो अब जीता है। इसलिए यह कहना ग़लत बात है कि कैन्डीडेट इस पद्धति के कारण गड़बड़ कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि वर्तमान चुनाव पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस नवीन निर्वाचन प्रणाली का विरोध करने के लिए श्री विभूति मिश्र ने इस प्रस्ताव को उपस्थित किया है मेरा यह सौभाग्य है कि उसी नवीन निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुन कर लोक सभा में आने का मुझे अवसर मिला है और इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं।

श्री विभूति मिश्र ने अपने इस प्रस्ताव के विरोध में जो सब से बड़ी युक्ति दी है वह यह है कि प्रायः हमारे मतदाता अशिक्षित हैं और अशिक्षित मतदाताओं को अभी इतना हम शिक्षित नहीं कर पाये हैं कि वे मतदान पत्र पर सुविधापूर्वक निर्णय ले सकें यानी हमें किस व्यक्ति को अपना मत देना है यह देख सकें। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पंजाब में शिक्षा की दृष्टि से सब से पिछड़ा हुआ गुड़गांव का क्षेत्र माना जाता है जिसका कि इस सदन में प्रतिनिधित्व करने का मुझे गौरव प्राप्त है। उस क्षेत्र में इस नवीन निर्वाचन प्रणाली के आधार पर ही चुनाव हुआ था और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि अशिक्षितों के लिए उससे अधिक उपयोगी कोई दूसरी प्रणाली नहीं हो सकती है। इतना मैं अवश्य कहना चाहूंगा जैसा कि माननीय सदस्य श्री त्यागी जी ने संकेत दिया है यह शिकायत मुझे आज भी है और उस समय भी थी मैं चाहूंगा कि हमारे विधि मंत्री महोदय आने वाले इन चुनावों के अन्दर कम से कम उस कठिनाई को अवश्य दूर करें। क्योंकि मेरा यह अनुभव है कि जिस समय मतदाता को वह चुनाव पत्र दिया जाता है उसमें विभिन्न उम्मीदवारों के नामों को एक दूसरे से अलग रखने के लिए जो विभाजक रेखायें होती हैं वे इतनी निकट होती हैं कि वोटर का स्टाम्प अगर जरा ठीक से कोष्ठ में न लग पाया और लाइन से जहरा हट कर ऊपर नीचे को लग गया तो वह वोट इनवैलिड माना जाता है और वह वोट किसी का नहीं माना जाता है और जिसका कि परिणाम यह हुआ कि मुझे अपने ८, ९ हजार मतदाताओं के वोटों से वंचित होना पड़ा। अगर यह ८, ९ हजार वोट मुझे मिल जाते तो मेरा अनुमान है कि विरोधी उम्मीदवार की जमानत तक मैं जब्त करा सकता था .....

श्री त्यागी : खैर यह तो नहीं होता।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : यह तो समय ही बतलाता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री विभूति मिश्र ने जो यह कहा है कि वे इस प्रस्ताव को इसलिये रख रहे हैं क्योंकि इस नवीन निर्वाचन प्रणाली के द्वारा भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा पर मेरा अपना अनुमान है कि उनकी एसी आशंका सही नहीं है भ्रष्टाचार की उस पद्धति को जो कि चुनावों के समय प्रायः सुनने में आती है उसको प्रोत्साहन इससे नहीं मिलेगा बल्कि उस भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा क्योंकि मत पत्र एक ही है और उस मत पत्र के ऊपर यह सही नहीं है कि अशिक्षित होने के कारण कोई व्यक्ति अपनी मुहर ठीक स्थान पर नहीं लगा सकेगा जिसके लिए कि मैंने यह सुझाव दिया कि प्रत्येक उम्मीदवार के खाने और दूसरे उम्मीदवार का जहां पर खाना हो उनमें आपस में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य रहना चाहिये जिससे कि यह भी हो कि अगर स्टाम्प रेखा के ऊपर जरा लग जाय तो इतना तो देखा जा सके कि वह चिन्ह पहले उम्मीदवार की ओर झुका हुआ है या दूसरे की ओर झुका हुआ है और वह क्रौसिंग प्वाएंट से किधर को है। इसलिए उसके अन्दर अन्तर अवश्य रहना चाहिए। जहां तक भ्रष्ट पद्धति का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि उसकी नवीन निर्वाचन प्रणाली के द्वारा रोक थाम की जा सकेगी। विग मार्क को भी क्रौसमार्क समझा जाय।

तीसरी बात मिश्राजी ने यह कही है कि इतने थोड़े से समय में इतने करोड़ बैलेट पेपर्स कैसे छापे जा सकेंगे। जिस आधार पर कि वे चाहते हैं कि इस नवीन निर्वाचन प्रणाली को जारी न करें लेकिन

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

मेरा अपना अनुमान है कि इस बारे में हमें चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है। यह तो स्पष्ट ही है कि जब सरकार इतनी तैयारी कर चुकी है तभी वह इस प्रकार की चुनाव प्रणाली को आरम्भ करने के लिए जा रही है। इसलिए इस सम्बन्ध में तो कुछ सोचने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती है। हां एक बात जो विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारा इस बात के लिये प्रयत्न हो कि जो उम्मीदवार चुनावों के अन्दर खड़े हों उनके ऊपर भी अर्थ का कम से कम भार पड़ना चाहिए साथ ही साथ शासन के ऊपर भी अर्थ का भार कम पड़ना चाहिए। इस नवीन निर्वाचन प्रणाली को आरम्भ करने का शुभ परिणाम यह होगा कि आज तक जो प्रणाली पहले जारी थी और जिसके कि आधार पर प्रत्येक उम्मीदवार के अलग अलग बक्से रक्खे जाते थे तो अब इन अलग अलग बक्सों के सिस्टम को हटा कर एक ही बक्सा होगा भले ही उसका आकार बड़ा क्यों न कर दिया जाय। मेरा अनुमान है कि इससे सरकार को लाखों, करोड़ों रुपयों की बचत हो सकेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा अपना यह निवेदन है कि श्री विभूति मिश्र ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है, अच्छा हो कि वे स्वयं अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें लेकिन अगर वे उसको वापस नहीं लेते हैं तो मैं इस प्रस्ताव के सुझावों का और जो उन्होंने अपना यहां वक्तव्य दिया है उसका विरोध करता हूं।

पंडित ब्रज नारायण 'ब्रजेश' (शिवपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस में तो कोई सन्देह नहीं कि इस से पूर्व जो चुनाव-पद्धति देश में चल रही थी, उसमें भ्रष्टाचार अधिक होता रहा और मतदाताओं की भूल से कहीं भी मतदान करने का अवसर भी मिलता रहा यह बात भी निश्चित है कि पेटियों के सम्बन्ध में उन को जानकारी न होने के कारण कई मतदाता पेटी के सामने अपने मत पत्र रख कर, नमस्कार कर के चले गये। यही पता नहीं चला कि उन्होंने किसको मत दिया कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि मतदाता मतपत्र के दो भाग करके आधा एक पेटी में औरआधा दूसरी पेटी में डाल कर चले गये। कहीं कहीं यह भी देखा गया कि मतदाता वहां किसी आलमारी या ताक पर अपना मत पत्र रख कर और नमस्कार करके चले गये। ऐसी स्थिति रही है और उनको बरगलाने और इधर उधर ले जाने की चेष्टा भी बहुत की गई।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य क्या कैंडीडेट ही रहे हैं या प्रिजाइडिंग आफ़िसर भी ?

पंडित ब्रज नारायण 'ब्रजेश' : उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं चुनाव लड़ा है। आपको भी अनुभव होगा कि कैंडीडेट को सब जानकारी रखनी पड़ती है। उसको पोलिंग एन्जेट का काम करना पड़ता है। उसको कनवैसिंग भी करनी पड़ती है और यह भी देखना पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, प्रिजाइडिंग आफ़िसर ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि कभी कभी उनका भी अपना मत होता है और अपने मत को चलाने के लिए जो उनकी इच्छा होती है, उसी के अनुसार वह करवा लेते हैं। इस कारण यह सब सावधानी बरतनी पड़ती है और मुझे भी बरतनी पड़ी। उसी के आधार पर ही मैं यह कह रहा हूं। मैं आफ़िसर कभी नहीं रहा और न ही उसकी अभिलाषा है।

मैं समझता हूं कि चुनाव अधिकारियों के पास इस प्रकार की अनेकों आपत्तियां आई होंगी और उसके अनुसार गम्भीरतापूर्वक विचार करके उन्होंने इस पद्धति को सामने लाने की चेष्टा की है। इस में सन्देह नहीं कि इस मत-प्रणाली में लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक जिसको भी मत प्रदान करना हो, उस के सामने मार्क लगाने का अवसर मिलेगा और इसमें, मतपत्र इधर डालो, या उधर डालो, यह प्रश्न भी सामने नहीं रहेगा। इस कारण भ्रष्टाचार को अवश्य रोका जा सकता है, इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं। यह बात मैं मानने के लिए तैयार हूं कि भारतवर्ष गांवों में निवास करता है और गांवों की जनता अशिक्षित है, इस लिए जल्दी में,

शीघ्रता में, घबराहट में, बिना जाने बूझे वह इधर उधर माक लगा सकता है और मार्क लगाने की यह पद्धति ऐसी है कि ज़रा सी गड़बड़ हुई, तो उसका मत ही व्यय हो जायगा, बेकार हो जायगा। इसमें सन्देह नहीं कि जहां पिछली बार कैंडीडेट्स को भ्रष्टाचार से हानि उठानी पड़ी, इस बार मार्क्स लगाने के कारण बहुत से बैलट-पेपर बेकार हो जायेंगे। इसलिए यह सुविधा देनी चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति से मतपत्र पर चिन्ह लगाने में गड़बड़ी हो जाती है, तो उसके कारण उसका मतपत्र बेकार न हो जाये, क्योंकि प्रजातन्त्र में मत बड़ा मूल्यवान है और एक एक मत के कारण हार और जीत हो सकती है। ऐसी अवस्था में एक एक मत की कीमत को हमको समझना चाहिए और साधारण सी भूल के कारण, यह जानते हुए कि उसका मन्तव्य क्या था, मत प्रदान करने के उसके मन्तव्य को खारिज नहीं कर देना चाहिए। उसमें इतना स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। मतदाता को अधिक से अधिक सुविधा मिलनी चाहिए कि यदि चिह्न थोड़ा ऊपर भी हो गया, तो भी उसका मत व्यर्थ न जाय। लेकिन यह ज़रूर देखना चाहिए कि चिह्न का हिस्सा जिस पदाभिलाषी की ओर ज्यादा है, उसी को मत मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो मत बेकार हो जायगा

यह बात भी निश्चित है कि वर्तमान मत-प्रणाली में व्यय कम पड़ेगा, सुविधा अधिक होगी और भ्रष्टाचार भी रुक सकेगा। मैं श्री विभूति मिश्र के इस मन्तव्य को पसन्द करता हूं कि जनता बहुत अधिक अशिक्षित है और उस को मत प्रदान करने में असुविधा हो सकेगी, लेकिन यदि वायु-मण्डल निर्माण किया गया, तो इस में काफ़ी सफलता मिल सकती है। यह पदाभिलाषियों पर निभर है कि वे जा कर लोगों को समझायें। इस प्रकार से उन्हें मतदाताओं के पास पहुंचने का अवसर मिलेगा। जो लोग यह समझते हैं कि पुरानी पद्धति के अनुसार काम चलेगा, इसलिए लोगों में जाने की क्या आवश्यकता है, ऐन टाइम पर देखेंगे, जो होगा, देखा जायगा, उन को आज से ही जन-सम्पर्क करने का अवसर मिल जायगा। प्रश्न यह है कि जिस मतदाता को मतदान करने की भी बुद्धि नहीं है, वह देश के लिए क्या मत-प्रदान कर रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। कम से कम यह बुद्धि होनी चाहिए कि हम किस को मतदान कर रहे हैं। इस दष्टि से यह नवीन मत-प्रणाली देश के लिए श्रेयस्कर है और यदि श्री विभूति मिश्र अपने रेज़ोल्यूशन को वापस ले लेंगे, तो वह देश के लिए कल्याणकारी होगा।

श्री विश्वनाथ राय (सलेमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में मिश्र जी के प्रस्ताव के समर्थन में शायद ही किसी ने कुछ कहा हो।

श्री विभूति मिश्र : शर्मा जी ने कहा है।

श्री विश्वनाथ राय : किन्तु उन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए भी शायद सब लोगों ने यह माना है कि भारत में शिक्षा कम होने के कारण चिह्न लगाते वक्त लोगों को कठिनाई होगी। वह कठिनाई पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं होगी, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी, जो बहुत वृद्ध होते हैं, जिन को कम दिखाई देता है और प्रायः वे लोग, जो गांवों में रहते हैं, जिन के पास चश्मा आदि साधन नहीं हैं, यह कठिनाई अनुभव कर सकते हैं कि वे निशान ठीक लगा रहे हैं या ग़लत। विरोधी बैंचों से भी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि ग़लत निशान लगाने के कारण उन के कई हज़ार वोट ख़राब हो गये। वह उसी हिसाब से स्थिति को समझ लें।

श्री त्यागी : उन को मिल गये।

श्री राधा रमण : (चांदनी चौक) : ख़राब हुए, तो मिले ही।

श्री विश्वनाथ राय : यदि सारे भारत पर इस दृष्टि से ध्यान दिया जाये, तो ऐसे वोटों की संख्या लाखों क्या, करोड़ों तक पहुंच जायगी, जो इस कारण बरबाद हो जायेंगे ।

चिह्न लगाने के तरीके का जो नया सुझाव है, उस के कारण, चुनाव को अधिक से अधिक निष्पक्ष रखने के लिए जो गुप्त मतदान की व्यवस्था है, उसको अब वह खद रोकने जा रहे हैं । शिक्षा अशिक्षा की बात छोड़ें, अगर सैद्धान्तिक बात को ल, तब भी आप यह मानेंगे कि चिह्न लगाने का जो नया तरीका सोचा जा रहा है, जिस की कहीं कहीं पर परीक्षा भी हुई है, उस में एक बात तो बिल्कुल समाप्त होती है और वह है गप्त मतदान की । भारत में चुनाव के जिस तरीके को अपनाया गया है, उस में यह सिद्धान्त रखा गया है कि मतदान इस तरीके से हो कि जिस से किसी व्यक्ति, अधिकारी या उम्मीदवार का कोई असर न हो और वोट देने के बाद भी किसी को मालूम न हो । जहां शिक्षित आदमी कम होते हैं और अशिक्षित ज्यादा, वहां प्रायः यह देखा जाता है कि उम्मीदवार यह सिखलाता है कि आप स्वयं चिह्न न लगाइये, अधिकारी से कह दीजिये कि वह लगा दे । मुझे जो निजी अनुभव है, और जो पहले चुनाव में देखा गया है, वह यह है कि जो लोग वद्ध हैं, या पढ़े-लिखे नहीं हैं, प्रायः यह कहते हैं कि आप चिह्न लगा दीजिये । जब वह बात आयगी, तो सीक्रेसी और गुप्त मतदान का सिद्धान्त नहीं रह जायगा ।

अगर कोई यह कहे कि ये तो अलग अलग होंगे, बड़ बड़े चिह्न बने रहेंगे, दिक्कत नहीं होगी, मुहर होगी और वह लगा दी जायगी, तो मैं समझता हूं कि उस से आसान तो बक्स की व्यवस्था रहेगी, जो लगभग डेढ़ फुट लम्बा और एक फुट चौड़ा है, जिस पर चिह्न भी बड़े होते हैं । पर्चे पर चार पांच उम्मीदवारों के चिह्न होंगे । उस के मुकाबले में बक्स ज्यादा सुविधाजनक होता है वोट देने के लिए और पहचानने के लिए । ऐसी हालत में यह कहना मुझे ठीक नहीं मालूम होता है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नई प्रथा का प्रयोग किया जा रहा है । अगर गुप्त मतदान को समाप्त किया जाता है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन की कठिनाइयों पर कम ध्यान दिया जाता है, तो फिर भ्रष्टाचार को रोकने का क्या तरीका है ?

मझे भी एक अनुभव है । जहां पर कांग्रेस सरकार है, या पहले थी, वहां एक म्यूनिसिपैलिटी का चनाव हो रहा था । अनेकों ऐसे लोग थे, जो कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देना चाहते थे, लेकिन वहां का पोलिंग आफ़िसर दूसरे उम्मीदवार के लिए निशान लगा देता था, क्योंकि उस से उस की दोस्ती थी । मैं स्वयं वहां था और कांग्रेस एजेन्ट की तरफ़ से यह कहना पड़ा कि यदि फिर पोलिंग अधिकारी ऐसा करता है, तो उन की कलम को रोक दिया जाये भले ही वह कानून का उल्लंघन होगा, लेकिन न्याय तो होगा । तब वह आफ़िसर रुका । यदि किसी दूसरे को निशान लगाने के लिए कहा जाये, तो हो सकता है कि वह भी किसी का पक्षपात करे । और फिर यही विरोधी पक्ष के सदस्य कहेंगे कि पोलिंग आफ़िसर बिल्कुल निष्पक्ष नहीं थे और उन्होंने दूसरी जगह निशान लगाये । आज छोटी मोटी कमजोरियों को ले कर ये लोग बड़ा बना देते हैं और सरकार का विरोध करते हैं । उस से ज्यादा विरोध ये लोग उस समय करेंगे और कहेंगे कि चुनाव के समय जो पोलिंग आफ़िसर था, मत दिलाने वाला आफ़िसर था, उस ने ग़लत निशान लगाये । मेरे ख्याल में इस प्रकार सरकार अपने लिए एक सर-दर्द पैदा कर रही है । हम विरोधी पार्टियों को मौका दे रहे हैं इस बात का कि अनुचित तौर पर उनको इसका विरोध करने का अवसर मिले ।

श्री राघा रमण : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री विभूति मिश्र जी ने जिस प्रस्ताव को इस सदन के सामने रखा है, उनका मैं आभारी हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया है, इस महत्वपूर्ण

मसले पर विचार करने का । लेकिन मैं इस बात से इत्तिफाक नहीं करता कि जो मतदान की नई पद्धति अख्तियार की गई है, वह दोषों से भरी हुई है । उस में कुछ दोष हो सकते हैं । जहां तक हिन्दुस्तान के मतदान का सम्बन्ध है, वह न सिर्फ भारत वर्ष में बल्कि सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है कि बावजद इस बात के कि हिन्दुस्तान में बहुत ही ज्यादा लोग अशिक्षित हैं, और अशिक्षितों की प्रतिशत संख्या बहुत है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मतों का इस्तेमाल करके सभी को चकाचौंध कर दिया है । मतदाताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे न्यायपूर्ण ढंग से और अपनी मर्जी के मुताबिक और जैसा सही समझते हैं, उस तरह से अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं । इसलिए यह दोष देना कि जो अशिक्षित लोग हैं कोई भी प्रणाली अपनाई जाये मत देने की, उसका सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है और यह बात वाकयात पर खरी नहीं उतरती है ।

मेरा खयाल है कि जो तरीका पहले हमारे यहां रखा गया था, उसमें जितने दोष थे, उससे कहीं कम दोष आज की प्रणाली के अन्दर हैं । यह मैं नहीं मानता कि जो पद्धति इस समय अख्तियार की गई है मतदान की, उसमें कोई दोष नहीं है । दोष उसके अन्दर हैं । यह फूलप्रूफ तरीका नहीं है । हो सकता है कि इस में भी हस्बमंशा कोई राय न दे सकता हो और ऐसी बात भी नहीं है कि इसमें गलती का कोई इमकान ही नहीं है । लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि हमारे देश में शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही अपने इस मतदान के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से शिक्षा पा चुके हैं और वे दोनों ही अपने मत को उसी प्रकार से देते हैं जिस प्रकार से उनकी इच्छा होती है, जिस को चाहते हैं, उसी को अपना मत देते हैं ।

पहले जो बैलट पेपर का सिस्टम था जिस के बारे में हमारे विभूति मिश्र साहब चाहते हैं कि सरकार और इलैकशन कमिशन अमल करे, उसमें बहुत ज्यादा दोष थ । मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि कोई भी जनरल इलैकशन ऐसा नहीं होता था, जिस में कि पैसा न चलता हो । जो धनी पुरुष थे वे सैकड़ों बैलट पेपर पैसा दे कर खरीदते थे और यहां तक अधिक पसा एक एक बैलट पेपर के लिए दिया जाता था कि हैरानी होती थी । एक एक बैलट पेपर की कीमत एक एक सौ और पचास पचास रुपये वे अदा करते थे । इसका नतीजा यह निकलता था कि बहुत से अशिक्षित भाई और बहनें जिन को वोट देना चाहते थे, पैसे के प्रलोभन में उसको वोट न दे कर जिस से पैसा मिलता था उसको वोट दे देते थे । मेरा अपना विचार यह है कि जो इस समय की पद्धति है उसके अन्दर कोई शिकायत किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं होनी चाहिये ।

मेरे भाई ने बताया कि आजकल के तरीके में एक बड़ा भारी दोष यह है कि जो मतदाता है वह अपना मत किसी सरकारी अफसर की देख-रेख में या उसको कह कर देता है । मैं समझता हूं कि यह आजकल की पद्धति के अन्दर प्रचलित नहीं है, ऐसा नहीं होता है । जितने भी कैंडीडेट्स होते हैं उनके निशान होते हैं और उन निशानों के आगे एक कठघरा होता है और कठघरे में सिर्फ उस दिशान को देख कर शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही मुहर जोकि किसी सीक्रेट स्थान पर रखी रहती है, लगा देते हैं ।

त्यागी जी ने एक बात की तरफ हमारा ध्यान दिलाया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि अशिक्षित लोग भय के कारण, या घबराहट के कारण या किसी और कारण से, जहां पर मुहर लगानी चाहिये, वहां पर न लगा कर इधर उधर लगा देते हैं जिससे जो प्रिज़ाइडिंग आफिसर होता है, वह वोट को इनवैलिड करार दे देता है । मैं समझता हूं कि इस दोष को भी दूर किया

[श्री राधा रमण]

जा सकता है और उसका एक तरीका हमारे माननीय सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी हैं सुझाया है और वह यह है कि कठघरे ज़रा बड़े बड़े हों और दूसरा यह कि प्रिज़ाइडिंग आफिसर को हिदायत हो कि अगर रबड़ का निशान थोड़ा इधर उधर हो जाये, ऊंचे नीचे हो जाये तो वोटर के मंशे के मुताबिक उसको वोट मिल जाना चाहिये जिसको वह चाहता था मिले। यह एक छोटी सी बात है, टैक्नीकल सी बात है और इस बिना पर मैं समझता हूं वोट बेकार नहीं जाना चाहिये। हमें देखना चाहिये कि वे लोग जो ऐसा करते हैं, ग्रामीण होते हैं, उनको पता नहीं होता है और गलती कर बैठते हैं और उनका जो मंशा हो, जिस को वोट वे देना चाहते हों, उनको उनका वोट मिल जाना चाहिये।

मेरी राय है कि इस समय जो तरीका है, वह काफी निर्दोष है और उस में वे दोष नहीं हैं जो पहले तरीके में थे और इसमें कोई रद्दोबदल करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के लोग इस पद्धति से काफी परिचित हो चुके हैं। अगर एक ही पद्धति को हम कायम रखेंगे तो जो मौका हर पांच साल में वोटर्स को वोट देने का मिलता है और जब बाई-इलैकशन हो जाते हैं, तो उस बाई-इलैकशन में वोट करने का मौका मिलता है उससे वोटर काफी शिक्षित हो जायेंगे और उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहेगी या किसी दूसरे की राय पर चलने की जरूरत नहीं रहेगी और सही रूप से अपना मत दे कर जिस को वे कामयाब करना चाहते हैं कामयाब करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और जो व्यवस्था इस समय चल रही है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में जिन बातों को लेकर बहस हो रही है, उससे साफ जाहिर है कि हमारी सरकार ने जनता के प्रति जिस कर्तव्य का उसे पालन करना चाहिए था नहीं किया है। दुनिया के सभी देशों में लोग उम्मीदवार का नाम पढ़ कर अपना मत देते हैं और वहां पर नाम के सामने एक मार्क लगाने की पद्धति है। इसका मतलब यह है कि उन देशों की जनता पढ़ी लिखी है, नाम को पढ़ सकती है और समझ सकती है। हमें मतदान के तरीकों को अपने देश में चालू किए हुए १३–१४ वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक भी हम अपने देश की जनता को शिक्षित नहीं कर पाये हैं, उनको साक्षर नहीं कर पाए हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए और सदन के लिए एक लज्जा की ही बात है।

जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं इस बात को महसूस करता हूं कि देहाती जनता की सुविधा का खयाल रख कर ही श्री विभूति मिश्र ने यह प्रस्ताव इस दन के सामने विचारार्थ रखा है। लेकिन मैं समझता हूं जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कई दृष्टियों से इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत है। एक दृष्टि यह है कि सब से अधिक वैज्ञानिक तरीका मत देने का कौन सा है। उम्मीदवार के नाम के सामने चिह्न लगा कर मत देने का जो तरीका है वह सब से ज्यादा वैज्ञानिक तरीका है। पहला जो तरीका था उसमें कई बुराइयां बताई गई हैं जो कि अभी भी उसमें हैं। मैं समझता हूं वैज्ञानिक ढंग के तरीके का जहां तक सम्बन्ध है, यह तरीका ज्यादा वैज्ञानिक है। दूसरा सवाल बक्सों का है। इसका मतलब यह है कि यह तरीका कम खर्चीला है। इस तरीके में सरकार के खजाने पर कम बोझ पड़ेगा। इसमें इतने अधिक बक्से बनवाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि अभी जो बैलट पेपर्स की संख्या है वह बहुत ज्यादा होती है और इसमें ज्यादा बैलट पेपर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चौथी बात इस वैज्ञानिक तरीके के पक्ष में यह कही जा सकती है कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत कम है। अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जो वोट लेने वाला है

वह तब तक रुपया नहीं देता है जब तक कि बैलट पेपर उसके पास नहीं पहुंच जाता और इसका कारण यह है कि उसे विश्वास नहीं होता है कि लोग मत उसको देंगे या नहीं देंगे। इसलिए जब बैलट पेपर उसको लाकर दे दिये जाते हैं तब वह उनको रुपया दे देता है।

हमारे भाई श्री विभूति मिश्र ने कहा कि इसमें गोपनीयता नहीं रहती है। मैं समझता हूं कि अगर गोपनीयता रहेगी तो इसी में रहेगी। इसका कारण यह है कि मत देने का जो काम है वह एक कमरे में होता है जहां कोई देखने वाला नहीं होता है और बैलट पेपर को बक्से में डालने का काम रिटर्निंग आफिसर या प्रिजाइडिंग आफिसर के सामने होता है और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि बैलट पेपर के बाहर जाने की भी इसमें बहुत कम गुंजाइश है और अगर किसी तरह से कोई बैलट-पेपर बाहर भी ले जाता है तो फिर उसको वापिस डालने की भी गुंजाइश इसमें नहीं है .....

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं है ?

श्री श्रीनारायण दास : यह बात आपने खुद ही देख ली होगी।

जहां तक देहाती भाइयों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि जब तक इस नई पद्धति को नहीं अपनाया जायेगा, हमारे देहाती भाई सीखेंगे भी नहीं। जहां तक उप-निर्वाचनों का सम्बन्ध है, कुछ माननीय सदस्यों ने और इलेक्शन कमीशन ने भी हमें बताया है कि कम से कम वोट इस सिस्टम में इनवैलिड करार दिये गए हैं। बैलट पेपर में चार ही कालम होते हैं। एक खाना उम्मीदवार के नाम का होता है, दूसरा पार्टी का होता है, तीसरा सिम्बल का होता है और चौथा मुहर लगाने का होता है। चारों में से किसी के आगे भी निशान लगाने का अधिकार वोटर को होगा और इस तरह से मैं समझता हूं कि वोट के इनवैलिड करार दिये जाने की बहुत ही कम गुंजाइश है। मैं समझता हूं कि देहाती जनता का खयाल करके ही, देहाती जनता भ्रष्टाचार के रास्ते पर न जाय इस खयाल से ही, और इस खयाल से कि देहाती जनता चिह्न को ही पहचान सकती है उसको सुविधा हो, और पिछले दो चुनावों का अनुभव करके ही इलेक्शन कमीशन ने यह नई पद्धति जारी करने का सुझाव रखा है। मैं समझता हूं कि इसका समर्थन होना चाहिए और तीसरे और चौथे चुनावों में इस पद्धति का अनुभव हो जाएगा। पुरानी पद्धति से प्रकट होता है कि हिन्दुस्तान के लोग सचमुच में पूरी तरह शिक्षित नहीं हैं इसलिए बैलट बाक्स पर ही अपना बैलट पेपर रख देते हैं, तो यह जो हमारे ऊपर स्टिगमा है यह भी नई प्रथा में कम हो जाएगा। मैं समझता हूं कि किसी भी दृष्टि से देखी जाए नई प्रथा अधिक अच्छी प्रतीत होती है और उम्मीदवारों का यह कर्तव्य है कि वे वोटरों को बतलाएं कि उनको किस प्रकार नई पद्धति में वोट डालना होगा। वोटर इसको अच्छी तरह समझ जायेंगे।

मैं श्री विभूति मिश्र के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि नई पद्धति का ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर प्रयोग किया जाएगा।

एक निवेदन म अन्त में यह करना चाहता हूं कि यदि किसी खास लाके के लोग पुरानी पद्धति से वोट देने की इच्छा प्रकट करें तो इलेक्शन कमीशन को उन लोगों को उसी प्रकार वोट देने का अधिकार देना चाहिए जिससे उनको सन्तोष हो सके।

पं० द्वा० ना० तिवारी (केसरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी सदन में बहस चल रही है उससे ज्ञात होता है कि सब लोगों के मन में यह भावना है कि अशिक्षित लोग ठीक से वोट नहीं दे सकते। मैं इस बात को नहीं मानता। यों गलती तो सब से होती है। यहां सदन में ही डिवीजन के समय जब बटन दबाना होता है तो हम में से कुछ से भी गलती हो जाती है। तो इस तरह की गलतियां तो हमेशा होंगी। लेकिन देहात के लोग शहर के लोगों से ज्यादा गलती नहीं करते। उनको एक मरतबा

[पं० द्वा० ना० तिवारी]

बतला दीजिए तो वह उस बात को गांठ बांध लेते हैं और उसी प्रकार काम करते हैं, जो शिक्षित लोग हैं वे अपनी काबलियत में भले ही गलती कर जाएं ।

हर मसले के दो पहलू होते हैं और हर मसले के पक्ष और विपक्ष में कुछ न कुछ कहा जा सकता है । लेकिन हमें देखना है कि दोनों में से किस पद्धति में अधिक सुविधा होगी । उसी का हमें समर्थन करना चाहिए । गत चुनावों में हमने देखा कि १ या डेढ़ पर सेंट लोग अपने बैलट पेपर बक्सों पर रख कर चले आते हैं ।

[श्री मूल चन्द डूबे पीठासीन हुए]

पुरानी पद्धति में बहुत से लोग अपना बैलट पेपर बक्स के ऊपर डाल कर चले आते थे । उसका नतीजा यह होता था कि जो दूसरे होशियार लोग बाद में जाते थे वे उनको समेट कर अपने उम्मीदवार के बक्स में डाल देते थे या अगर उन पर प्रीसाइडिंग आफिसर की नजर पड़ जाती थी तो उनको रद्दी कर दिया जाता था । वोटर की मंशा थी कि वह अमुक उम्मीदवार को वोट दे लेकिन वह गलती से उसके बक्से में गिराता नहीं । इसलिए उसकी मंशा सफलीभूत नहीं होती और दूसरे जो होशियार लोग बाद में जाते हैं वे उन वोटों को अपने उम्मीदवार के बक्से में डाल देते हैं या उनको प्रीसाइडिंग आफिसर इनवेलिड कर देता है । लेकिन नवीन पद्धति में यह नहीं हो सकता ।

दूसरी बात जो लोग वोट मंगा लिया करते थे वह भी इस पद्धति में संभव नहीं होगा । वोटर जाएगा, चिन्ह देखेगा और उसके सामने निशान लगायेगा और पेपर को बक्स में डाल देगा । इसमें वोट मंगाने का मौका नहीं रह जाता और जो करप्शन पहले हो सकता था वह आगे नहीं हो सकेगा । जिसको वोट देना चाहेगा उसको देगा और जिसको नहीं चाहेगा नहीं देगा ।

हमने यह भी देखा कि डबल मेम्बर कांस्टीट्यूएंसी में लोग वोटरों को यह सिखा देते हैं कि तुम दोनों वोट एक ही बक्स में डाल देना और वोटर ऐसा ही कर देता है । और उसका एक वोट रद्दी हो जाता है । और वोटर का मंशा पूरा नहीं होता । इस सिस्टम में यह नहीं हो सकेगा । अगर कोई इस तरह से वोटर को अब सिखाएगा और वोटर वैसा करेगा तो दोनों वोट इनवेलिड हो जाएंगे । इसलिए सिखाने वाले लोगों को इस प्रकार की गलत बात सिखाने का मौका भी नहीं रहेगा ।

बहुत से उम्मीदवार होते हैं और उनके जब पुराने सिस्टम के अनुसार अलग अलग बक्से रखे जाते हैं तो कुछ वोटर घबरा जाते हैं और अपना वोट ठीक से नहीं दे पाते । इस नए सिस्टम में तो यह बात नहीं है । उसको निशान लगाना समझा दिया जाएगा और वह निशान लगा देगा, झोंपड़ी पर, बैल पर या जिस पर भी वह चाहेगा निशान लगा देगा । इसमें गलती होने की सम्भावना नहीं है ।

हमारे यहां सोन बरसा में हाल ही में नई पद्धति से एक इलेक्शन किया गया । उसमें कोई २ या ढाई पर सेंट वोट बरबाद गए, पहले इससे ज्यादा वोट इनवेलिड होते थे । यह सिस्टम पहले पहल वहां शुरू किया गया था देहाती क्षेत्र में और वहां के वोटर्स ने खूबी के साथ चिन्ह लगाए और वोट दिए । कोई वजह नहीं है कि देहात के लोगों की यह मनोवृत्ति अगले जनरल इलेक्शन में बदल जाएगी और वे अधिक गलती करेंगे । इसलिए मैं विभूति मिश्र जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । वह जनरल पब्लिक के हित में नहीं है । जितनी असुविधाएं पुरानी पद्धति में हैं उतनी नवीन पद्धति में नहीं हैं ।

नई पद्धति के विरोध में यह कहा गया कि इसमें सीक्रेसी नहीं रहती । इसमें कोई अफसर बीच में नहीं पड़ेगा । वोटर जाएगा और अलग बैठकर चिन्ह लगाएगा और कागज मोड़ कर बक्से में डाल देगा । इसमें ओपिन होने की बात कहां है । जैसी पहले गोपनीयता थी वैसी ही इसमें रहेगी । तो यह दलील भी ठीक नहीं है । आप किसी भी दृष्टि से सोचिए नई पद्धति हर दृष्टि से अधिक सुविधाजनक है और इस पद्धति में लोग अपनी इच्छा के अनुसार अच्छी तरह वोट दे सकेंगे । गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को यह देखना है कि किस पद्धति में लोग कम से कम गलती कर सकते हैं । किस पद्धति में उनपर कम से कम दबाव पड़ सकता है और उनको किस पद्धति में कम से कम लालच दिया जा सकता है । नवीन पद्धति ऐसी है कि इसमें वोटर के ऊपर कम से कम दबाव पड़ सकता है, कम से कम लालच उसको दिया जा सकता है और अधिक खूबी से वह अपना मत दे सकता है । पुरानी पद्धति में वोटर पर दबाव अधिक पड़ता था, करप्शन भी ज्यादा होता था, उसमें वोट मंगाने की भी गुंजाइश थी और उसमें लोगों को असुविधा भी होती थी ।

इसलिए मैं चाहता हूं कि नवीन पद्धति चालू की जाए ।

पंडित भ० दी० मिश्र (केसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मिश्र जी ने यह प्रस्ताव रख कर सदन के सदस्यों को यह अवसर दिया है कि मतदान प्रथा में जो असुविधाएं अनुभव हुई हैं उनके बारे में अपने विचार प्रकट कर सकें ।

मैं समझता हूं कि मिश्र जी भी यह समझते होंगे कि प्राचीन मतदान की प्रथा बहुत कुछ दोषों से भरी हुई थी जिसमें सरकार के लिए भी और मतदाता के लिए भी बहुत असुविधाएं थीं । पुरानी प्रथा में बक्सों का इतना ढेर लग जाता है कि अशिक्षित जनता भ्रम में पड़ कर गलती कर जाती है । कोई कोई परेशान हो कर बक्से के ऊपर ही अपना मत पत्र रख कर चले जाते थे । इसका कुछ लोग नाजायज लाभ भी उठाते थे और उन मत पत्रों को बाद में उठा कर अपने उम्मीदवार के बक्स में डाल देते थे । अधिकारी भी इसका दुरुपयोग कर सकते थे । इन सारी चीजों को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने यह नई पद्धति जारी की है । यह कम से कम दोष वाली है । वैसे दुनिया में ऐसी तो कोई पद्धति नहीं हो सकती जिसके लिए कहा जाए कि यह सर्वथा निर्दोष है ।

लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज जो प्रथा जारी की गई है यह कम से कम दोष वाली कही जा सकती है और इसमें क्या पढ़े लिखे और क्या गैर पढ़े लिखे सबके लिये यह सुविधाजनक है क्योंकि उसमें चिह्न भी मौजूद है और नाम भी लिखा हुआ है । कोई पढ़ा या अनपढ़ा भाई बहिन इतना तो देखता ही है कि यह चिह्न बैल का है, यह चिह्न कमल का है और यह झोंपड़ी का चिह्न है और जिस चिह्न पर भी उसकी मंशा हो उस पर उसको मुहर लगा देना है । अलबत्ता हाथ से जब चिह्न बनाना पड़ता था तो दिक्कत थी और उसमें बहुत से लोग जो कि अनपढ़ लोग हैं उनको जरूर दिक्कत अनुभव हो सकती थी । अब यह जो मुहर कर दी गई है तो वोटरों को बड़ी आसानी हो गई है । लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे विधि मन्त्री महोदय जैसा कि सुझाव यहां पर अनेक माननीय सदस्यों के द्वारा आया है कि वोटरों से मुहर लगाने में ठीक ठीक कोष्ठ के अन्दर कुछ इधर उधर गड़बड़ हो जाती है और इस कारण जो उनके वोट इनवैलिड करार दे दिये जाते हैं तो यह ठीक नहीं है । मुहर देखने के साथ साथ यह भी देखना चाहिये कि मतदाता का मत क्या रहा है और उसका मत उसी से सिद्ध हो जाएगा । अगर मुहर ठीक से कोष्ठ में नहीं लग पायी है या विभाजक रेखा के कुछ ऊपर नीचे हो गई है तो देखना चाहिये कि चिह्न का झुकाव किस ओर है । अगर मुहर लगाने में नीचे वाली विभाजक रेखा छू भी गई है तो भी यह समझना चाहिये कि ऊपर वाले को मत दिया गया है । कभी कभी एसा भी हो जाता है कि मतदाता यह नहीं समझता कि उसे अमुक चिह्न के लिय सामने जो कोष्ठ रक्खा गया है

[पंडित भ० दी० मिश्र]

उस कोष्ठ में उसे चिह्न लगाना चाहिये और वह गलती से कभी कभी अगल बगल वाले खानों में चिह्न लगा दिया करता है। इस तरह की टैकनिकैल्टीज के कारण हमारे निर्णायक लोग जो ऐसे वोटों को अवैध डिक्लेयर कर देते हैं तो यह मुनासिब नहीं है। अभी भी हमारे देश में काफी अशिक्षा फैली हुई है और इसलिये इन छोटी छोटी टैकनिकैल्टीज़ पर वोट इनवैलिड नहीं करार दिये जाने चाहियें।

मैं समझता हूं कि इस प्रथा के द्वारा कम से कम गलतियां हुई हैं और इस नवीन निर्वाचन प्रथा को अब तो पंचायतों में भी जारी कर दिया गया है क्योंकि पंचायतों में हाथ उठवा कर जो चुनाव कराये जाते थे उनमें बड़ी आपत्तियां आती थीं और होता यह था कि गांव में जो प्रभावशाली लोग होते थे जिनका आतंक होता था उनके पक्ष में लोग हाथ उठा दिया करते थे। लेकिन अब इस नवीन निर्वाचन प्रणाली के द्वारा उनको अपने मनचाहे व्यक्ति के निशान वाले खाने में अपनी मुहर लगानी होगी और इस तरह बगैर किसी दबाव के वे आजादी के साथ जिसको भी चाहेंगे उसके खाने में अपनी मुहर लगा देंगे। ऐसा होने से जो मतदान को छिपाने की बात है वह भी पूर्णतया इसमें आ जाती है क्योंकि उनको अपना वोट डालने के लिये किसी का सहारा नहीं लेना है। उनको तो केवल यह देख करके कि अमुक व्यक्ति जिसको कि वे वोट देना चाहते हैं उसका सिम्बल कहां है उस खाने में अपनी मुहर लगा देनी है। अनपढ़े लोग भी मैं समझता हूं कि अपने उम्मीदवार के सिम्बल को पहचान कर ठीक जगह पर अपनी मुहर लगा देंगे और पढ़े लोग नाम को देख कर उसके सामने अपना चिह्न लगा देंगे। अब पर्चा बाहर ले जाने की बात भी समाप्त हो गई है। पहले ऐसा था कि शायद वे पर्चा बाहर ले जाते थे और उस बैलेट पेपर को लोग पैसा देकर खरीद लिया करते थे और उन पर्चों को अपने पर्चों में लगा लेते थे। अब यह जाली पर्चा बाहर ले जाने पर रोक लगा देने से नहीं हो सकेगा और उसको उसपर चिह्न लगा कर बक्से में डालना होगा। बक्सा भी एक ही है इसलिये उसमें खुलने की बात भी नहीं है। वह जिस किसी को भी वोट देना चाहेगा उसके खाने में मुहर लगा कर उस बक्से में अपने बैलेट पेपर को डाल देगा।

हमारे मिश्र जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है मेरी समझ में उसके पीछे मकसद यह है कि अगर इस पर्चे में अभी भी कोई ऐसे दोष या त्रुटियां मौजूद हैं तो हमारे एलेक्शन कमीशन और विधि मन्त्री महोदय को उनको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये ताकि हमारे इस देश में जो प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली चल रही है उसके सम्बन्ध में हमारे संविधान ने जो हर एक प्रौढ़ देशवासी को मत देने का अधिकार दिया हुआ है वह सही सही अपने अधिकार का इस्तैमाल कर सके और अपना मतपत्र सही आदमी को दे सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने मिश्र जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और समझता हूं कि जो नई निर्वाचन पद्धति जारी की गई है उसी को कुछ थोड़े से आवश्यक संशोधनों के साथ लागू किया जाये और जिससे कि बहुत कुछ देश को लाभ हो सकता है।

सेठ अचल सिंह (आगरा) : सभापति महोदय, श्री विभूति मिश्र ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। बात यह है कि इस मार्किंग सिस्टम के कारण हमारे देश के लोगों को और खास कर अनपढ़े लोगों को जिनकी कि काफी अधिक संख्या है काफी कठिनाई अनुभव होती है और श्री विभूति मिश्र ने ठीक ही बतलाया कि किस तरीके से उसमें गलती होने की सम्भावना मौजूद है। उन्होंने यह भी बतलाया कि जब असेम्बलीज़ और यहां पार्लियामेंट में भी जहां कि एक से एक विद्वान् व्यक्ति मौजूद हैं वोट करने में गलती हो जाया करती है और यह देखा गया है कि १० परसेंट और १२ परसेंट वोट खारिज हो जाते हैं तब अशिक्षित भाइयों द्वारा तो और भी गलती होने की सम्भावना इसमें रहती है।

इसके साथ ही साथ हमें यह चीज भी ध्यान में रखनी है कि मार्किंग सिस्टम में समय बहुत लगेगा जबकि बैलेट के जरिये बहुत कम समय लगता है। हमारा अनुभव है कि हमारे पिछले दो आम चुनाव कैसे शान्ति से सम्पन्न हुए। अब यह बात दूसरी है कि पहले वाली प्रणाली में लोग अपने पर्चे बाहर ले जाया करते थे और उनको इंटरेस्टेड पार्टीज खरीद लिया करती थीं लेकिन यह कोई आम बात तो नहीं थी। हमारे जो पिछले दो आम चुनाव हुए उनकी सराहना देश, विदेशों में हुई है। मार्किंग सिस्टम में जब देर लगेगी और वोटर रुकेंगे नहीं तो उसमें बूथ्स में झगड़ा भी हो जाने की सम्भावना है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो पुराना सिस्टम है वह ठीक है और यह नवीन मार्किंग सिस्टम ठीक और मुनासिब नहीं होगा। इसलिये श्री विभूति मिश्र ने जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत और समर्थन करता हूं।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (अम्बाला) : सभापति महोदय जो नया तरीका वोट देने का है उसका मैं समर्थन करती हूं और मैं समझती हूं कि श्री विभूति मिश्र जो यह प्रस्ताव लाये हैं उसकी आवश्यकता नहीं है।

अभी जिन माननीय सदस्यों की मैंने जो बातें सुनीं तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उनको गांव वालों के बारे में बहुत भ्रम है कि गांव वाले वोट डालना नहीं जानते हैं। मेरा भी एक ऐसे ही इलाके से ताल्लुक है जहां के कि लोगों को दूसरे लोग बहुत पिछड़ा हुआ और बैकवर्ड समझते हैं लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि हमारी जनता मत देना खूब जानती है। उनको वोट डालना अच्छी तरह से आ गया है। अब अगर वोटिंग में गलतियां हो जाती हैं तो उसमें उनके अनपढ़ होने से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता है। पुराने वोटिंग सिस्टम में जितनी खराबियां थीं उनका गांव वालों से कम ताल्लुक है और शहर के लोगों से मैं समझती हूं कि ज्यादा सम्बन्ध है क्योंकि मेरा दोनों इलाकों से वास्ता पड़ता है शहरी इलाके से भी और देहाती इलाके से भी। खास कर मैं अपने दिल्ली के अनुभव से जानती हूं कि बैलेट से वोट डालने में किसी उम्मीदवार का बगैर पैसे के जीतना मैं असम्भव तो नहीं कहती परन्तु इतना मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि मुश्किल अवश्य है। मैं आज इस चीज को चैलेंज के साथ कह सकती हूं। मैं उसमें पार्लियामेंट का नाम नहीं लेती हूं क्योंकि पार्लियामेंट के लिये हजारों का फर्क पड़ता है, लाखों का फर्क पड़ जाता है। डबल मेम्बर कांस्टीटुएंसी में, सिंगिल मेम्बर कांस्टीटुएंसी में, म्युनिसिपैलटियों में और जब यहां दिल्ली में असेम्बली थी तो उसमें बैलेट से वोट डालने का हम को इतना कटु अनुभव हुआ कि मैं आप से क्या बयान करूं। अब दिल्ली तो एक व्यापारिक शहर है। यहां पर पहली दफे तो हमने देखा कि चुनाव ठीक ठीक हो गये। लोगों को इन बैलेट्स से क्या क्या करामात हो सकती है यह शायद उन्हें मालूम नहीं था लेकिन दुबारा जो चुनाव हुए तो उनको उन बैलेट्स की करामात मालूम हो चुकी थी और हमने देखा कि उम्मीदवार लोग बैलेट पेपर्स मंगवा कर खरीदने लग गये। इसका हमें उपचुनावों में भी अनुभव हुआ। यहां पर व्यापारियों की एक जमात बन गयी जो कि बैलेट सारे मंगा कर बाहर जमा कर लेते थे। कौन जीतता है अथवा कौन हारता है इससे उनका कोई सरोकार नहीं होता था बिल्कुल बिजनैस हाउसेज से बन गये थे जिनका कि काम सिर्फ यह होता था कि बैलेट बाहर मंगा कर जमा कर लें और जो भी उम्मीदवार सबसे ज्यादा उनके एवज में कीमत अदा करे उनको वह दे देंगे भले ही वह किसी भी जमात का उम्मीदवार क्यों न हो। इसको उन्होंने एक व्यापार का जरिया बना लिया था।

सभापति महोदय, ऐसा अनुभव हुआ कि जेब में लोग बैलेट पेपर लेकर घूमते रहते थे और बाहर सौदेबाजी करते फिरते थे कि उसके एवज में कौन कितना पैसा उनको देने को तैयार है। एक केस का तो मुझे जाती तजुर्बा है और वह इस प्रकार है कि मुझे आकर एक साहब बतला गये कि एक आदमी

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

बैलेट पेपर्स लेकर अपनी जेब में घूम रहा है और फी बैलेट पेपर २ रुपया मांग रहे हैं और आप चाहें तो उससे खरीद लीजिये। अब वह उम्मीदवार एक जेब कतरने वाले को जानते थे और उन्होंने अपने उस जेब कतरने वाले दोस्त से कहा कि भाई यह बैलेट पेपर्स उस आदमी की जेब से निकाल लो यह मुझ से पैसे मांगता है और मैं आपको बतलाऊं कि उनके दोस्त जेबकतरे ने बगैर पैसे दिये हुए चतुराई से उन बेचने वाले महाशय की जेब कतर डाली और वे बैलेट पेपर्स निकाल लिये और इस तरह वह वोट उनको मिल गय। मैं समझती हूं कि यह और अन्य जो इस प्रकार की खामियां पहले के वोटिंग सिस्टम में थीं उनको इस निशान लगाने की नवीन निर्वाचन प्रणाली को चालू करके रोकने की कोशिश की गई है। मैं समझती हूं कि ऐसा कुछ प्रबन्ध करने की बहुत आवश्यकता थी और मुझे खुशी है कि एसी कोशिश की गई है।

अब इसमें जो थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं भी तो जाहिर है कि कोई एलेक्शन कमीशन या कोई भी व्यक्ति यह उम्मीद नहीं करता कि क्या गांव के आदमी और क्या शहर के आदमी इतनी अच्छी ड्राइंग जानते होंगे कि वे बिल्कुल सीधी सीधी लाइन में उसके आगे सही जगह पर निशान लगा सकेंगे। इतनी तो मुझे भी उम्मीद है कि एलेक्शन कमीशन भी ख्याल करेगा कि इधर उधर क्रौसिंग आगे पीछे हो जाना या लकीर के ऊपर नीचे कुछ इधर उधर हो जाना सिम्बल के ऊपर निशान लगा देना, गोल निशान लगा देना हो तो टिक मार्क लगा देना, अब यह सब बातें हो सकती हैं और मुझे उम्मीद है कि पहली दफे जिस तरह की टैकनिकैलिटीज के कारण लोगों का नौमिनेशन पेपर रिजैक्ट हो गया था और बाद में एलेक्शन कमीशन ने इस बात की हिदायत निकाली कि इतनी छोटी छोटी बातों पर कि निशान गोल है या क्रौस है लम्बा है या छोटा है, एसी छोटी छोटी बातों के कारण वह उनके वोट को इनवैलिड नहीं करेंगे। इसके बाद मैं समझती हूं कि यह जो नया तरीका है इसका हमें स्वागत करना चाहिये।

श्री त्यागी : इनके वोटर यह शिकायत करते हैं कि औरतों का चुनाव अलग कर दिया जाये और सीटें अलग कर दी जायें, क्योंकि औरतों को ज्यादा वोट मिलते हैं और मरदों को कम मिलते हैं।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : सभापति महोदय, आज सदन में इस नवीन मत-प्रणाली के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद हो रहा है, उसमें हमारे मित्र, श्री विभूति मिश्र, के प्रस्ताव का हमारे बहुत से सदस्यों ने विरोध किया है और मैं भी उनके प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इन तर्कों के आधार पर कि जो हमारे दो गत आम निर्वाचन हुए १९५२ और १९५७ में, उनमें काफ़ी भ्रष्टाचार, पक्ष-पात आदि की शिकायतें हुईं और वह एक बहुत लम्बी कहानी है। अभी त्यागी जी ने कहा कि इन दो निर्वाचनों में कोई शिकायतें नहीं हुईं, लेकिन अगर वह देखेंगे, तो वह पायेंगे कि इन दो निर्वाचनों में पक्षपात की काफ़ी शिकायतें हुईं। इसलिये, उनको कैसे रोका जाये और किस प्रकार से इस देश की जनता में निर्वाचन की ईमानदारी के प्रति विश्वास पैदा हो, इस नवीन पद्धति का आविष्कार किया गया। मैं समझता हूं कि इस प्रणाली से जहां पक्षपात और भ्रष्टाचार रुकता है उसके साथ ही साथ सब से बड़ी बात यह होती है कि मतदाताओं को शिक्षा भी मिलती है। अभी हाल में मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में एक असेम्बली का उपचुनाव हुआ था, जिसमें इस मत प्रणाली का प्रयोग किया गया और वह प्रयोग सफलता के साथ हुआ। उसमें दो तीन कठिनाइयां जरूर आईं, जिनकी ओर मैं विधि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो त्यागी जी और श्री ब्रजेश ने कहा है, उसके अतिरिक्त एक सब से बड़ी बात यह है कि जो मतदान पत्र छपते हैं, जिनके नमूने पहले उम्मीदवारों को दिये जाते हैं, ताकि उनका प्रचार हो सके, उनकी तादाद बहुत कम रहती है। मैं चाहूंगा कि जहां निर्वाचन हो, उपचनाव हो, या आम चुनाव, वहां इस प्रणाली के प्रसार के लिये अधिक से अधिक

संख्या में नमूने के मतपत्र राजनैतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को पहले से दिये जायें, ताकि वे जनता में और मतदाताओं में उसका ठीक ठीक प्रचार कर सकें ।

इसके साथ ही साथ इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि सरकार को भी इस ओर बहुत ही सक्रिय होना चाहिये । हमारे चुनाव आयोग के कर्मचारियों को भी इसका अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिये । मुझे इस बात का दुख है कि जो अभी उपनिर्वाचन हुआ---मैं अपने क्षेत्र की बात कह रहा हूं---इस प्रणाली के सम्बन्ध में वहां जितना प्रचार सरकारी कर्मचारियों को करना चाहिये था, वह नहीं हुआ । उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है ।

कुछ मित्रों ने कहा है कि यह प्रणाली बड़ी असुविधाजनक होगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में, जहां सारे हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा मतदाता हैं, अभी आगामी महीने में पंचायतों के आम चुनाव हो रहे हैं, जिसमें प्रधानों के चुनाव में इसी गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जायेगा । मैं समझता हूं कि आगामी चुनाव के लिये सारे उत्तर प्रदेश में यह एक रिहर्सल और प्रयोग हो जायेगा । आम चुनाव से पूर्व यह भी सम्भव है कि उत्तर प्रदेश में परिषदों के भी चुनाव हों । उसमें भी इसका प्रयोग हो जायेगा । म्युनिसिपैलिटीज़ के भी चुनाव हो चुके हैं । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि इस प्रणाली से लोग अवगत कम हैं, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में जहां सब से ज्यादा मतदाता हैं, वहां शहरों और देहात के काफ़ी लोग इस विषय में शिक्षित हो चुके हैं । मैं इतना ज़रूर चाहूंगा कि जैसाकि मैंने सुझाव दिया है, इसके प्रसार के लिये ज्यादा प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

कुछ राज्यों में बहुत सी राजनैतिक पार्टियां मान्यता-प्राप्त पार्टियां नहीं हैं । इसलिये उनको वे सुविधायें नहीं मिल पाती हैं, जो अन्य पार्टियों को मिलती हैं । चुनाव आयोग को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि जो पार्टियां उनके नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी हैं, लेकिन जिनका राजनैतिक अस्तित्व है और राजनैतिक संगठन है, उनका सहयोग उसको प्राप्त करना चाहिये और जो उम्मीदवार खड़े हों, उन को अधिक से अधिक मतपत्र के नमूने दिये जायें, ताकि उन का प्रसार हो सके ।

पहली मतदान प्रणाली के बारे में लोग सब से बड़ा आरोप यह लगाते थे कि गणना के समय अक्सर लोग पक्षपात करते थे और बेईमानी की शिकायतें आती थीं । इस प्रणाली के बाद गणना में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है । एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिये कि जब मतदाता मतदान करने जाता है, उस समय शिक्षित मतदाता भी काफी ट्रेनिंग मिलने के बावजूद मनोवैज्ञानिक कारण से उस बात को भूल जाया करते हैं । यदि यह सम्भव हो सके, तो यह व्यवस्था की जाये कि जहां पर मतदान क्षेत्र हों, पोलिंग स्टेशन हों, वहां पर एक सरकारी व्यक्ति बैठना चाहिये, जो भली प्रकार से मतदान के पूर्व उस मतदाता को समझा सके कि किस प्रकार से उसको मतदान करना होगा, ताकि उसको सुविधा हो सके ।

मैं ने निर्वाचन में यह देखा है कि मतदान पत्र पर जो ख़ाने बने होते हैं, उनमें दूरी कम होती है और लाइन ठीक नहीं होती है, जैसाकि त्यागी जी ने कहा है । मुझे आशा है कि चुनाव आयोग इस बात का ध्यान रखेगा कि बीच में काफी जगह छोड़ी जाये, जिस से लोगों को ठीक तरह से चिन्ह लगाने में सुविधा हो सके ।

[श्री जगदीश अवस्थी]

इन शब्दों के साथ मैं इस नवीन प्रणाली का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि श्री विभूति मिश्र अपने प्रस्ताव को वापस ले लगे, क्योंकि संसद् के माननीय सदस्यों ने इस के पक्ष में विचार व्यक्त किये हैं कि इस प्रणाली को अपनाना चाहिये, ताकि चुनाव की निष्पक्षता के बारे में जो सन्देह हैं, वे स्वतः समाप्त हो जायें ।

इन शब्दों के साथ मैं श्री मिश्र के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, श्री विभूति मिश्र ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उस का समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुए एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक यहां पर कुछ ज्यादा यह ख्याल रखा गया कि जो आदमी पढ़े लिखे नहीं हैं, वे निशान लगाने में ग़लती करते हैं । जिस सदस्य को भी किसी पार्टी का व्हिप बनने का तजुर्बा हुआ है, वह या आप का यह सैक्रेटेरियट इस बात का जवाब दे सकता है और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय भी ज़रा बतायें कि लोक-सभा में नई प्रणाली के अनुसार .

श्री त्यागी : सिंगल ट्रांस फ़रेबल वोट ।

चौ० रणवीर सिंह : . . . सदस्य जो कई कमेटियों के मेम्बर चुनते हैं, उस में कितनी दफा कितने सदस्यों के वोट रिजेक्ट हुए ।

श्री त्यागी : डिविज़न में भी ।

चौ० रणवीर सिंह : डिविज़न की भी बात है । यह कहा जाता है कि बटन ठीक तरह से नहीं दबा सकते हैं ।

श्री त्यागी : बेपढ़े लिखे ।

चौ० रणवीर सिंह : पढ़े लिखे भी ।

आज प्रधान मंत्री का बटन भी ठीक से नहीं दबा । या तो वह ग़लत दबा गये, या वह दबा ही नहीं पाये । यह बात हम यहां पर रोज़ाना देखते हैं, हालांकि सेक्रेटेरियट का यह क्लेम है कि मशीन में कोई ख़राबी नहीं है । एक दफा ग़लती होती है और दूसरी दफा वह सही होता है । यह ज़ाहिर करता है कि इतना मोटा बटन भी जब पार्लिमेंट के मेम्बर सही नहीं दबा सकते, तो एक देहाती कैसे दबायेगा ।

यही नहीं, मंत्री महोदय यह भी बतायें कि जिस-जिस स्टेट में कौंसिल या राज्य सभा का इलैक्शन हुआ, उस में कितने एम० एल० एज़० का वोट रिजेक्ट हुआ इसलिये कि वे सही तौर पर निशान नहीं लगा सके । मैं अपनी स्टेट और दूसरी स्टेट्स के बारे में भी जानता हूं । उत्तर प्रदेश के बारे में भी मुझे मालूम है कि किस तरह वोट्स वहां ख़राब हुए । आम आदमियों के ही नहीं असैम्बलियों के मेम्बरों तक के । राज्य सभा और लोक-सभा में कई बार वोटिंग हुआ है उनका क्या परसेंटेज वोटों के रिजेक्ट होने का रहा है, उस को आप देखें और उस से ही अंदाजा लगावें कि किस कद्र वोट रिजेक्ट हो सकते हैं ।

मैं नहीं कहता कि पहली चुनाव की जो पद्धति थी उस के अन्दर कोई गलती नहीं है, उस के अन्दर भी कई खराबियां हैं । सवाल यह है कि देश के नेताओं ने और देश की जो प्राविजनल पार्लिमेंट

थी उस ने जो कानून बनाया वह क्यों बनाया और क्यों इलैक्शन कमीशन ने यह समझा कि पुरानी पद्धति ठीक है। सभापति महोदय, तब के हालात में और आज जो हालात हैं, उन में कोई तबदीली नहीं हुई है। जो सन् १९५१ में बच्चा पढ़ने बैठा था वह आज वोट देने का अधिकारी नहीं हुआ है। वोटर बनने के लिये २१ बरस की आयु का होना लाजिमी है। जो १९४७ में भी पढ़ने बैठा था वह भी आज वोटर नहीं बन पाया है। वह भी आज १८ बरस का ही हुआ है और अगर वह सात साल का पढ़ने बैठा था तो भी आज वह बीस साल का ही हुआ है। देश ने दूसरी बातों में काफी तरक्की की है, इस से मैं इन्कार नहीं करता हूं लेकिन जो पहला मतदान का तरीका अपनाया था और जिन हालात को देख कर अपनाया था, उन हालात में कोई फर्क आ गया है, ऐसा अगर कोई समझता है तो वह गलत समझता है।

इस के अलावा मैं इलैक्शन कमिशन से और माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जो कैंडीडेट जीतता है वह कितने वोटों से जीतता है आम तौर पर। मेरा यह दावा है कि पचास प्रतिशत केसिस में स्टेट असैम्बली के लिये जो खड़ा होता है, एक हज़ार वोटों से ही या तो जीतता है या हारता है। हमारे विभूति मिश्र जी ने कई हलकों का हवाला दे कर बताया है कि हजार से ज्यादा वोट रिजैक्ट बहुत सो जगहों पर हुए हैं। इस का मतलब यह हुआ कि अगर ये वोट खराब न जाते तो जो कैंडीडेट हारता है वह जीत जाता। आप तो वकील हैं और आप जानते हैं कि जो कसूरवार माना जाता है या दूसरे मानों में जो हार गया है तो उस में जो डाउट की चीज़ है, वह एक्यूज्ड की फेवर में जाती है। इस का मतलब यह हुआ कि लूज़ करने वाले को ये वोट गये। फर्ज़ कीजिये कि मैं यह दावा करता हूं कि तीन हज़ार वोट जो कैंसिल हुए वे मुझे मिले तो चूंकि मैं हारा हूं इस वास्ते दो हज़ार से मैं जीत जाता हूं। मैं तो कोई वकील नहीं हूं लेकिन मिनिस्टर साहब होशियार वकील हैं और इसे वह अच्छी तरह से जानते हैं। इस का जवाब जो ट्रीब्यूनल बनते हैं उन के पास नहीं होता है कि ये वोट हारने वाले पास नहीं आते। जो बैनीफिट आफ डाउट है वह हारने वाले को मिलना चाहिये। कई ट्रिब्यूनल्ज़ इस तरह के फैसले दे सकते हैं और अगर इस के विपरीत किसी ने फैसला दिया है तो मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा। अगर यह हो तो आधे से अधिक इलैक्शन पैटीशंस जो हैं, एक्सैप्ट होंगी।

जो इधर के भाई बैठने वाले हैं और जिन्हों ने इस बिल की मुखालिफत की है उन की यह मुखालिफत मेरी समझ में आ सकती है क्योंकि उन का विश्वास है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चलती है वह ईमानदारी से चलती है। लेकिन जो भाई उधर बैठते हैं उन्हों ने जो नुक्ताचीनी की है, वह इसलिये की है कि वे समझते हैं कि जो सरकारी एजेंसी है, जो इलैक्शन करवाने वाले हैं वे सब बेईमान हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि इस तरीके से इस में क्या फर्क आ गया। अगर इस देश में सौ रुपये के नोट जोकि रिज़र्व बैंक छापता है उसी तरह के नोट बन सकते हैं तो सारे के सारे बैलट बाक्स और बैलट पेपर बदलने में क्या मुश्किल लगती है, क्या उस में मुश्किल पेश आ सकती है ? अगर कोई यह समझता है कि ऐसा नहीं हो सकता है तो मेरे खयाल में उस की जो समझ है वह दिवालिया हो गई है। अगर कोई कहता है कि इस बाक्स पर मेरी मुहर है और इस को बदला नहीं जा सकता है तो मैं समझता हूं वह ठीक नहीं कहता है और यह चीज़ भी हो सकती है।

जहां तक इस दूसरे तरीके को अमल में लाने का ताल्लुक है चूंकि उधर बैठने वाले समझते हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन बेईमान है, इस वास्ते हमारे मिनिस्टर साहब ने सोचा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन को ही बीच में से निकाल दिया जाय। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि जो अपोजीशन वाला है, जो हारने वाला है वह कभी नहीं कहेगा कि जो जीता है वह ईमानदारी से जीता है चाहे किसी सिस्टम से भी आप इलैक्शन करवा लें। जो जीत कर आयगा वह यह नहीं कहेगा कि किसी गलती की वजह से वह

[चौ० रणवीर सिंह]

जीत कर आया है । या सही तौर पर इलैक्शन नहीं हुआ है । जो उस की पार्टी के उम्मीदवार हारे हैं उन के बारे में वह यही कहेगा कि किसी गलती की वजह से वे हारे हैं । हमारे माननीय मंत्री जी ने इस नई पद्धति को डर की वजह से माना है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस में भी डर तो रहेगा ही । मैं आज कहता हूं कि अगले चुनाव के बाद भी आप पर यह इल्ज़ाम आयगा कि चुनाव ठीक नहीं हुए . . . . .

श्री त्यागी : अगले चुनाव में इन में से कोई भी कामयाब नहीं होगा ।

चौ० रणवीर सिंह : कुछ तो इन में कामयाब होंगे ही ।

तो जो जीत कर आयेंगे वे कहेंगे कि जो हारे वे इसलिये हारे कि बैलट बाक्स को उड़ा दिया गया, बैलट पेपर्ज़ नए डाल दिये गये, जाली डाल दिये गये और उस के बाद मुहर लगा दी गई । यही एलीगेशन्स आप के विरुद्ध आने वा ले हैं ।

मैं एक बात का माननीय मंत्री जी से जवाब चाहता हूं । इस का जवाब किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं दिया है । एक आदमी को इलैक्शन के दस दिन पहले विदड्रा करने का अधिकार है । अगर मैं दस दिन पहले इलैक्शन के विदड्रा कर जाता हूं तो क्या माननीय मंत्री जी समझते हैं कि वह इस अर्से में सारे हिन्दुस्तान के लिये बैलट पेपर छपवा देंगे और अगर उन्हें मेरे जिले में ही छपवाना है तो वह इस बात का कैसे दावा कर सकते हैं कि किसी अफसर के साथ मिल कर कोई इन्हें छपवा नहीं लेगा या छपवा नहीं सकेगा । अगर वह समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है तो मुझे उन की यह बात जंचती नहीं है ।

अब मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं । मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि वोटर भी बेईमानी कर सकता है अगर कोई समझता है कि यह सिस्टम फूलप्रूफ है तो वह गलती करता है । मतदाता के बेईमान होने के कई तरीके हैं । मिसाल के तौर पर कहा जा सकता है कि मतदाता एबसेंट हो जाए । जब किसी ने गिना और उस को पता चला कि चार हजार की कमी है तो वह चार हज़ार दूसरे कैंडीडेट के वोटर्ज को कह सकता है कि एबसेंट कर जाओ, गैर-हाज़िर हो जाओ और वे मतदाता ऐसा कर सकते हैं ।

पंजाब में पंचायतों के लिये इलैक्शन हुए । कुछ को गिला है कि आदमी झूठे भुगत गये हैं । कलकत्ता के अन्दर बड़ा शोर हुआ, फोटो लगनी चाहिये या नहीं लगनी चाहिये । यह क्यों हुआ ? यह इसलिये हुआ कि वोटर दुबारा भुगत सकते हैं या स्याही को मिटा सकते हैं । बेईमानी तो वोटर की तरफ से भी हो सकती है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह की बातों को दूसरा जो तरीका है वह भी बन्द नहीं कर सकता है । और कोई तरीका मेरे खयाल में मुम्किन ही नहीं है । अगर यह दूसरा तरीका इस्तेमाल में लाया जाता है तो मुझे यकीन है कि अगली दफा माननीय मंत्री महोदय खुद इस को एमेंड करवाने के लिये यहां आयेंगे ।

सरदार इकबाल सिंह (फीरोज़पुर) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि जो सिलसिला अब चल रहा है इसको अगर बदला गया तो खराबी पैदा होगी और खास तौर पे देहातों में यह पैदा होगी । वहां पर लोग अनपढ़ हैं और खास तौर से वहां की जो औरतें हैं या जो हरिजन हैं, उनके खिलाफ़ यह सिस्टम जायेगा । चूंकि वे पढ़े लिखे नहीं हैं, पिछड़े हुए हैं, वे नहीं समझ सकते हैं कि मोहर कहां लगानी है और कहां नहीं लगानी है । अगर वे ठीक से

मुहर नहीं लगायेंगे तो उनका वोट खराब चला जायेगा। उनके लिए यह तक समझना मुश्किल है कि किस डिब्बे में वोट डालना है और इस चीज़ को हम ही जानते हैं कि उनको समझाने में हमें कितनी मश्किल पेश आई है और कितना समय खर्च करना पड़ा है कि बैल वाले डिब्बे में वोट जा कर डालो। दो इलैक्शंस के बाद अब जा कर लोगों को पता चला है कि वोट किस ढंग से डालना है। अब इसको आज फिर बदल दिया जाता है तो यह एक भूल होगी। मैं मानता हूं कि इस सिस्टम से शहरों में फायदा हो सकता है। शहर वाले ज्यादा आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान की ज्यादातर आबादी शहरों में नहीं गांवों में निवास करती है और उसमें से बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे हैं। आप देहातों में जा कर तो देखें कि वहां का वायुमंडल कैसा है और क्या वे महसूस करते हैं। इस वास्ते अगर आपने इसको लागू करना ही है तो इसको पहले शहरों में लागू करें। अगर आपने इस मामले को एक टैक्नीकल मामला बनाना ही है तो आप बना सकते हैं लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि अगर मामूली सी गलती भी उन से हो गई तो उनके वोट रिजैक्ट हो जायेंगे और उसका नतीजा यह होगा कि जो हारने वाला है वह जीत जायेगा और जीतने वाला हार जायेगा। शहरों में जो वोट रिजैक्ट होते हैं उनकी परसेंटेज कम होती है और इसकी वजह यह है कि यहां के लोग ठीक वोट डाल सकते हैं लेकिन अगर आपने इस पद्धति को गांवों में लागू किया तो आप न्याय नहीं करेंगे। इस वास्ते अगर आप इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना ही चाहते हैं तो तजुर्बे के तौर पर इसको शहरों में शुरू कीजिये और जो तजुर्बा आपको हासिल हो उसके आधार पर इसको देहातों में भी शुरू कीजिये। देहातों में मौजूदा हालत में इसको बिल्कुल भी शुरू नहीं किया जाना चाहिये। इसका कारण यह है कि देहातों के लोग इसको समझ ही नहीं सकते हैं और खास तौर पर औरतें तो इसको समझ ही नहीं सकती हैं। बाकी चीज़ों का तो वहां इंतिज़ाम हो सकता है लेकिन गलत मार्किंग का इंतिज़ाम नहीं हो सकता है और अगर इसको देहातों में लागू किया गया तो यह उनके साथ एक बेइंसाफी होगी। इस वास्ते इसका पहले आप शहरों में तजुर्बा कर लें और अगर आप समझें कि यहां पर यह कामयाब रहा तो फिर आप इसको देहात में भी ले जा सकते हैं। तब तक वहां पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो जायेगी, लोग समझने लग जायेंगे। अगर आप ने इसको वहां लाग करना ही है तो पहले पंचायतों की जो इलैकशंस होती हैं, उन में कर के आप देख लें। इन इलैकशंस में तो ज्यादा लोग वोटर्ज़ को समझाने वाले होते हैं क्योंकि म्यूनिसिपल और पंचायत इलैकशंस में कैंडीडेट्स और उनके एजेंटों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, वोटर्ज़ को समझाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और इस सिलसिले को पंचायतों के इलैकशंस में चला सकते हैं। अगर पंचायतों के इलैकशंनों में इस सिस्टम को पहले नहीं चलाया जायेगा और एक दम बड़े इलाकों में इसको चालू कर दिया जायेगा तो यह ठीक नहीं होगा।

चौधरी साहब ने भी कहा कि कितने परसेंटेज लोग गलत वोट डालते हैं। जिन्हें इलैक्शन का तजरबा है वह जानते हैं कि कितने लोग गलत वोट डाल देते हैं। आप देखें कि जो लोग डब्बों तक में गलती कर जाते हैं वे निशान लगाने में कितनी गलती करेंगे। मैं समझता हूं कि यह नया तरीका जारी करना प्रैक्टिकल बात नहीं है। इसलिए मैं रिजोल्यूशन का समर्थन करता हूं।

†श्री टे० सुब्रह्मण्यम (बेल्लारी) : मैं श्री विभूति मिश्र के संकल्प का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि निशान लगा कर चुनाव की पद्धति अपनाई जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री टे० सुब्रह्मण्यम]

मैसूर राज्य में हाल में ही निशान लगा कर चुनाव करने की पद्धति का लोक-सभा के उप चुनावों, पंचायतों तथा तालुक चुनावों में प्रयोग किया जा चुका है । हमने देखा है कि वहां पर गांव के लोगों ने बड़ी आसानी से अपने वोट दिये हैं । इसलिए इसको ही अपना कर भविष्य में चुनाव करने चाहिएं ।

मैं समझता हूं कि ऐसा होने पर, वर्तमान प्रणाली के बारे में जो शंकायें तथा संदेह प्रकट किये जाते हैं उनकी कोई गुंजायश ही नहीं रह जायेगी ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । वास्तव में निशान लगा कर मतदान करने की प्रणाली से अमान्य मतों की संख्या बहुत बढ़ गई है । अनेक सदस्यों ने यह कहा है कि इस प्रणाली से भ्रष्टाचार फैलता है । क्योंकि मतदाताओं को घूस देकर मतपत्र खरीदे जा सकते हैं । मेरा निवेदन है कि इस कठिनाई को दूर करने का कोई तरीका निकाला जाना चाहिए ।

मैंने पिछले दो तीन उपचुनावों में यह नोट किया है कि अमान्य मतों की संख्या बहुत बढ़ गई है । एक उपचुनाव में १५०० तक अमान्य मत पाये गये हैं और निर्वाचन का निर्णय कभी-कभी १०० से २०० मतों से होता है । इसलिए हमें जनता की वास्तविक इच्छा जानने का कोई अन्य तरीका निकालना चाहिए ।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । हमें इस प्रकार के मतपत्र बनवाने चाहिएं जिन पर एक ओर चिह्न छपे हुए हों जो दूसरी ओर से दिखाई न पड़ें । ऐसे मतपत्रों से यह लाभ होगा कि अशिक्षित ग्रामीण भी चिह्न देखकर मतपत्र उठा लेगा और उसे मोड़ कर मतदान अधिकारी की उपस्थिति में पेटी में डाल देगा ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: सभापति महोदय, यह चर्चा अत्यन्त सजीव और विचार प्रेरक रही है जैसी कि प्रारम्भ से ही आशा की गई थी । सभा को याद होगा कि जब से यह प्रणाली चालू की गई है सभा में समय-समय पर अनेक प्रश्न पूछे जा चुके हैं तथा उनके उत्तर भी दिये जा चुके हैं जिन में यह बताया गया था कि निर्वाचन आयोग ने किन कारणों से इस प्रणाली के पक्ष में निर्णय किया था । मैं इसे नई प्रणाली नहीं मानता हूं क्योंकि सभा को याद होगा कि यह निशान लगा कर मतदान करने की प्रणाली १९५२ के सामान्य निर्वाचन के पूर्व प्रचलित थी । वास्तव में १९४५ के सामान्य निर्वाचन निशान लगा कर मतदान करने की प्रणाली के अन्तर्गत ही हुए थे । जब संविधान के अन्तर्गत प्रथम बार वयस्क मताधिकार चाल किया गया तो यह महसूस किया गया कि जब बिल्कुल अनपढ़ ग्रामीणों से मतदान करने के लिए कहा जा रहा है तो यह अच्छा होगा कि कम से कम कुछ वर्षों के लिए मतदान प्रणाली निशान लगा कर मतदान करने की प्रणाली से भी अधिक सहज और बोधगम्य बना दी जाये । यह कभी भी विचार नहीं किया गया था कि १९५२ और १९५७ के सामान्य निर्वाचन में जो प्रणाली अपनाई गई थी वह स्थायी बन जायेगी क्योंकि उसे अनेक कारणों से, जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, स्थायी नहीं बनाया जा सकता है ।

प्रश्न यह था कि निशान लगा कर मतदान करने की प्रणाली को कब पुनर्जीवित किया जाये ताकि वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अन्तर्गत लागू हो सके । मैं चाहता हूं कि इन मामलों में सभा निर्वाचन आयोग के निर्णय पर भरोसा रखे जैसाकि वह सामान्यतः करती भी है । ये मामले प्रारम्भ से ही निर्वाचन आयोग को सौंप दिये गये हैं और निर्वाचन आयोग ने समय-समय पर सभा से

---

†मूल अंग्रेजी में

यह सिफारिश की है कि हमारा निर्वाचन किस प्रकार किया जाना चाहिए । हम इस सभा में अनेक अधिनियम पारित कर चुके हैं और हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली के अन्तर्गत निर्वाचन मतदाताओं की कथित निरक्षरता के बावजूद न केवल सफल रहे हैं वरन् समस्त स्वतंत्र संसार ने उनकी प्रशंसा की है ।

मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारे मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग बुद्धिमानी से नहीं किया है । वास्तव में १९५२ और १९५७ के निर्वाचनों और इस बीच में हुए उप-चुनावों ने इस प्रकार के आरोप को सर्वथा गलत प्रमाणित किया है । दोनों सामान्य निर्वाचनों में मतदाताओं ने अत्यन्त बुद्धिमानी का परिचय दिया है तथा अलोकप्रिय व्यक्तियों के पक्ष में मत न देकर लोकप्रिय व्यक्तियों का ही समर्थन किया है । उन्होंने ऐसे दल के पक्ष में मत दिया है जो उनके विचार से सरकार चलाने में समर्थ था, चाहे वह केन्द्र की हो अथवा राज्यों की ।

यह ठीक है कि इधर उधर कुछ गलतियां भी हुई हैं । जब २० करोड़ व्यक्ति मत देने आयेंगे तो कुछ गलतियां अवश्य ही होंगी । परन्तु देश के आकार और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए हमने निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर जो निर्वाचन प्रणाली निर्धारित की है वह सर्वथा सफल सिद्ध हुई है । यह ठीक है कि वह सर्वथा दोषरहित नहीं रही है परन्तु मेरा निवेदन है कि कोई भी प्रणाली सर्वथा दोषरहित नहीं हो सकती है । इसलिए हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनकी सिफारिशों पर विश्वास सही सिद्ध हुआ है । इसलिए कोई कारण नहीं है कि हम निशान लगाकर मतदान करने की प्रणाली के सूत्रपात के समय के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्णय पर वैसा ही विश्वास न रखें । मैं समझता हूं कि उस सिफारिश को स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं है ।

उसके विरुद्ध केवल एक तर्क उपस्थित किया गया है और वह यह है कि जब संसद् के माननीय सदस्य भी बटन ठीक नहीं दबा सकते हैं तो अशिक्षित मतदाता मतपत्र पर सही निशान कैसे लगा सकते हैं ? निशान लगा कर मतदान करने की प्रणाली के अपनाये जाने के पक्ष में तो अनेक सार-गर्भित तर्क पेश किये गये हैं परन्तु उसके विपक्ष में मैंने केवल यही एक तर्क सुना है । यदि संसद् के माननीय सदस्य बटन ठीक नहीं दबा सकते हैं तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उसमें शिक्षा का विशेष महत्व नहीं है क्योंकि शिक्षित होने के बावजूद भी लोग गलतियां कर सकते हैं । यदि शिक्षा का विशेष महत्व नहीं है तो फिर वह समस्त तर्क निरर्थक हो जाता है । फिर प्रश्न यह है कि साधारण मतदाता के लिए कौन सी प्रणाली अधिक सरल है । जिससे वह अपना मत ठीक तरह दे सके ? इसके लिए हमें दोनों प्रणालियों की परीक्षा करनी होगी । तभी हम यह जान सकेंगे कि साधारण व्यक्ति के लिए कौन सी प्रणाली अधिक उपयुक्त है ।

पहले हम गांवों की बात करेंगे क्योंकि अभी भी हमारे अधिकांश देशवासी गांवों में ही रहते हैं । अभी जो प्रणाली प्रचलित है । तथा जो १९५२ और १९५७ में भी अपनाई गई थी वह यह है कि एक कमरे में उतनी मतपेटियां रखी जाती हैं जितने उम्मीदवार होते हैं और प्रत्येक पेटी पर एक उम्मीदवार का चिह्न अंकित होता है । यदि दस उम्मीदवार होंगे तो दस ही पेटियां होंगी। मतदाता पहले मतदान केन्द्र अधिकारी (प्रेज़ाइडिंग आफिसर) के पास जाता है, मतपत्र लेता है और फिर उसे वह मतपत्र उस पेटी में डालना होता है जिस पर उस उम्मीदवार का चिह्न बना हो जिसके पक्ष में मत देने का उसने निर्णय किया हो । यदि पांच या छै पेटियां रखी हुई हैं तो वह उस पेटी को तलाश करेगा जिस पर उस उम्मीदवार का चिन्ह अंकित होगा और उसी में वह अपना मतपत्र डालेगा । संक्षेप में वह प्रणाली इस प्रकार है ।

[श्री अ० कु० सेन]

वर्तमान प्रणाली में क्या होगा। वह मतपत्र लेता है जिसमें उतने चिह्न अंकित होते हैं जितने उम्मीदवार होते हैं जबकि पहले उतनी मतपेटियां होती थीं जितने उम्मीदवार होते थे। पहले मामले में उसे अनेक मतपेटियों में से चिह्न देख कर एक पेटी तलाश करनी होती थी। अब उसे अनेक मतपेटियां न देख कर एक कागज पर बने हुए चिह्नों में से एक चिह्न चुनना होता है। ये चिह्न इस प्रकार छापे जाते हैं कि किसी प्रकार की गलती न हो सके। फिर उससे निर्वाचन अधिकारी यह कहता है कि उसे अपना निशान उस स्थान के अन्दर लगाना है जिसमें चिह्न बना हुआ है क्योंकि मतपत्र काफी लम्बा पर्चा होता है और उस पर कहीं भी निशान लगाया जा सकता है। जो लोग पेंसिल नहीं पकड़ सकते उन्हें एक मुहर दे दी जाती है जिससे वह निशान छाप सकते हैं। ये सब बातें निर्वाचन अधिकारी उसे समझा देता है। फिर यह प्रणाली उस प्रणाली से कठिन कैसे कही जा सकती है जिसमें उसे कई पेटियों में से स्वयं एक पेटी तलाश करके अपना मतपत्र डालना होता है?

मैं ऐसे अनेक मामले जानता हूं जिनमें मतपेटियां इस प्रकार रख दी जाती हैं कि आदमी अपनी पसन्द की पेटी नहीं तलाश कर पाता और मतपत्र को कहीं भी डाल देता है अथवा अपने साथ ही लेकर चला जाता है। मैं समझता हूं कि जब एक व्यक्ति अनेक पेटियों में से चिह्न देख कर अपनी पसन्द की पेटी तलाश कर सकता है तो कोई कारण नहीं है कि वह मतपत्र पर भी वह चिह्न न तलाश कर सके जिस पर वह निशान लगाना चाहता है। ये दोनों ही प्रणालियां समान रूप से सरल हैं और कोई भी इतनी कठिन नहीं है कि मतदाता के पथभ्रष्ट हो जाने की संभावना रहे। वास्तव में मेरा तो विचार यह है कि जो प्रणाली हम अब अपनाने जा रहे हैं वह पहले वाली प्रणाली से अधिक सरल है।

हाल के उपचुनावों से भी मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हुई है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में अधिक गलतियां इस कारण हुई हैं कि उम्मीदवारों ने लोगों को समझाने का कष्ट नहीं किया अथवा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी और उम्मीदवारों के एजेंटों ने मतदाता को मतपत्र लेते समय यह नहीं समझाया होगा कि "यदि आप बैलों की जोड़ी के लिए मत देना चाहते हैं तो अपना निशान वहां लगाइये अथवा यदि लैम्प के लिए मत देना चाहते हैं तो वहां निशान लगाइये।" यह एक साधारण हिदायत है जिसका पालन करना भी उतना ही साधारण है।

†**श्री वारियर** : मतदान केन्द्र के अन्दर हम कुछ नहीं कह सकते हैं।

†**श्री अ० कु० सेन** : निर्वाचन अधिकारी बता सकता है। यदि वह वैसा नहीं करता है तो एजेंट उससे वैसा करने का अनुरोध कर सकता है। वह मतदाता से भले ही बात न कर सके परन्तु यदि निर्वाचन अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे वह ठीक कर सकता है।

मैं माननीय सदस्यों को कुछ ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में हुए उपचुनावों के आंकड़े बताना चाहता हूं। नागरिक निर्वाचन क्षेत्रों में बहुत कम गलतियां हुई हैं। मद्रास के एक निर्वाचन क्षेत्र जिसमें आदिवासी और ग्रामीण लोग रहते हैं, के हाल के उपचुनाव के आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक हैं। उसका नाम तिरुवदनाई है तथा उसके ९८.३ प्रतिशत मतदाता ग्रामीण हैं। फिर भी अस्वीकृत मतों के प्रतिशत से मालूम होता है कि उन्होंने बहुत सही ढंग से मतदान किया। वास्तव में अस्वीकृत मतों का प्रतिशत केवल लगभग १ प्रतिशत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिर हाल के गुड़गांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में भी, जिसके सम्बन्ध में श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने प्रकाश डाला था, अस्वीकृत मतों का प्रतिशत केवल ३.६ रहा है। मैं समझता हूं वह निर्वाचन क्षेत्र भी ग्रामीण ही कहा जायेगा। उस में ५ विभिन्न जिलों में २५० मतदान केन्द्र थे और सब मतदान केन्द्रों में एक साथ मतदान हुआ था। फिर बम्बई राज्य के भिलोदा क्षेत्र में, जहां अधिकतर भील लोग रहते हैं, हाल के विधान-सभा उप-चुनाव में अस्वीकृत मतों का प्रतिशत ८.६ रहा है। मुझे इस में तनिक भी सन्देह नहीं है कि यदि उम्मीदवार और निर्वाचन अधिकारी मतदाताओं को समझाने का प्रयत्न करें तो इस प्रकार के मतों का प्रतिशत और भी कम हो जायेगा। इसके अतिरिक्त मतपत्र में भी कुछ सुधार किया जा रहा है क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हाल के उपचुनावों के अनुभव के आधार पर वैसा करना आवश्यक समझा है। आशा की जाती है कि अब मतपत्रों पर चुनाव चिह्न इस प्रकार छापे जायेंगे कि मतदाता के लिए अपना निशान लगाना आसान हो जायेगा। वह निशान उस स्थान के अन्दर लगाना होगा जिसमें चुनाव चिह्न बना होता है। मैं समझता हूं कि यह तरीका बहुत उपयोगी होगा और उससे वे बुराइयां खत्म हो जायेंगी जो वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत प्रचलित हैं।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : यदि वे उम्मीदवार के चिह्न के ऊपर ही निशान बना देते हैं तब क्या होगा ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारे मतदाता इतने जाहिल हैं। बात वास्तव में यह है कि हम उन्हें भली प्रकार समझाते नहीं हैं। शिक्षा का इसमें कोई सम्बन्ध नहीं है। हम स्वयं देख चुके हैं कि सदस्यगण शिक्षित होने पर भी बटन दबाने में गलतियां करते हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि मतदाताओं को स्कूली शिक्षा नहीं वरन् मतपत्र में निशान लगाने की प्रक्रिया समझाई जानी चाहिए।

जिन बुराइयों के निराकरण के लिए यह प्रणाली निकाली गई थी वे अनेक हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि गरीब मतदाता मतपत्रों को बाहर ले जाकर बेच देते थे। प्रजातन्त्र के लिए इससे अधिक खतरनाक चीज़ कोई नहीं है। वर्तमान प्रणाली में मतदाता मतपत्र को बाहर नहीं ले जा सकेगा क्योंकि मतपत्र निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में पेटी में डाला जाएगा।

दूसरी बात है अनेक मतपेटियों का रखा जाना। इसमें अधिक खर्च होने के अतिरिक्त यह भी दोष है कि यदि निर्वाचन अधिकारी निष्पक्ष न हों तो वे उन पेटियों को इस प्रकार लगाकर रखेंगे कि उनकी पसंद के उम्मीदवार की पेटी ही मतदाता को सबसे पहले दिखाई पड़े। इसके साथ ही अन्य पेटियां इस प्रकार रखी जायेंगी कि वे अंधेरे में रहें और उन पर अंकित चिह्न दिखाई न पड़ें। अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा।

एक अन्य बात यह है कि बहुत से लोग मतपत्र लेकर उसे कहीं भी रखकर और नमस्कार करके चले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा विशेष रूप से होता है जैसा कि पंडित ब्रज नारयण ब्रजेश ने बताया था। निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदनों में भी इसका निर्देश है। यह कठिनाई भी अब दूर हो जाएगी।

अनेक निर्वाचनों में हारे हुए उम्मीदवारों की ओर से इस प्रकार की शिकायतें की गई हैं कि मतपत्र एक दूसरे में मिल गए थे। ऐसा हो सकता है। विशेषकर जब कि अधिकारी ईमानदार न हों तो इसकी अधिक संभावना है। उदाहरण के लिए संसदीय सीट की मतगणना को ले लीजिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

बहुत से गणक मेज पर बैठते हैं और ये मतपेटियां फैला दी जाती हैं। प्रत्येक पेटी से मतपत्र निकाल कर गिने जाते हैं। उस समय उनको एक दूसरे में आसानी से मिलाया जा सकता है। एक बार उनके मिल जाने पर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा मतपत्र किसके लिए था। वर्तमान प्रणाली में यह दोष भी दूर हो जाएगा। दुबारा गणना करने से सही परिणाम मालूम हो जाएगा।

मतदान की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। गणन प्रक्रिया सरल हो जाएगी। वास्तव में निर्वाचन आयोग की यह घोषणा कि मैदानी भागों का समस्त मतदान तीन दिन में पूरा हो सकता है नई गणना प्रणाली के कारण ही संभव हो सकी है।

यह कहने के साथ साथ मैं यह भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि लोगों के अत्यधिक पिछड़ेपन और यात्रा की दूरियों को देखते हुए निशान लगाकर मतदान करने की नई प्रणाली को तुरन्त क्रियान्वित करना संभव नहीं होगा। हम यह निर्वाचन आयुक्त पर छोड़ देंगे कि वह जिन क्षेत्रों को ठीक समझे उनको नई प्रणाली लागू करने से छट दे सके। हम स्वयं उसका निर्धारण नहीं करेंगे। मैंने उनके साथ इसके संबंध में चर्चा की थी और वह इस पर विचार करेंगे कि नई प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू होगी। मैं समझता हूं कि वह उन क्षेत्रों को छूट दे देंगे जिनमें उपरोक्त कठिनाइयों के कारण निर्वाचन आयुक्त के लिए नई प्रणाली को तुरन्त लागू करना कठिन होगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आगामी वर्षों में हमारे देश में साक्षरता भी बहुत बढ़ जाएगी। अनुमान है कि १९६१ की जनगणना में ४० प्रतिशत साक्षरता हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसी प्रणाली को यथाशीघ्र लागू करने का प्रयत्न करना चाहिए।

इसलिए मेरा निवेदन है कि यद्यपि यह संकल्प एक अच्छी भावना से रखा गया है कि जनसाधारण अपने मताधिकार का प्रयोग ठीक तरह कर सकें, उपरोक्त कारणों से मैं उसका विरोध करता हूं।

†श्री वारियर : क्या मतपत्र अधिक बड़े बनवाए जायेंगे और स्याही जल्दी उड़ने वाली तैयार की जाएगी जिससे दुबारा स्टाम्प न लग सके ?

†श्री अ० कु० सेन : समस्त पूर्वावधान किए जायेंगे। उसमें यथासंभव सुधार के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्री विभूति मिश्र : सभापति महोदय, मैं सब से पहले इलैक्शन कमिशन की प्रशंसा करना चाहता हूं कि उसने १९५२ और १९५७ के चुनाव और साथ ही साथ जो बीच में उपचुनाव हुए हैं, उनको बड़ी ईमानदारी और परिश्रम के साथ कराया है।

मैं माननीय मंत्री जी की भी तारीफ करता हूं कि ईमानदारी के साथ उन्होंने मार्किंग सिस्टम को जारी किया है। लेकिन उन्होंने खुद ही अपने भाषण में इस बात को कबूल किया है कि जो डिसटैंट एरियाज़ हैं जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहां पर इस सिस्टम को जारी नहीं किया जाना चाहिये। ऐसा करके और ऐसा कह कर मैं समझता हूं कि उन्होंने मेरे रेज़ोल्यूशन के कुछ हिस्से को मान लिया है। शहरों में जारी किये जाने के वे हक़ में हैं लेकिन बैकवर्ड एरियाज़ के नहीं और उनके लिए उन्होंने कहा कि सिम्बल सिस्टम ही को जारी रखा जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्होंने यह भी कहा है कि वोटर्ज़ इंटैलीजेंट हों। अब मैं कहना चाहता हूं कि यह पार्लिमेंट ही अगर इस बात की जांच नहीं कर सकती है कि वोटर इंटैलीजेंट हैं या नहीं हैं तो और कौन कर सकता है । अगर पार्लिमेंट के मैम्बर ही इंटैलीजेंट नहीं हैं तो और कौन इंटैलीजेंट हो सकता है । पार्लिमेंट के मैम्बरों को ही सारे देश का वारा न्यारा करना है, उन पर ही सब जिम्मेदारियां हैं और अगर पार्लिमेंट के मैम्बर ही वोट करने में गलती कर सकते हैं तो जो अनपढ़ भाई हैं वे गलती नहीं करेंगे, इसका क्या सबूत है । मैं समझता हूं कि हमारे सेन साहब मेरी इस बात से पूर्ण सहमत होंगे कि वोटर भी गलती कर सकते हैं और गलती करेंगे ।

माननीय मंत्री जी ने भैलोदा का उदाहरण दिया है और कहा है कि ८.६ परसेंट वोट बरबाद हुए हैं । लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि टोटल नम्बर कितना है जो रिजैक्ट हुए हैं । चूंकि वह वकील हैं, इस वास्ते उन्होंने ८.६ कह दिया है लेकिन टोटल फिगर नहीं दिया है। मैं समझता हूं कि ज्यादा वोट वहां रिजैक्ट हुए हैं ।

यह कहा गया है कि काउंटिंग में गड़बड़ी होती है। मैं आपको बतलाना चहता हूं कि इसमें कभी गड़बड़ी नहीं होती है। एक कैंडीडेट के पहले सारे वोट गिन लिए जाते हैं और उसके बाद बक्स में बन्द हो जाते हैं और उसके बाद ही दूसरे कैंडीडेट के वोट्स की गिनती होती है। मेरे इस प्वाइंट का मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है कि ४२ करोड़ बैलट पेपर और पन्द्रह रोज़ के अन्दर हिन्दुस्तान में सिक्योरिटी के साथ छपवाये जा सकते हैं या नहीं छपवाये जा सकते हैं। मेरे भाई चौ० रणवीर सिंह ने कहा कि दस रोज़ पहले तक कैंडीडेट को अधिकार है कि अपना नाम विदड्रा कर ले । अब इसके बाद बैलट पेपर छपवाने के लिए कहां सिक्योरिटी है? क्या यह सैंटर के अन्दर है या स्टेट्स के अन्दर है? इसका जवाब सेन साहब ने नहीं दिया है । मैं इलैक्शन कमिशन से भी पूछना चाहता हूं कि पंद्रह दिन के अन्दर रिटर्निंग आफिसर से ले कर दिल्ली तक और दिल्ली से रिटर्निंग आफिसर तक ४२ करोड़ बैलट पेपर क्या वह छपवा पाएगा या नहीं छपवा पाएगा? मैं ने आपके सामने अमरीका का उदाहरण दिया था। वहां पर मार्किंग सिस्टम है और वहां पर इस काम में मशीन को इस्तेमाल में लाया जाता है। वहां पर भी गलती हुई है ।

अब मैं श्री द्वा० ना० तिवारी जी को जवाब देना चाहता हूं । बिहार में ही सोनबारसा में चुनाव हुआ था और वहां पर रिजैक्टिड वोट्स का परसेंटेज ४.४ था । वहां पर २,१०६ वोट रिजैक्ट हुए ।

चौ० रणबीर सिंह : उम्मीदवार कितने वोट से जीता ?

श्री विभूति मिश्र : मैं वह बात नहीं कर रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं कि कितने वोट रिजैक्ट हुए। यह इलैक्शन कमिशन की लिस्ट है और उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं।

अब मैं श्री राधेलाल व्यास को सूचनार्थ बतलाना चाहता हूं कि कवार्धा जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर चुनाव हुआ था और वहां पर ३,१०८ वोट रिजैक्ट हुए और इसका परसेंटेज ६.२ बैठता है। मैं द्विवेदी जी को भी उड़ीसा का एक केस बतलाना चाहता हूं। वहां पर नौरंगपुर में चुनाव हुआ था और उसमें २,६२८ वोट रिजैक्ट हुए जिसका परसेंटेज ८.६ बैठता है । चार पांच हज़ार असैम्बली कांस्टिट्युएंसीज़ हैं और उन सभी में इतने अधिक वोट अगर बरबाद होते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जिन भाइयों ने मेरे रेजोल्यूशन का विरोध किया है उनको वोट बरबाद होते हैं, या नहीं होते हैं, कोई फिक्र ही नहीं है । वे तो वोटों को बर की मूली

[श्री विभूति मिश्र]

के बराबर समझते हैं, चाहे जितने बरबाद हो जाएं। हमारे प्रकाशवीर शास्त्री जी ने खुद कहा कि ८–९ हज़ार वोट उनके बरबाद हुए।

चौ० रणवीर सिंह : जो उम्मीदवार बैठ गया और उसके १२,००० वोट जो खराब हो गए वे अलग।

श्री विभूति मिश्र : यह तो उनका सैल्फ एडमिशन है कि उनके ८–९ हजार वोट बरबाद हुए। किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं कहा कि इस मार्किंग सिस्टम में सुधार की गुंजाइश नहीं है या इसमें कोई खराबी नहीं है। हमारे त्यागी जी ने कहा कि सुधार होना चाहिये। जितने भी माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है सभी ने कहा है कि सुधार होना चाहिये। मैं नहीं कहता कि मार्किंग सिस्टम फेल होगा। लेकिन फेल अगर होता है तभी तो सुधार की बात कही जाती है। जितने भी माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है, मेरे रेजोल्यूशन का विरोध किया है सभी ने कबूल किया है कि यह सुधार हो, वह सुधार हो। आप वकील हैं और आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि कई गलतियां हैं जिन की वजह से दो बाई इलैक्शंस में यह फेल हो गया है। सुधार की बात सिम्बल सिस्टम में भी और मार्किंग सिस्टम में भी, दोनों में लागू होती है। इस वास्ते क्यों न पुराने सिस्टम को सुधार करके चालू रखा जाए?

चेयरमैन साहब, रूल ४१(जी) में यह साफ है कि वहां एजेंट बैठा रहेगा, कैंडीडेट बैठा रहेगा और वोटर को एजेंट के सामने बैलट पेपर ले जाना होगा। अब आप सोच सकते हैं, सेन साहब ऊंचे दर्जे के वकील हैं, उन्होंने त्याग किया है, वकालत छोड़ कर ला मिनिस्टर वह बने हैं, वह भी सोच सकते हैं कि गांव में आज दिन भी बड़े बड़े लोग रहते हैं और उनके सामने जा कर गरीब आदमी को वोट देना होगा और वह बड़ा आदमी उसको डरा धमका कर जिस को चाहेगा वोट दिलवा देगा और उसको कह देगा कि फलां बक्से में वोट डालो। उस गरीब आदमी को दिखलाना पड़ेगा कि वह उसको वोट दे रहा है या उस के कहने के मुताबिक वोट दे रहा है। मैं रूल का हवाला नहीं देना चाहता हूं, उसको पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता हूं लेकिन ४१(जी) में यही है। अब मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कहां सीक्रेसी रही? इस से आपकी सीक्रेसी नहीं रह पाएगी।

एक बात मैं बक्से के बारे में कहना चाहता हूं। आज भी आप के ऊपर यह इलज़ाम लग सकता है कि बक्से को तोड़ करके दुबारा उस पर मुहर लगा दी गई है।

आप कहते हैं कि मार्किंग सिस्टम में वोटर को एजुकेट किया जाए और उसको कहा जाए कि वह अपना वोट न बेचे। जहां तक वोट बेचने के बारे में उसको एजुकेट करने का ताल्लुक है वह तो दोनों सिस्टम्स में लागू होता है। आप यह भी कहते हैं कि कैंडीडेट जा कर उसको इंटैलीजेंटली एजुकेट करे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस सदन में कितने माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी का कुछ हिस्सा जनता की सेवा में लगाया है? मैं अपने बारे में यह कह सकता हूं कि १९२० से आज दिन तक मेरी सारी जिन्दगी जनता की सेवा में लगी है। आज अगर किसी की उम्र तीस साल है, तो दस साल तो उसने मैट्रिक पास करने में.लगाये, चार साल बी० ए० करने में लगाये, दो साल एम० ए० करने में लगाये, दो साल वकालत करने में लगाये, अब १८ साल लगाने के बाद भी और इतना अनुभव हासिल करने के बाद भी अगर वह वोट ठीक तरह से नहीं दे पाता है तो जो अनपढ़ है उससे आप कैसे आशा कर सकते हैं कि वह अपना वोट ठीक दे।

जहां तक इलज़ाम लगाने का ताल्लुक है, वह कोई भी लगा सकता है। चाहे यहां धर्मराज भी आ कर बैठ जाए तो भी उसके खिलाफ इलज़ाम लगाये जायेंगे। किसी वक्त भी कोई इलज़ाम लगा सकता है। आप हमेशा यह कह सकते हैं कि हमारे अफसर हैं, मार्किंग करते वक्त वे कहते थे कि कांग्रेस के आगे मुहर वोटर लगाओ . . . .

श्री ब्रजराज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : यह तो आप करेंगे ही।

श्री विभूति मिश्र : अभी वह चीज़ हुई नहीं लेकिन इन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया है। मैं कहूंगा कि हमारे यहां की इलैकशंस की आज दुनिया भर में साख है। पहले हमारे सेन साहब इलैकशन कमिश्नर थे और अब दूसरे साहब हैं। उन्होंने हमारे मुल्क में ईमानदारी के साथ इलैकशन करवाया और यह भी एक कारण था कि उनको सूडान में इलैकशन करवाने के लिए बुलाया गया। अगली इलैकशन के बाद भी जो हमारा विरोध करेंगे वे यह कहेंगे कि कांग्रेस का राज है, इस वास्ते कांग्रेस वालों ने इल्लिट्रेट वोटर्ज़ से अपने अफसरों द्वारा यह कहलवाया कि उन्हीं के नाम के आगे मुहर लगा दो। लेकिन मैं कहूंगा कि यहां पर जो इलैक्शन होते हैं वे निष्पक्ष ढंग से होते हैं और आपको इन इलजामों से घबराने की आवश्यकता नहीं है।

मेरे प्रस्ताव के विरोध में त्यागी जी बोले हैं। दुःख है कि इस समय वह सदन में नहीं हैं। मेरा अपना ख्याल है कि कुछ आदमियों का दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई आदि बड़े शहरों में रहने के कारण गांवों से सम्पर्क छूट गया है। वह गांवों के आदमियों की हालत को नहीं जानते। हमारे राधा रमण जी हैं वह भी दिल्ली के रहने वाले हैं। मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली में मार्किंग सिस्टम जारी हो। मैंने पहले ही कह दिया था कि दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई आदि बड़े शहरों में इस सिस्टम को रखिए। मैं राधा रमण जी की बात की कीमत नहीं करता। मैं कीमत करता हूं चौधरी साहब की बात की, सरदार साहब की बात की, सेठ अचल सिंह जी की बात की . . .

एक माननीय सदस्य : वह तो शहर में रहते हैं।

श्री विभूति मिश्र : शहर में उनका घर होने के यह मानी नहीं हैं कि वे गांव में नहीं रहते। उनकी कुटिया तो गांव में ही है।

मैं सेन साहब से और इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूं कि यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि यह कांग्रेस का या कम्युनिस्ट पार्टी का या सोशलिस्ट पार्टी का सवाल है। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। यह तो देश की जनता का सवाल है। लेकिन आज हमारे यहां यह रिवाज सा हो गया है कि जो चीज़ रशिया में चल गयी या अमरीका में चल गयी तो हम अपने यहां भी उसको चलाना चाहते हैं। लेकिन वे हिन्दुस्तान की जनता की नब्ज को नहीं पहचानते। हिन्दुस्तान की जनता के सच्चे डाक्टर तो गांधी जी थे, वह जनता की नब्ज को पहचानते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो कि जनता की नब्ज को पहचानते हैं। और दूसरे लोग हिन्दुस्तान की जनता की नब्ज को नहीं पहचानते।

एक भाई ने केरल के चुनावों का जिक्र किया। हमने इलेक्शन कमीशन से केरल की रिपोर्ट चाही थी लेकिन वह हमको नहीं मिल सकती। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि केरल के वोटर को सिखाने के लिए हिन्दुस्तान की सारी पार्टियों के लोग जमा हुए थे जब केरल में बाई इलैक्शन हुआ।

[श्री विभूति मिश्र]

केरल में जो बाई इलेक्शन हुआ उसको कराने के लिये सारे हिन्दुस्तान की हर पार्टी के लोग गए थे और एक एक वोटर को चार चार आदमी सिखाने के लिए थे। तो केरल का भी इलेक्शन कोई उदाहरण नहीं है।

जब जनरल इलेक्शन होगा तो सारे हिन्दुस्तान में एक साथ होगा। उस समय हर एक अपनी अपनी कांस्टीट्यूएंसी में काम करेगा। जब अपनी दाढ़ी में आग लगेगी तो कौन किसी और को देखेगा और दिखाएगा। यह कहना तो एक टैकनिकल बात है कि लोगों को सिखाया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो आज सारे लोग सज्जन हो गए होते और धरमात्मा हो गए होते। राजा रामचन्द्र के राज में और राजा युधिष्टर के राज में भी यही कहा जाता था, लेकिन लोग शिक्षित नहीं हो पाए। वास्तविकता को देखते हुए मैं कहता हूं कि सैन साहब या इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ हिन्दुस्तान के देहात का पैदल दौरा करें तब उनको सही स्थिति का ज्ञान हो सकेगा।

मेरे रिजोल्यूशन का किसी ने विरोध नहीं किया। जिन्होंने भी विरोध किया उन्होंने कहा कि नई पद्धति में सुधार किया जाए। मेरे रिजोल्यूशन को तो सभी ने कबूल किया है। जो सदस्य यह कहते हैं कि नयी पद्धति में सुधार होना चाहिए उसके तो मानी यही हैं कि वह ठीक नहीं है।

सभापति महोदय: अब इस पर वोट लिया जाए या आप इसको वापस लेते हैं ?

श्री विभूति मिश्र: मैं इसको वापस लेना चाहता हूं।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की दर के बढ़ाए जाने के बारे में संकल्प

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा की यह राय है कि कोयला खान भविष्य निधि योजना के अधीन अंशदान की दर ६¼ प्रतिशत से बढ़ाकर तुरन्त ८⅓ प्रतिशत कर दी जाये।"

†**सभापति महोदय** : अब समय समाप्त हो गया है। माननीय सदस्य अगले दिन अपना भाषण जारी रखें।

कार्य मंत्रणा समिति

साठवां प्रतिवेदन

†**श्री सिद्धनंजप्पा** (हसन) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का साठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

†**सभापति महोदय**: अब सभा की बैठक स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, १९ दिसम्बर, १९६०/२८ अग्रहायण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९६०
२५ अग्रहायण, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. .	२८६५–८९
तारांकित प्रश्न संख्या		
९४४	उर्वरकों का मूल्य . .	२८६५–६९
९४५	प्रसारित किये जाने वाले लेखों के लेखक	२८६९–७१
९४७	औद्योगिक डिजाइन संस्था	२८७२
९४८	दिल्ली में ग्रामोद्योग संग्रहालय	२८७२-७३
९४९	मछली का तेल	२८७३–७५
९५०	निर्यात व्यापार	२८७५–७७
९५१	भजंग के राजा	२८७७–७९
९५२	प्राकृतिक रबड़	२८७९–८१
९५३	साड़ियों का निर्यात . .	२८८२-८३
९५७	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये पेशगी	२८८४-८५
९५८	गोदी कर्मचारियों के लिये मकान	२८८५-८६
९६०	सूती कपड़े के मूल्य .	२८८६-८७
९६१	चीन को चोरी छिपे मोटरगाड़ियां भेजा जाना	२८८७–८९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२८८९–२९२०
तारांकित प्रश्न संख्या		
९४६	ग्राम आवास परियोजनाएं	२८८९
९५४	दुग्ध चूर्ण (पाउडर-मिल्क)	२८८९
९५५	आयात व्यापार नियंत्रण	२८९०
९५६	खादी तथा ग्रामोद्योग	२८९०
९५९	सिगरेटों का आयात	२८९०-९१

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

९६२	संयुक्त राष्ट्र संघ के मान चित्रों में काश्मीर . .	२८९१
९६३	ऐनकों के शीशे का कारखाना . .	२८९१-९२
९६४	बेबी फूड	२८९२
९६५	भारतीय चाय के साथ प्रतियोगिता . .	२८९२-९३
९६६	जापान में भारतीय टेक्नीशियनों का प्रशिक्षण .	२८९३
९६७	फिल्म इंस्टीट्यूट .	२८९३-९४

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१९००	चाय की प्लाईवुड की पेटियां . .	२८९४-९५
१९०१	वाणिज्यिक प्लाईवुड	२८९५
१९०२	नमक . . .	२८९५-९६
१९०३	दियासलाई	२८९६-९७
१९०४	ऊनी कपड़े . . .	२८९७-९८
१९०५	ऊनी वर्स्टेड धागा	२८९८
१९०६	नकली रुई	२८९९
१९०७	रेयन का पतला धागा. . . .	२८९९-२९००
१९०८	पटसन की चीजें	२९००-०१
१९०९	कपड़ा	२९०१
१९१०	सूत . . .	२९०१
१९११	औद्योगिक तथा शक्ति मद्यसार .	२९०१-०२
१९१२	सीमेंट	२९०२-०३
१९१३	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, महाराष्ट्र	२९०३
१९१४	महाराष्ट्र का औद्योगिक विकास .	२९०३
१९१५	पंजाब के बारे में प्रलेखीय चलचित्र . .	२९०४
१९१६	राजस्थान में स्थानीय विकास कार्य .	२९०४
१९१७	हड़ताल और तालाबन्दी	२९०४
१९१८	हड़तालों के कारण जनदिनों की हानि .	२९०४
१९१९	मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना . .	२९०४-०५
१९२०	कृषि उपकरण	२९०५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१९२१	उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग	२९०५–०६
१९२२	उद्योगों के लिये लाइसेंस .	२९०६
१९२३	पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय	२९०६
१९२४	पंजाब में ग्राम्य आवास विभाग	२९०६–०७
१९२५	प्रविधिक व्यक्ति . .	२९०७
१९२६	जम्मू तथा काश्मीर में श्रमिक शिक्षा केन्द्र	२९०७
१९२७	पश्चिम बंगाल में शरणार्थी बस्तियां	२९०७
१९२८	पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग	२९०८
१९२९	विशाखापत्तनम में उर्वरक संयंत्र	२९०८
१९३०	पूर्वी जोन में विस्थापित व्यक्तियों के शिविर	२९०८–०९
१९३१	डालमिया की व्यापार-संस्थायें .	२९०९–१०
१९३२	उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१	२९१०
१९३३	औद्योगिक कर्मचारियों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना	२९१०
१९३४	पंजाब सरकार के लिये सर्किट हाउस	२९१०
१९३५	सरकारी क्वार्टर .	२९१०
१९३६	श्रीनिवासपुरी के लिये बिजली	२९१०–११
१९३७	राज्यों में मूल्यांकन एकक	२९११
१९३८	भारी इंजीनियरी निगम	२९११
१९३९	गोआ में भारतीय	२९१२
१९४०	सीमा विवादों पर चर्चा के लिये भारत और पाकिस्तान के मंत्रियों की बैठक . .	२९१२
१९४१	क्लोरीनयुक्त घोलक पदार्थ (क्लोरिनेटेड साल्वेन्टस)	२९१२–१३
१९४२	शक्ति मद्यसार .	२९१३
१९४३	जिला विकास कार्यक्रम	२९१३
१९४४	हेरोभंगा बस्ती योजना में स्कूल .	२९१४
१९४५	पडुआ में फिल्म समारोह . .	२९१४
१९४६	शुद्ध माप यंत्र बनाने का कारखाना .	२९१४–१५
१९४७	राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन के हिन्दी प्रकाशन .	२९१५
१९४८	सरकारी-कर्मचारियों के लिये मकान . .	१९१५–१६

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१९४९	थर्मस फ्लास्क उद्योग	२९१६
१९५०	ग्लूकोज़ फैक्टरी	२९१६
१९५१	चीन के रेडियो ब्राडकास्ट	२९१७
१९५२	प्रेस सूचना विभाग	२९१७–१८
१९५३	न्यू सेन्ट्रल मार्केट, नयी दिल्ली	२९१८
१९५४	ब्रिटेन की यात्रा पर निर्बन्धन	२९१८–१९
१९५५	पंडारा रोड के फ्लेट	२९१९
१९५६	चाय के बाग	२९१९–२०
१९५७	टी ब्रिक का आयात	२९२०
१९५८	श्रमिक कल्याण समिति	२९२०

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना २९२१-२२

नेपाल नरेश द्वारा नेपाली मंत्रिमंडल की बरखास्तगी के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री इन्द्रजीत गुप्त ने दी थी, और सर्वश्री ब्रजराज सिंह और हेम बरुआ द्वारा दी गई ध्यान दिलाने वाली सूचना को एक साथ लिया गया ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

अध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९२२–२३

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ३९६ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक २६ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८१६ में प्रकाशित उर्वरक और रसायन समवाय एकीकरण आदेश, १९६० की एक प्रति ।

(२) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६६ की एक प्रति ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया २९२३

अठानवेवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	२९२३

श्रीमती मफीदा अहमद ने राउरकेला उर्वरक कारखाने में निर्माणकार्य पर लगे हुए कुछ मजदूरों की हड़ताल की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाया।

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

विधेयक—पुरस्थापित	२९२५—३३

(१) अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक, १९६०

(२) संविधान (नवां संशोधन) विधेयक, १९६०।

विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव पर लोक-सभा में मत विभाजन हुआ; पक्ष में १६६, विपक्ष में ४६। तदनुसार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरस्थापित किया गया।

विधेयक—पारित	२९३४—४३

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्डवार चर्चा के पश्चात् विधयक पारित किया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत	२९४३

चौहत्तरवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—अस्वीकृत	२९४४

सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प पर, जिस पर मतदान २ दिसम्बर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, पर मतदान हुआ तथा संकल्प अस्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प वापस लिया गया . .	२९४४—७४

निशान लगा कर मतदान की नई प्रणाली सम्बन्धी संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और संकल्प, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन . . .	२९७४

श्री वारियर ने कोयला खान भविष्य निधि योजना के अधीन अंशदान की दर बढ़ा दिये जाने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। श्री वारियर का भाषण समाप्त नहीं हुआ।

विषय पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . २६७४

साठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

सोमवार, १६ दिसम्बर, १६६०/२८ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि—

अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक तथा संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर विचार तथा उनका पारित किया जाना ।

GIPND—LSIII—1686 (Ai) LSD—6-1-61—115